स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

वार्षिक प्रतिवेदन

2022-23

NIRDPR

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत

वार्षिक प्रतिवेदन
2022-23

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर),
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
राजेन्द्र नगर, हैदराबाद – 500030, भारत

द्वारा प्रकाशित:

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 030, तेलंगाना, भारत
वेबसाइट: www.nirdpr.org.in
आवरण पृष्ठ रचना: श्री वी.जी. भट्ट
आवरण पृष्ठ छवि: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण मॉडल आवास का निर्माण एनआईआरडीपीआर परिसर में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) में किया गया। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 30 जून 2022 को मॉडल आवास का उद्घाटन किया।

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
अध्याय -1	प्रस्तावना	1 - 5
अध्याय -2	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	6 - 16
अध्याय -3	अनुसंधान और नीति परामर्श	17 - 26
अध्याय -4	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - संसाधन प्रकोष्ठ	27 - 37
अध्याय -5	नवोन्मेषी कौशल और आजीविका	38 - 47
अध्याय -6	शैक्षणिक कार्यक्रम	48 - 49
अध्याय -7	प्रशासन	50 - 58
अध्याय -8	वित्त एवं लेखा	59 - 60
परितशष्ट I - XIII		61 - 74

संक्षिप्ताक्षर एवं परिवर्णी शब्द

एआरडीओ	:	अफ्रीकी- एशियाई ग्रामीण विकास संगठन
कपार्ट	:	लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद
सीबीओ	:	समुदाय आधारित संगठन
सीएफएमसी	:	संचित निधि प्रबंधन समिति
सीआईसीटीएबी	:	कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण केंद्र
सिर्डाप	:	एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र
सीटीएसए	:	केन्द्रीय तकनीकी सहायता एजेन्सी
डीआरडीए	:	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी
ईआर	:	निर्वाचित प्रतिनिधि
ईटीसी	:	विस्तार प्रशिक्षण केंद्र
एफपीओ	:	किसान उत्पादक संगठन
जीआईएस	:	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीपीडीपी	:	ग्राम पंचायत विकास योजना
आईईसी	:	सूचना, शिक्षा और संचार
आईटीईसी	:	भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग
एमजीएनआरईजीएस	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमआईएस	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओपीआर	:	पंचायती राज मंत्रालय
एमओआरडी	:	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमआरपी	:	मास्टर स्रोत व्यक्ति
नाबार्ड	:	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
नैबकॉन	:	नाबार्ड परामर्शी सेवायें
एनजीओ	:	गैर-सरकारी संगठन
एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी	:	एनआईआरडीपीआर-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र
एनएमएमयु	:	राष्ट्रीय मिशन निगरानी इकाई
एनपीए	:	गैर-कार्य निष्पादक संपत्ति
एनआरपी	:	राष्ट्रीय स्रोत व्यक्ति
एनएसएपी	:	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
पीईएसए	:	पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार
पीआईएएस	:	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां
पीएमजीएसवाई	:	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमकेएसवाई	:	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीआरएसी	:	नीतिगत अनुसंधान सलाहकारी समिति
पीआरआई	:	पंचायती राज संस्था
आरएसी	:	अनुसंधान सलाहकारी समिति
आरएजी	:	अनुसंधान सलाहकारी समूह
आरजीएसए	:	सांसद ग्राम स्वराज अभियान
एसएजीवाई	:	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एसएयु	:	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई
एसईआरपी	:	ग्रामीण गरीबी उन्मूलन समिति
एसएफसी	:	राज्य वित्त आयोग
एसएचजी	:	स्वयं सहायता समूह
एसओपी	:	मानक परिचालक प्रक्रिया
एसआरएलएम	:	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
टीओटी	:	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
टीक्यूआईएमसी	:	प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति
यूटी	:	केन्द्र शासित प्रदेश

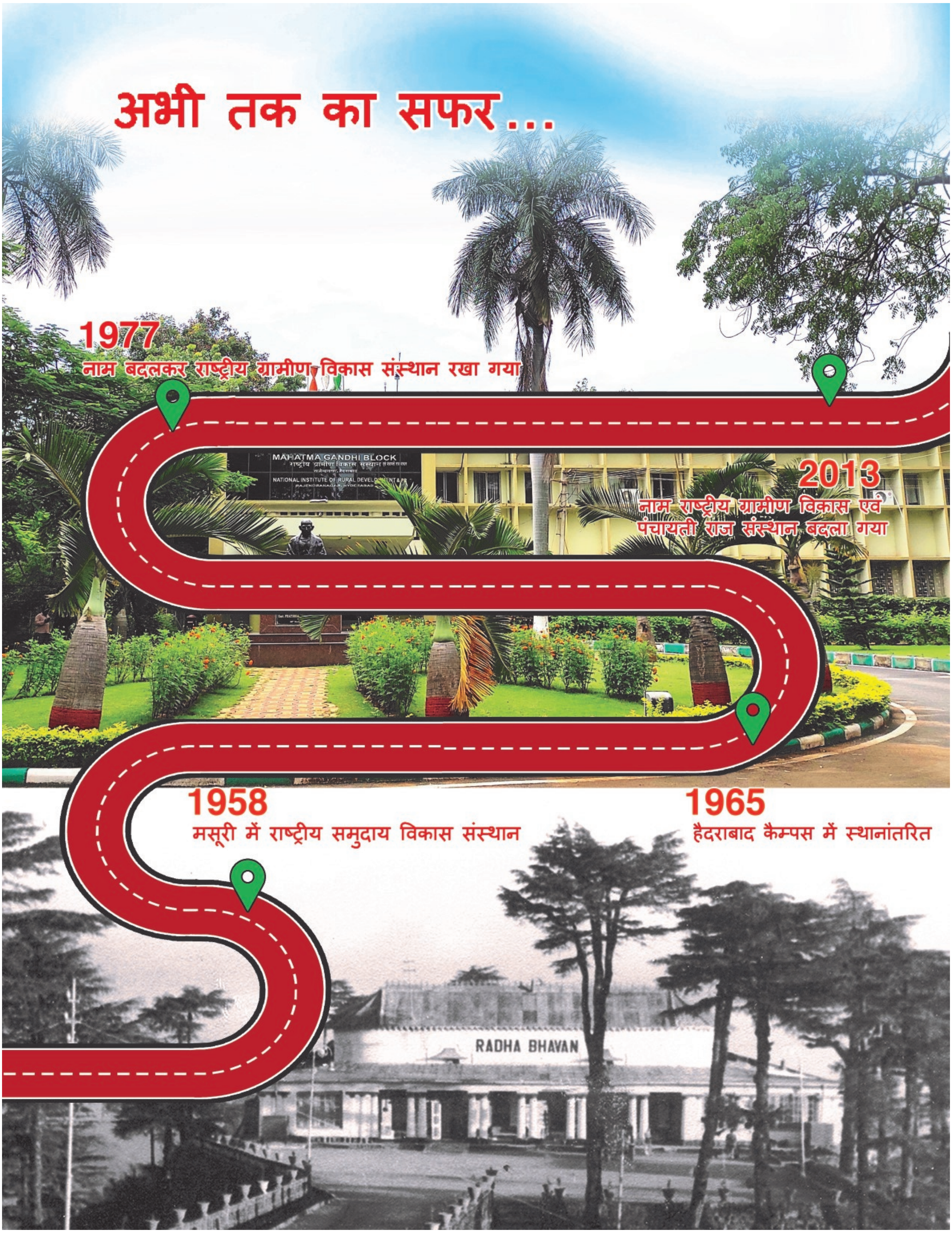
अभी तक का सफर...
1977
नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान रखा गया
2013
नाम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान बदला गया
1958
मसूरी में राष्ट्रीय समुदाय विकास संस्थान
1965
हैदराबाद कैम्पस में स्थानांतरित
MAHATMA GANDHI BLOCK
RADHA BHAVAN

हमारे कार्य क्या है

1. वरिष्ठ स्तर के विकास पेशेवरों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंक अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना।
2. अनुसंधान करना, सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना।
3. राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कामकाज का अध्ययन करना।
4. पत्रिकाओं, रिपोर्टों, ई-मॉड्यूल और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सामग्री विकसित करना और जानकारी प्रसारित करना।
5. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना और समाधान प्रस्तावित करना।

अध्याय – 1
प्रस्तावना

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए समर्पित एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र के रूप में एक प्रमुख स्थान रखता है, जिसका तात्पर्य स्थानीय स्वशासन से है। एनआईआरडीपीआर का प्राथमिक ध्यान ग्रामीण विकास में कार्यरत व्यक्तियों, जैसे अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, वित्तीय संस्थानों, समुदाय-आधारित संगठनों और विभिन्न हितधारकों की क्षमताओं को बढ़ाना है। यह प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित परस्पर जुड़ी गतिविधियों की एक व्यापक श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

मूल रूप से 1958 में मसूरी में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान के रूप में स्थापित, संस्थान को बाद में 1965 में हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया और 1977 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) कर दिया गया। पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने और इसके पदाधिकारियों के कौशल को बढ़ाने की बढ़ती आवश्यकता के जवाब में, संस्थान की महापरिषद के निर्णय के बाद 4 दिसंबर 2013 को संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) कर दिया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, एनआईआरडीपीआर और लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी

विकास परिषद (कपार्ट) के बीच उद्देश्यों के अभिसरण को मान्यता देते हुए, भारत सरकार ने 1 मई, 2020 को कपार्ट को एनआईआरडीपीआर के साथ विलय कर दिया। एनआईआरडीपीआर हैदराबाद के ऐतिहासिक क्षेत्र राजेंद्रनगर में ग्रामीण परिवेश से घिरे 174.21 एकड़ के मनोरम परिसर में स्थित है।

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है:

i) वरिष्ठ स्तर के विकास पेशेवरों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंक अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना;

ii) अनुसंधान करना, सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना;

iii) राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कामकाज का अध्ययन करना;

iv) पत्रिकाओं, रिपोर्टों, ई-मॉड्यूल और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सामग्री विकसित करना और जानकारी प्रसारित करना; और

v) ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना और समाधान प्रस्तावित करना ।

1.1. एनआईआरडीपीआर का स्वरूप

एनआईआरडीपीआर का स्वरूप '**ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समावेशी और सतत सुधार' हासिल करना है**। जीवन की गुणवत्ता पर दृष्टिकोण समाज से समाज में भिन्न होता है। यह सब गरीबी और बीमारी से मुक्त होने, एक लंबा और भरपूर जीवन जीने, और स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त करने के बारे में है। यह भोजन, पानी, ऊर्जा, आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छे सामाजिक संबंध, पसंद की स्वतंत्रता, समता, सांस्कृतिक पहचान, भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक संतुष्टि और आजीविका सुरक्षा तक पहुंच को समाविष्ट करते हुए एक मूल्य आधारित संकल्पना है।

1.2. एनआईआरडीपीआर का मिशन

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के लिए एक 'विचार भंडार' के रूप में, हमारा मिशन इन पहलुओं पर काम करना और नीति निर्माण, प्रोग्रामिंग, लक्ष्य निर्धारित और शासन करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करना है। ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के अपने मिशन में स्थिरता वह मूल मूल्य है जिसे हम बनाए रखते हैं। संस्थान अनुसंधान के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास की सुविधा प्रदान करता है, अनुसंधान-उन्मुख क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करके जानकारी आधार का निर्माण, और ग्रामीण विकास अधिकारियों एवं विकास व्यावसायियों (एनजीओ की जवाबदेही और दक्षता) की क्षमता निर्माण करता है।

1.3. एनआईआरडीपीआर के उद्देश्य

- **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के विचार भंडार के रूप में कार्य -** नीति निर्माण, एसआईआरडी के साथ भागीदारी क्षमता निर्माण प्रयास, और संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाना।
- **अनुसंधान-उन्मुख क्षमता निर्माण-** परिणाम आधारित अनुसंधान और भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों से जुड़ा प्रशिक्षण
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वैश्विक उत्कृष्टता संस्थान बनना।
- **कार्य अनुसंधान**: भारत सरकार और अन्य संगठनों के लिए शोध निष्कर्षों को मान्य करने के लिए अवधारणा कार्यक्रमों और परियोजनाओं का प्रमाण लेना।
- भारत सरकार के कार्यक्रमों की निगरानी सक्षम करना, और ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सबूत इकट्ठा करना।
- प्रौद्योगिकी प्रसार: ग्रामीण परिवर्तन लाने और स्थानीय ग्रामीण समस्याओं के लिए अभिनव समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के संस्थानों के सहयोग से, ग्रामीण ज्ञान सृजन, क्यूरेशन और प्रसार के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करना।

1.4 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

संस्थान के पास वरिष्ठ और मध्यम प्रबंधन स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में विशेषज्ञता का खजाना है, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यक्रमों के निर्माण, प्रशासन और कार्यान्वयन के साथ-साथ संबंधित कार्य क्षेत्रों में संलग्न हैं। ये कार्यक्रम कार्यक्रम

प्रबंधन की जटिलताओं और तंत्रों, विशेष रूप से प्रक्रियात्मक पहलुओं पर जोर देते हैं। यह जोर विकास क्षेत्र के पेशेवरों को उनकी पहल के प्रत्याशित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सहायता करता है। पिछले कुछ वर्षों में संस्थान ने लगातार अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सीमा का विस्तार किया है, तथा उन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप ढाला है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप प्रतिभागियों के बीच उल्लेखनीय रूप से उच्च संतुष्टि दर प्राप्त हुई है, जो लगातार नवाचार और नई प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों को अपनाने से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, शोध अध्ययनों से प्राप्त अंतर्दृष्टि को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत किया जाता है ताकि प्रशिक्षण सामग्री को बढ़ाया जा सके।

संस्थान के मिशन का एक अभिन्न अंग इसके संबद्ध संस्थानों, अर्थात् राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) की प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना है। इसमें इन संस्थानों के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और संकाय को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। संस्थान विविध प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के संकाय सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इसके अलावा, एनआईआरडीपीआर कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण केंद्र (सीआईसीटीएबी), एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र (सीआईआरडीएपी), यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है।

संस्थान ने पंचायती राज पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए कई पहल की हैं। इनमें ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पर केंद्रित प्रशिक्षण संसाधन, प्रशिक्षक और विशेषज्ञ तैयार करना शामिल है। संस्थान विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भू-सूचना विज्ञान अनुप्रयोगों की बढ़ती प्रासंगिकता को भी स्वीकार करता है। इसे संबोधित करने के लिए, संस्थान के भीतर ग्रामीण विकास में भू-सूचना विज्ञान अनुप्रयोग केंद्र (सी-गार्ड) नवीनतम भू-सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम विकसित करता है।

1.5 अनुसंधान और परामर्श

अनुसंधान संस्थान की गतिविधियों का एक स्तंभ है, जिसका उद्देश्य उभरती हुई विकासात्मक संबंधों को समझना और ग्रामीण विकास पद्धतियों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। इसमें एक व्यापक दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें संस्थान ग्रामीण आबादी के सामाजिक कल्याण को बढ़ाने में योगदान देने वाले कारकों की जांच और मूल्यांकन करता है, जिसमें ग्रामीण गरीबों जैसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह अनुसंधान विभिन्न शोध प्रयासों के माध्यम से होता है, जिसमें शोध अध्ययन, कार्रवाई-आधारित शोध परियोजनाएं, मामला अध्ययन और परामर्श अध्ययन शामिल हैं। संस्थान द्वारा किया गया अनुसंधान स्थल पर ही किया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, जो संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आकार देने तथा ग्रामीण विकास से संबंधित नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संस्थान विशिष्ट स्थानों के लिए लक्षित कार्य अनुसंधान में भी संलग्न है। इसमें व्यवस्थित रूप से विषय या मॉडल का क्षेत्र-परीक्षण करना और दिए गए स्थान में मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर हस्तक्षेप को समायोजित करना शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन के लिए जन-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, स्थानीय निर्णय लेने और सहभागितापूर्ण मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाना है।

इसके अतिरिक्त, संबद्ध राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी) और विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों (ईटीसी) के साथ-साथ अन्य नेटवर्किंग संस्थानों के साथ सहयोगात्मक प्रयास किए जाते हैं। संस्थान विविध विकास विषयों को कवर करते हुए अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों को परामर्श सहायता प्रदान करके अपनी विशेषज्ञता का विस्तार करता है। इसके अलावा, संस्थान केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुरोधों के जवाब में अनुसंधान अध्ययन भी करता है।

1.6 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

विकास में तेजी लाने और सतत ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त और सस्ती तकनीकों के व्यापक प्रसार की पहल के भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर ने 1999 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) की स्थापना की। इसका उद्देश्य कौशल संवर्धन और उद्यमिता विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की आजीविका को बढ़ाना है। आरटीपी में राष्ट्रीय ग्रामीण भवन केंद्र 40 विभिन्न तकनीकों के साथ ग्रामीण आवासों के लागत प्रभावी मॉडल प्रदर्शित करता है। व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों के अच्छी संख्या में मॉडल के साथ एक स्वच्छता पार्क भी स्थापित किया गया था, जो ग्रामीण जनता के लिए सस्ती हैं। ग्रामीण प्रौद्योगिकियों, नवाचारों, ग्रामीण उत्पादों के विपणन आदि को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। महानिदेशक का बंगला, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके टिकाऊ

आवास को बढ़ावा देने के लिए आरटीपी की एक टिकाऊ आवास पहल है, और इसने 2018 में अभिनव/उभरते और आपदा प्रतिरोधी आवास सहित लागत प्रभावी ग्रामीण/शहरी आवास के लिए एचयूडीसीओ पुरस्कार जीता।

आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

1.7 नवोन्मेषी कौशल एवं आजीविका

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अभिनव कौशल विकास और आजीविका संवर्धन के उद्देश्य से विशेष प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए, एनआईआरडीपीआर के भीतर अलग-अलग परियोजनाएं और संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें डीडीयू-जीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) को समर्पित संसाधन प्रकोष्ठ, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) पर केंद्रित परियोजना प्रकोष्ठ और एसआर शंकरन चेयर शामिल हैं।

डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम भारत के वंचित ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के दायरे में आते हैं। एक केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में, संस्थान एक राष्ट्रीय स्तर की समन्वय इकाई के रूप में कार्य करता है जो नीति परामर्श और डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। एनआईआरडीपीआर का डीडीयू-जीकेवाई प्रकोष्ठ राज्यों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) दोनों को प्रशिक्षण और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डीएवाई-एनआरएलएम को समर्पित संसाधन प्रकोष्ठ की स्थापना 2012 में की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य विविध ग्रामीण आजीविका पहलों को सुविधाजनक बनाना और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को संबोधित करना था। एनआरएलएम के लिए यह संसाधन प्रकोष्ठ विभिन्न विषयगत क्षेत्रों जैसे कि संस्थागत निर्माण और क्षमता निर्माण (आईबीसीबी), वित्तीय समावेशन (एफआई), जेंडर और आजीविका पर केंद्रित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करता है। ये कार्यक्रम एनजीओ, बैंकर, पीआईए, सरकारी अधिकारी और समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) सहित प्रतिभागियों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करते हैं।

संस्थान में आरसेटी परियोजना प्रकोष्ठ विभिन्न राज्यों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए बैंकों के साथ सहयोग करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है। इस क्षमता में, संस्थान बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए निधि तक पहुँचने के लिए विभिन्न प्रायोजक बैंकों से प्रस्तावों को संसाधित करने का कार्य करता है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से 2012 में स्थापित, ग्रामीण श्रम पर एस आर शंकरन चेयर, ग्रामीण मजदूरों के जीवन और कार्य स्थितियों की बेहतर समझ और संवर्धन में योगदान देने वाले मामलों पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है।

1.8. शैक्षणिक कार्यक्रम

समय-समय पर ग्रामीण विकास के लिए की गई विभिन्न पहलों के प्रभावी और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए पेशेवरों की मांग सृजित हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने 2008 में ग्रामीण विकास प्रबंधन में एकवर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में ग्रामीण विकास प्रबंधन पेशेवरों का एक बड़ा समूह तैयार करना है, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

बदलते विकास परिदृश्यों और प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक योग्यताओं की व्यापक समझ रखने वाले पेशेवरों की आवश्यकता के संदर्भ में, यह महसूस किया गया कि एक लम्बी अवधि के कार्यक्रम की आवश्यकता है। तदनुसार, वर्ष 2018 में, संस्थान ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली से अनुमोदन के साथ दो वर्षीय पूर्णकालिक पीजीडीएम-आरएम कार्यक्रम शुरू किया।

संस्थान की व्यापक पहुँच की पहल को आगे बढ़ाते हुए, 2010 में एक दूरस्थ शिक्षा प्रकोष्ठ (डीईसी) की स्थापना की गई तथा सतत ग्रामीण विकास में एकवर्षीय पीजी डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी) की शुरुआत की गई। विशेष आदिवासी विकास पेशेवरों के एक सुप्रशिक्षित समूह को विकसित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संस्थान ने जनवरी 2013 में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आदिवासी विकास में एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीटीडीएम) भी शुरू किया। इसके अलावा, ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीजीएआरडी) अगस्त 2015 में शुरू हुआ।

1.9 नीति परामर्श

एनआईआरडीपीआर को ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों की कमेटी के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। इसके भाग के रूप में, संस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं पर कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि करता है, ताकि विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के नीति निर्माण और प्रभावी प्रबंधन के लिए इनपुट प्रदान किए जा सके। ये विकास प्रशासन और प्रबंधन में बारीकियों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को अत्याधुनिक फीडबैक के रूप में कार्य करते हैं।

1.10 प्रशासन और वित्त

संस्थान के प्रशासन और वित्त विंग प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों को करने में संकाय सदस्यों को सहायता और सुविधा प्रदान करते हैं। संस्थान की नीतियों और रणनीतियों का निर्धारण महापरिषद (जीसी) द्वारा किया जाता है। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन कार्यकारी परिषद (ईसी) में निहित है, जिसके अध्यक्ष ग्रामीण विकास सचिव हैं। महानिदेशक संस्थान के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। शैक्षणिक और अनुसंधान सलाहकार समितियां प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, परामर्श और शैक्षणिक गतिविधियों का मार्गदर्शन करके संस्थान की सहायता करती हैं। प्रोफेसर वाई. के. अलघ समिति की सिफारिशों के आधार पर, संस्थान को स्कूलों में पुनर्गठित किया गया है और प्रत्येक स्कूल में केंद्र बनाए गए हैं।

संस्थान के वित्त एवं लेखा प्रभाग के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बजट बनाना, निधियों का आहरण, लेखा-जोखा, प्राप्तियों एवं भुगतानों का वर्गीकरण, वार्षिक लेखा की तैयारी एवं संकलन, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा को मंत्रालय को प्रस्तुत करना, तथा प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रशासन/प्रशिक्षण/परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर वित्तीय सलाह प्रदान करना शामिल है।

1.11 प्रसार और प्रकाशन

एनआईआरडीपीआर को ग्रामीण विकास पर सूचना प्रसारित करने का दायित्व प्राप्त है। संस्थान ने वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के मुद्दों पर साहित्य प्रकाशित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक 'जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट' ग्रामीण विकास और विकेन्द्रित शासन पर अग्रणी अकादमिक पत्रिकाओं में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। संस्थान का समाचार पत्र 'प्रगति' अंग्रेजी और हिंदी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यापक प्रचार प्रदान करने और संस्थान द्वारा नियमित आधार पर की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को उजागर करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। संस्थान अनुसंधान रिपोर्ट और मामला अध्ययन श्रृंखला के तहत प्रकाशन भी प्रकाशित करता है। संस्थान के पुस्तकालय ने ग्रामीण विकास पर अनुसंधान विशेषताएं, प्रशिक्षण/पठन सामग्री और संकाय प्रकाशन जैसे संस्थागत प्रकाशनों का डिजिटलीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

अध्याय – 2
प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

2.1. एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

संस्थान ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की प्रभावकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आधारशिला गतिविधि के रूप में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर जोर देता है। एनआईआरडीपीआर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में काफी विशेषज्ञता रखता है, जो नीतियों को आकार देने, प्रबंधन की देखरेख करने और ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यक्रमों के भीतर पहलों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने में साथ ही संबंधित कार्य क्षेत्रों में भी सहायक होते हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम ज्ञान का आधार तैयार करने, आवश्यक कौशल विकसित करने तथा प्रतिभागियों में उचित दृष्टिकोण और मूल्यों से ओतप्रोत करने के लिए पूरी बारीकी से परिकल्पित किए गए हैं।

एनआईआरडीपीआर के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य देश भर में विकास पेशेवरों की क्षमताओं को बढ़ाना है, जिससे उन्हें चल रहे ग्रामीण विकास पहलों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए तैयार किया जा सके। संस्थान लगातार नवीन प्रशिक्षण पद्धतियों और तकनीकों को शामिल करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है, जिन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जाता है।

इसके अलावा, अनुसंधान, कार्य-आधारित शोध, ग्राम अभिग्रहण और मामला अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सोच-समझकर एकीकृत किया जाता है। इन कार्यक्रमों में विश्व भर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों, विशेषकर एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों से, दिलचस्पी जताई गई है। उल्लेखनीय रूप से, एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास और पंचायती राज के राज्य संस्थानों (एसआईआरडीपीआर) के साथ-साथ विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) की क्षमता को मजबूत करने में भी सक्रिय है, जिससे एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से जमीनी स्तर तक अर्जित ज्ञान का प्रसार सुनिश्चित हो सके।

2.1.1. उद्देश्य

एनआईआरडीपीआर के कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किए गए हैं:

- प्रभावी कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन के लिए विकास कार्यकर्ताओं में जागरूकता पैदा करना, कौशल में सुधार करना, सही दृष्टिकोण विकसित करना और उनके ज्ञान को व्यापक बनाना;
- कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और परामर्शों के माध्यम से ग्रामीण आबादी की उभरती जरूरतों पर रणनीति विकसित करना;
- सतत ग्रामीण विकास में उत्साहपूर्ण योगदान के लिए विकास कर्मियों के बीच व्यवहारिक परिवर्तन को सुगम बनाना;
- विकास कार्यकर्ताओं को विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों और सफलता की कहानियों से परिचित कराना

2.1.2. ग्राहक समूह

ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से जुड़े केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित और आधिकारिक सदस्यों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), शिक्षाविदों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों आदि सहित अन्य हितधारकों के लिए परिकल्पित किए गए हैं।

2.1.3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन

एनआईआरडीपीआर में वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने में एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया शामिल है जिसका उद्देश्य उभरते ग्रामीण विकास रुझानों को संस्थान के व्यापक दृष्टिकोण के साथ सहजता से जोड़ना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले एक प्रारंभिक कार्यशाला आयोजित की जाती है, जिसमें ग्रामीण विकास के प्रमुख विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन कार्यशालाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि प्रशिक्षण मॉड्यूल के बाद की परिकल्पना के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम करती है। इसके बाद, प्रारंभिक चरण में एनआईआरडीपीआर के परिसर में

आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) सत्र शामिल हैं, जो कुशल प्रशिक्षकों के विकास को पूरा करते हैं। इसके बाद, यह जिम्मेदारी राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) को सौंपी जाती है, जो प्रशिक्षण को अगले स्तर तक ले जाते हैं।

इसके अलावा, संस्थान अपने अनुसंधान अध्ययनों से प्राप्त मूल्यवान इनपुट को प्रशिक्षण पहलों की परिकल्पना को आकार देने के लिए शामिल करता है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण सामग्री अद्यतित, प्रासंगिक और जमीनी हकीकत के अनुरूप बनी रहे। विषयगत कार्यशालाओं, अनुसंधान अंतर्दृष्टि और टीओटी सत्रों को शामिल करने वाले चरणबद्ध दृष्टिकोण सहित इनपुट के इन बहुआयामी स्रोतों का लाभ उठाकर संस्थान यह सुनिश्चित करता है कि इसका प्रशिक्षण कैलेंडर ग्रामीण विकास हितधारकों की गतिशील आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है, जबकि क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता को बनाए रखता है।

2.1.4. प्रशिक्षण विधियाँ

प्रशिक्षण की विविधतापूर्ण प्रकृति और प्रतिभागियों की विविध प्रोफ़ाइल तथा प्रशिक्षण की ऑनलाइन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया गया। इन विधियों में व्याख्यान-सह-चर्चा, केस अध्ययन, समूह चर्चा, पैनल चर्चा, अभ्यास और व्यावहारिक सत्र (प्रदर्शन), सफलता की कहानियां आदि शामिल थीं। प्रशिक्षण पद्धति के भाग के रूप में, स्रोत व्यक्तियों, दोनों आंतरिक और बाहरी, द्वारा प्रस्तुतियाँ और प्रतिभागियों के साथ अनुभव साझा करना और बातचीत की सुविधा प्रदान की गई।

2.1.5. प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति (टीक्यूआईएमसी)

प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गुणात्मक पहलुओं में सुधार करना हमेशा से संस्थान की प्राथमिकता रही है। इस संबंध में, प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति (टीक्यूआईएमसी) का गठन किया गया था, जिसके सदस्य आंतरिक और बाहरी विषय विशेषज्ञों से लिए गए थे, जो पाठ्यक्रम परिकल्पना और सामग्री की जांच करते थे और कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के उपाय सुझाते थे।

2.1.6. प्रशिक्षण कार्यक्रम: 2022-23

वर्ष 2022-23 के दौरान 1441 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और एसआईआरडीपीआर, ईटीसी और अन्य आरडी एवं पीआर संस्थानों के संकाय सदस्यों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, एनआईआरडीपीआर और इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा 436 ऑफ-कैंपस कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का औसत स्कोर 87 प्रतिशत था। संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का श्रेणीवार विवरण **तालिका 2.1** में प्रस्तुत किया गया है। 2022-23 के दौरान एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणीवार वितरण **परिशिष्ट-I** में रखा गया है।

तालिका 2.1: 2022-23 में आयोजित कार्यक्रमों के प्रकार

प्रकार	एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद	एनआईआरडी पीआर-एनईआरसी	एनआईआरडी पीआर, दिल्ली शाखा	कुल
प्रशिक्षण कार्यक्रम	471	86	0	557
कार्यशालाएं, सेमिनार / वेबिनार / सम्मेलन	396	23	11	430
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	190	38	3	231
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	6	0	6	12
प्रदर्शन दौरे	201	0	0	201
प्रेरण और अभिविन्यास	3	7	0	10
कुल	**1267**	**154**	**20**	**1441**

2022-23 में आयोजित कार्यक्रमों के प्रकार

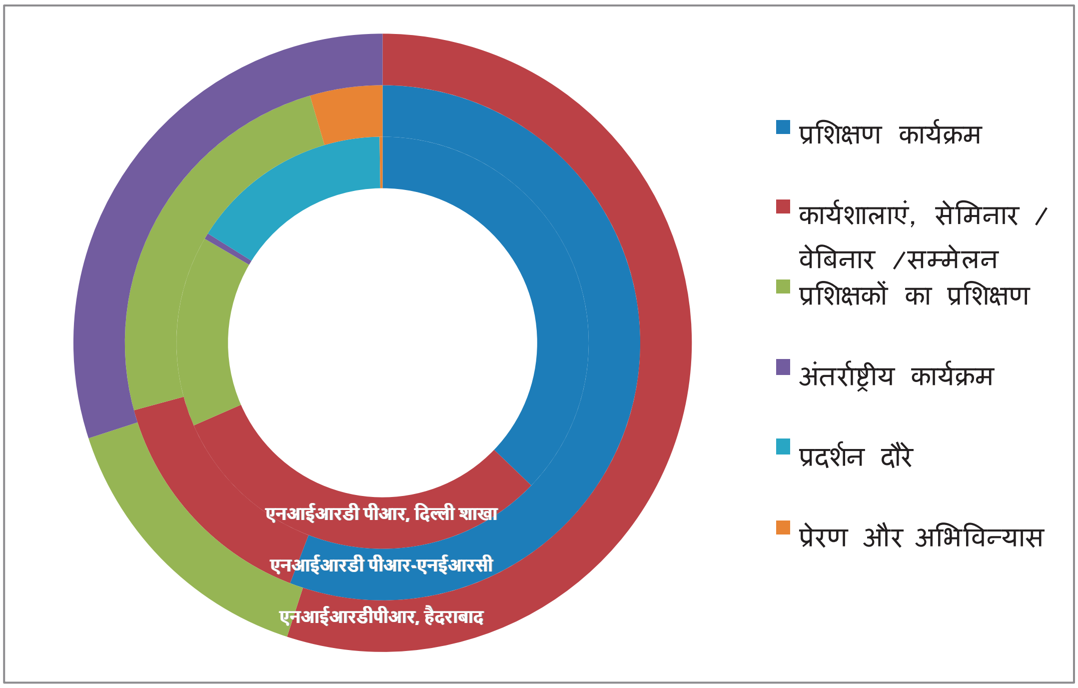

संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्वरूप का विवरण **तालिका 2.2** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.2: 2022-23 में आयोजित कार्यक्रमों का स्वरूप

प्रकार	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
ऑनलाइन	173 (हाइब्रिड प्रकार में आयोजित कार्यक्रमों सहित)	8587
ऑफ़लाइन	1268	57613
कुल	**1441**	**66200**

2.1.7. प्रतिभागियों का विवरण

जैसा कि **तालिका 2.3** से देखा जा सकता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिभागी सरकारी अधिकारी थे। अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) और अन्य, जैसे कि एसएचजी, किसान और युवा, के प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या भी उस समूह का हिस्सा थी, जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए।

तालिका 2.3: प्रशिक्षुओं की प्रोफाइल

श्रेणी	एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद	एनईआरसी-गुवाहाटी	दिल्ली शाखा	कुल योग
सरकारी अधिकारी	13867	2573	616	17056
बैंकर्स एवं वाणिज्यिक संगठन	18956	2373	479	21808
जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थाएं	2305	35	0	2340
स्वैच्छिक संगठन/एनजीओ	1129	121	131	1381
राष्ट्रीय/राज्य संस्थाएं	1227	24	17	1268
विश्वविद्यालय / कॉलेज	7045	139	35	7219
अंतर्राष्ट्रीय	109	0	2	111
अन्य/युवा/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/व्यक्ति	14728	46	243	15017
कुल	**59366**	**5311**	**1523**	**66200**

प्रशिक्षुओं की रूपरेखा

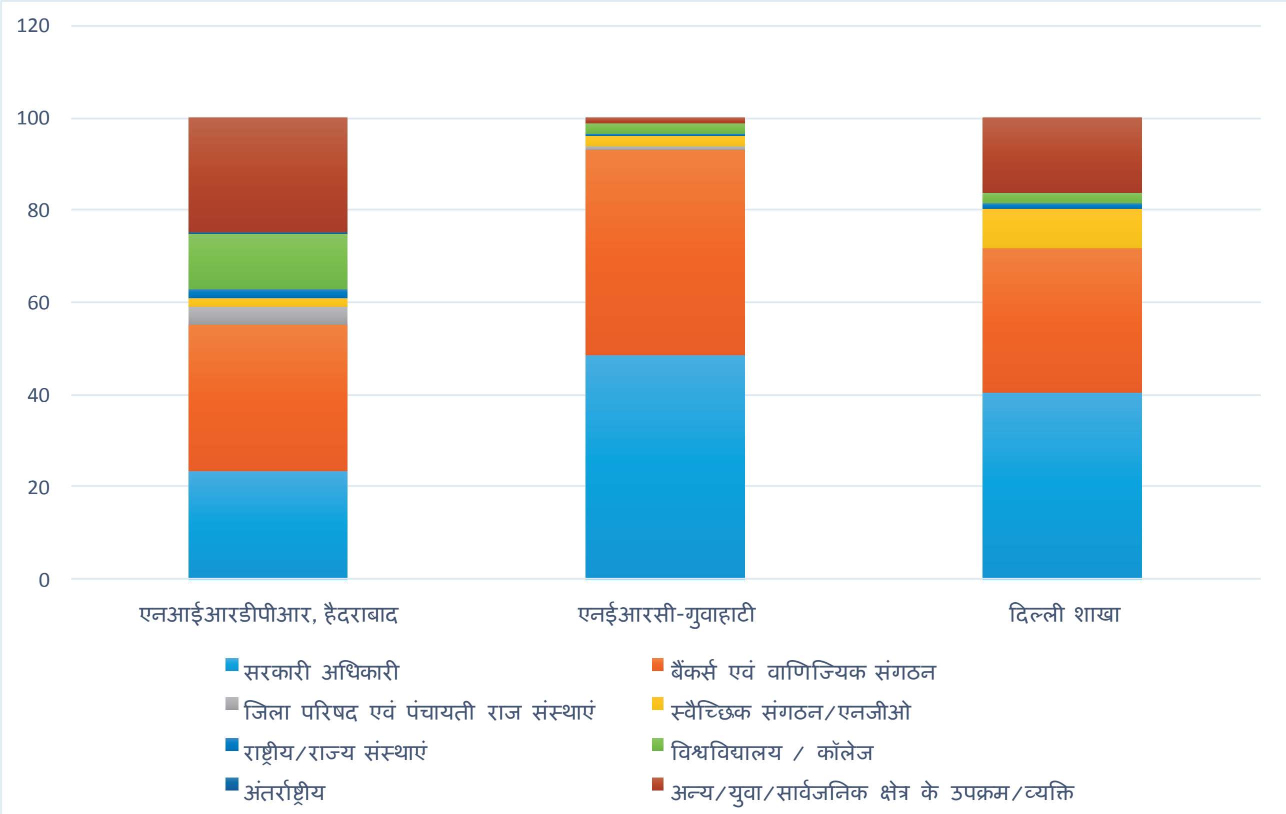

2.1.8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जेंडर विभाजन

एनआईआरडीपीआर ऐसे कार्यक्रमों को डिजाइन करने में ठोस प्रयास करता है जो जेंडर-तटस्थ प्रकृति के हों। कार्यक्रम पुरुष और महिला प्रतिभागियों दोनों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। **ग्राफ 2.1** एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों के जेंडर विभाजन का विवरण प्रस्तुत करता है।

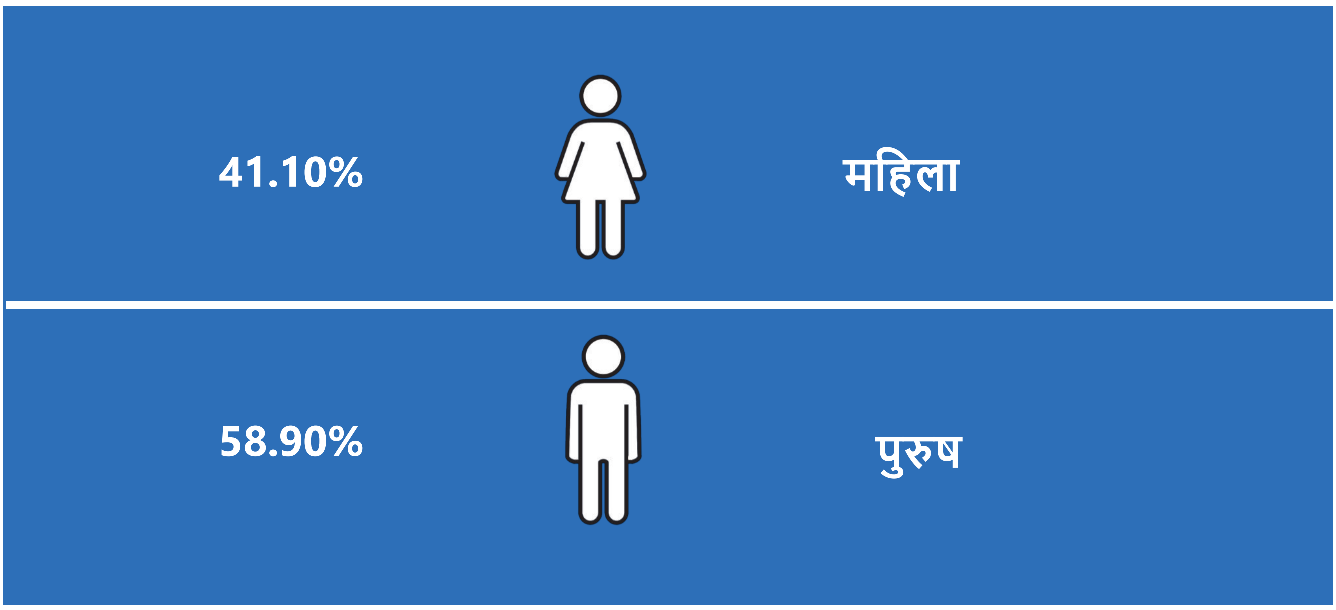

ग्राफ 2.1: एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों के जेंडर विभाजन

2.1.9. राज्यवार भागीदारी

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रशिक्षुओं की राज्यवार भागीदारी **तालिका 2.4** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.4: एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों के राज्यवार प्रतिभागी

क्र. सं.	राज्य	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार (केन्द्रशासित प्रदेश)	183	0.28
2	आंध्र प्रदेश	1,687	2.55
3	अरुणाचल प्रदेश	681	1.03
4	असम	1,714	2.59
5	बिहार	959	1.45
6	छत्तीसगढ	4,269	6.46
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (केन्द्रशासित प्रदेश)	477	0.72
8	दिल्ली	231	0.35
9	गोवा	514	0.78
10	गुजरात	2,792	4.22
11	हरियाणा	824	1.25
12	हिमाचल प्रदेश	2,120	3.21
13	जम्मू और कश्मीर (केन्द्रशासित प्रदेश)	1,295	1.96
14	झारखंड	1,197	1.81
15	कर्नाटक	1,149	1.74
16	केरल	1,579	2.39
17	लक्षद्वीप (केन्द्रशासित प्रदेश)	12	0.02
18	मध्य प्रदेश	1,280	1.94
19	महाराष्ट्र	1,706	2.58
20	मणिपुर	586	0.89
21	मेघालय	1,112	1.68
22	मिजोरम	468	0.71
23	नागालैंड	461	0.70
24	ओडिशा	978	1.48
25	पुडुचेरी (केन्द्रशासित प्रदेश)	743	1.12
26	पंजाब	2,338	3.54
27	राजस्थान	3,878	5.87
28	सिक्किम	504	0.76
29	तमिलनाडु	3,271	4.95
30	तेलंगाना	11,889	17.99
31	त्रिपुरा	908	1.37
32	उत्तर प्रदेश	8,160	12.35
33	उत्तराखंड	1,838	2.78
34	लद्दाख	455	0.69
35	पश्चिम बंगाल	717	1.08
36	एनआईआरडीपीआर	627	0.95
37	अन्य*	2487	3.76
	कुल	**66,089**	
	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी	111	
	कुल योग	**66,200**	

**अधिकांश ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए प्रतिभागियों के निवास राज्य से संबंधित डेटा का पता नहीं लगाया जा सका, इसलिए उन्हें अन्य श्रेणी में रखा गया।*

एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों के राज्यवार प्रतिभागी

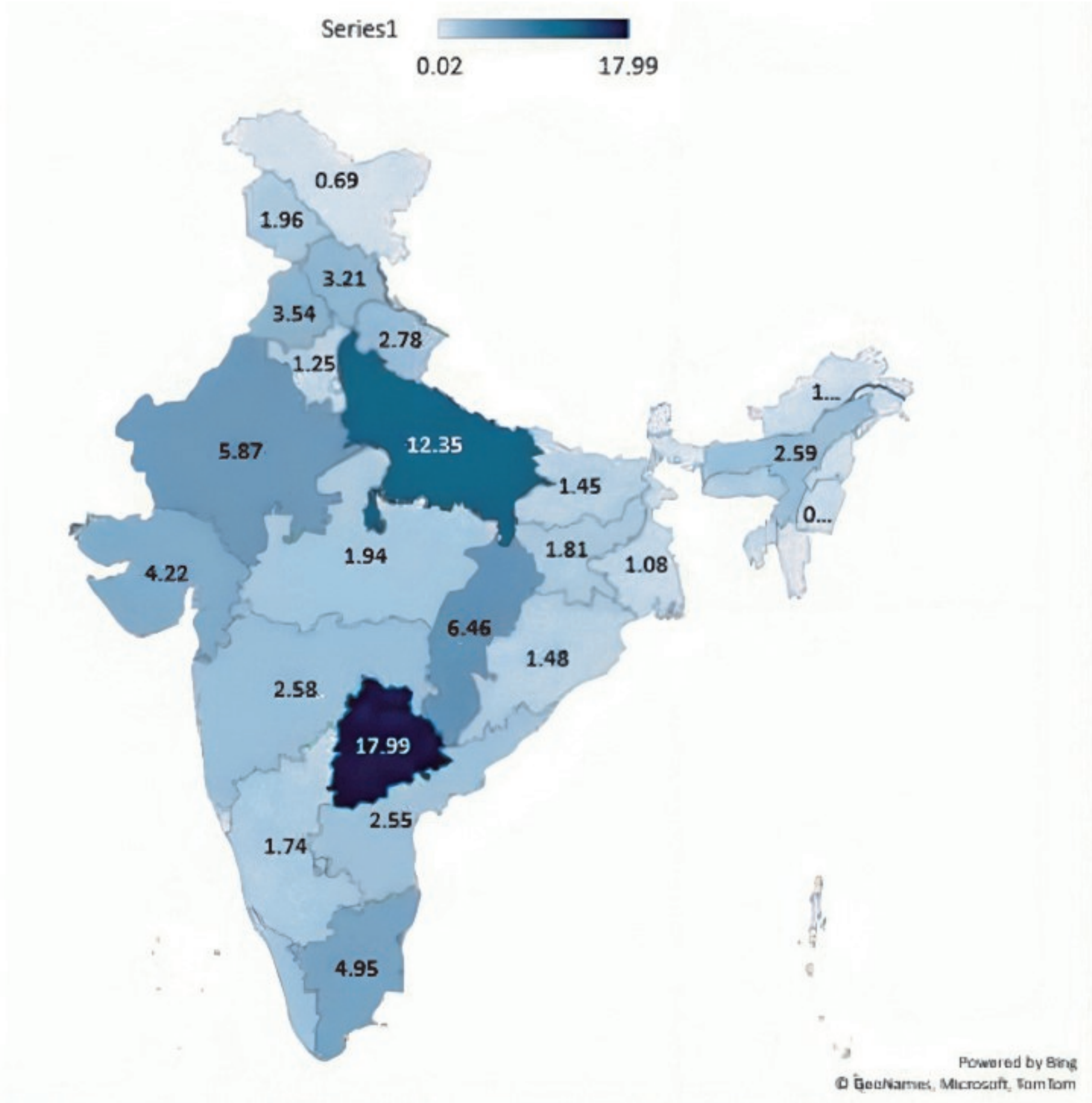

2.1.10. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

विकासशील देशों के लाभ के लिए भारतीय अनुभव को साझा करने के प्रयासों के तहत, संस्थान ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। ये कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी), सीआईसीटीएबी, एएआरडीओ, मालदीव सरकार और एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों के तहत आयोजित किए जाते हैं। 2022-23 के दौरान, 12 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए और विकासशील देशों के 111 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागी मुख्य रूप से एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कैमरून, क्यूबा, मिस्र, इथियोपिया, घाना, इराक, जॉर्डन, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया, ओमान, दक्षिण सूडान, श्रीलंका, सूडान, सीरिया, ताजिकिस्तान, तंजानिया, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम, और जाम्बिया से थे। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को महत्व देने के लिए एनआईआरडीपीआर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम कर रहा है। कार्यक्रमों एवं प्रतिभागियों का विवरण **तालिका-2.5** में दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के शीर्षक इस प्रकार हैं:

आईटीईसी कार्यक्रम

1. मालदीव के द्वीप परिषदों और एलजीए के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण
2. मालदीव के एटोल परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का प्रशिक्षण

तालिका 2.5: अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का विवरण		
श्रेणी	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों की संख्या
एएआरडीओ	1	14
सीआईसीटीएबी	1	14
आईटीईसी	4	81
एनआईआरडीपीआर	6	2
कुल योग	**12**	**111**

3. "ग्रामीण विकास में भू-सूचना विज्ञान अनुप्रयोग" पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
4. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए सुशासन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीआईसीटीएबी कार्यक्रम

1. कौशल, आजीविका और वित्तीय समावेशन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

एएआरडीओ कार्यक्रम

1. "प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन" पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. वर्ष के दौरान साक्ष्य-आधारित नीति और कार्य गोलमेज श्रृंखला पर छह वेबिनार आयोजित किए गए।

2 अगस्त 2022 को एनआईआरडीपीआर और मालदीव गणराज्य के स्थानीय सरकार प्राधिकरण (एलजीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और मालदीव में भारतीय उच्चायोग के सहयोग से सुगम बनाया गया। इस समझौते के भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर ने 2022 से 2026 तक चार वर्षों में मालदीव में स्थानीय सरकार प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को लागू करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है। एनआईआरडीपीआर की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीटी) पहल का उद्देश्य मालदीव में मौजूदा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण ढांचे को प्रतिस्थापित या नया रूप देना नहीं है, बल्कि मालदीव में स्थानीय सरकार प्राधिकरण और मालदीव स्थानीय शासन संस्थान (एमआईएलजी) की पहलों को पूरक और मजबूत करना है। इसे उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त जानकारी प्रदान करके तथा एनआईआरडीपीआर में प्रशिक्षण सत्रों के दौरान प्रदर्शित भारत की स्वशासन संस्थाओं (ग्रामीण और शहरी दोनों) की सफल पद्धतियों का लाभ उठाकर प्राप्त किया जाएगा। श्रृंखला के 60 नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से पहला कार्यक्रम मालदीव में एटोल परिषदों (भारत में जिला पंचायतों के समान) के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए 19 से 31 दिसंबर 2022 तक एनआईआरडीपीआर में आयोजित किया गया था। दूसरा कार्यक्रम 6 से 17 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया, जिसमें द्वीप परिषदों और मालदीव के स्थानीय सरकार प्राधिकरण के प्रतिनिधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन कार्यक्रमों में कुल 44 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

2.1.11. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण लोगों के सशक्तिकरण के माध्यम से आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को एकीकृत करके सतत ग्रामीण विकास को सुविधाजनक बनाना है। उभरते ग्रामीण परिदृश्य के संदर्भ में विकास पेशेवरों की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषयों की योजना बनाई गई है। चल रहे ग्रामीण विकास प्रमुख कार्यक्रमों की प्रभावी योजना और प्रबंधन तथा पीआरआई कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की विषयवार संख्या का विवरण **तालिका 2.6** में प्रस्तुत किया गया है।

2.1.12. प्रशिक्षण फीडबैक

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) और गूगल फ़ॉर्म का उपयोग करके पाँच-बिंदु पैमाने पर ई-मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। यह मूल्यांकन प्रशिक्षण डिज़ाइन, सामग्री, प्रशिक्षण विधियों, प्रशिक्षण सामग्री, वक्ताओं की प्रभावशीलता आदि जैसे घटकों के संदर्भ में किया जाता है, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। 2022-23 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कुल औसत स्कोर 87 प्रतिशत था।

तालिका 2.6: कार्यक्रमों का विषयवार विभाजन		
क्र. सं.	विषय	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या
1	गरीबी उन्मूलन और आजीविका	603
2	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	90
3	उत्तरदायी प्रशासन का निर्माण	107
4	पीआरआई को प्रभावी बनाना	53
5	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	37
6	शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही	60
7	जीआईएस अनुप्रयोग	46
8	जेंडर बजट और जेंडर उत्तरदायी शासन	46
9	सहभागी योजना और विकेंद्रीकरण	50
10	ई-शासन	169
11	ग्रामीण सूक्ष्म उद्यम	134
12	सामुदायिक सशक्तिकरण	6
13	ग्रामीण विकास में नवाचार और सर्वोत्तम पद्धति	40
	कुल	**1441**

कार्यक्रमों का विषयवार विभाजन

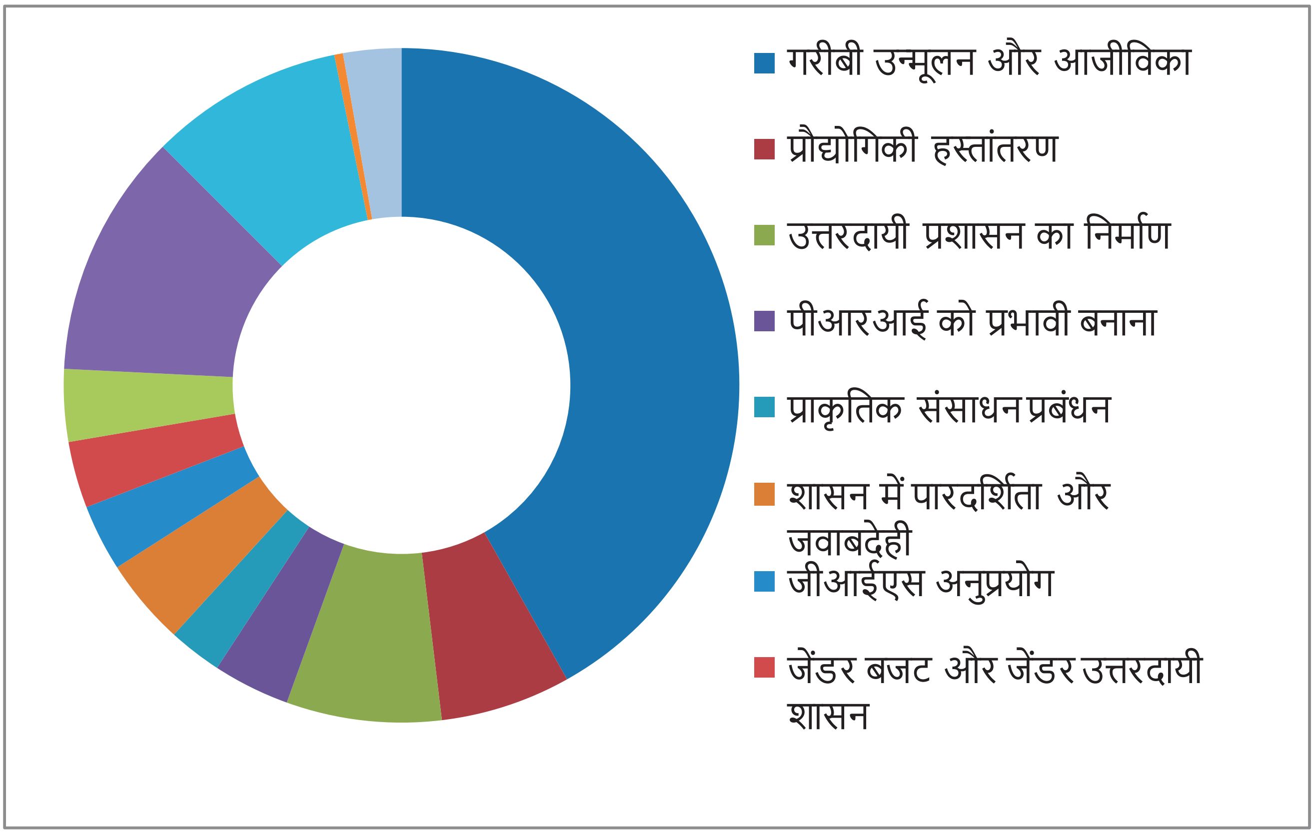

2.1.13. पिछले वर्षों में प्रशिक्षण प्रदर्शन

2018-19 से शुरू होने वाले पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रशिक्षण प्रदर्शन को **चित्र 2.2** में दर्शाया गया है।

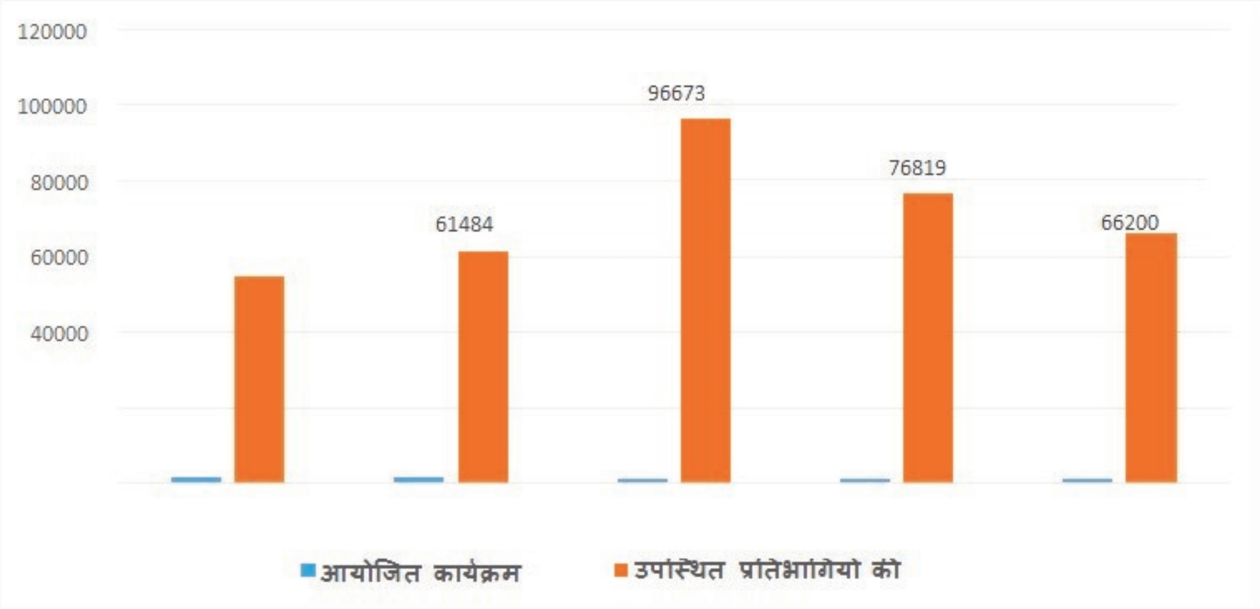

चित्र 2.2: पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षण प्रदर्शन

2.1.13. प्रशिक्षण फीडबैक

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) और गूगल फ़ॉर्म का उपयोग करके पाँच-बिंदु पैमाने पर ई-मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। यह मूल्यांकन प्रशिक्षण डिज़ाइन, सामग्री, प्रशिक्षण विधियों, प्रशिक्षण सामग्री, वक्ताओं की प्रभावशीलता आदि जैसे घटकों के संदर्भ में किया जाता है, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। 2022-23 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कुल औसत स्कोर 87 प्रतिशत था।

2.2. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों (ईटीसी) के साथ नेटवर्किंग

एनआईआरडीपीआर को प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण विकास और पंचायती राज पदाधिकारियों की बड़ी संख्या की क्षमता का निर्माण करने के लिए एसआईआरडी और ईटीसी को मजबूत करने का अधिदेश प्राप्त है। इन प्रयासों से विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना और कार्यान्वयन में मदद मिलने की उम्मीद है। इस नेटवर्किंग प्रयास के एक हिस्से के रूप में, एनआईआरडीपीआर कई योजनाओं और कार्यक्रमों का समन्वय कर रहा है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

2.2.1. एसआईआरडी और ईटीसी के प्रमुखों के साथ क्षेत्रीय बैठकें

8-9 दिसंबर 2022 के दौरान एसआईआरडी और ईटीसी के प्रमुखों के साथ दो दिवसीय ऑनलाइन समीक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। बैठकों में एसआईआरडी और ईटीसी की प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों की समीक्षा के अलावा, आरडी संस्थानों के बीच नेटवर्किंग रणनीति, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और एसआईआरडी: संसाधन केंद्र के रूप में जैसे अन्य मुद्दों पर समीक्षा और चर्चा की गई।

2.2.2. एसआईआरडी और ईटीसी के विकास के लिए केंद्रीय योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) 'आरडी कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन समर्थन और जिला योजना प्रणाली को मजबूत बनाने' की केंद्रीय योजना के तहत एसआईआरडी और ईटीसी को गैर-आवर्ती और आवर्ती मदों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। परिसर विकास कार्यों, शिक्षण सहायक सामग्री, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद सहित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए गैर-आवर्ती व्यय के लिए एसआईआरडीपीआर और ईटीसी को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, एमओआरडी गैर-पूर्वोत्तर राज्यों में एसआईआरडीपीआर को आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत, पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में एसआईआरडीपीआर को आवर्ती व्यय का 90 प्रतिशत प्रदान करता है। इसके अलावा, सात मुख्य संकाय सदस्यों के वेतन पर व्यय की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सभी एसआईआरडीपीआर को साल-दर-साल आधार पर प्रदान की जाती है। ई.टी.सी. के मामले में, आर.डी.

एवं पी.आर. पदाधिकारियों और पी.आर.आई. सदस्यों के क्षमता निर्माण के लिए आवर्ती व्यय हेतु प्रति ई.टी.सी. को प्रति वर्ष 20 लाख रुपये की अधिकतम केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। संस्थान को प्रस्तावों की जांच करके और योजना के तहत वित्त पोषण सहायता की मंजूरी पर विचार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एसआईआरडी-ईटीसी विशिष्ट सिफारिशें करके एसआईआरडी-ईटीसी को वित्त पोषण सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। प्रस्तावों की जांच के भाग के रूप में, संस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज के प्रमुख कार्यक्रमों के विशेष संदर्भ में मौजूदा बुनियादी ढांचे, संकाय की स्थिति और प्रशिक्षण प्रदर्शन के संदर्भ में संस्थानों से संपर्क करता है।

2.2.3. एनआईआरडीपीआर-राज्य संपर्क अधिकारी योजना

राज्य संपर्क अधिकारी (एसएलओ) एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्य हैं जो राज्यों और एसआईआरडीपीआर को प्रणाली के तहत आरडी एवं पीआर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं। राज्य सरकारों, एसआईआरडीपीआर, ईटीसी और अन्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और कार्य अनुसंधान के क्षेत्रों में एसएलओ से अकादमिक सहायता मिली है।

2.2.4. एसआईआरडी और ईटीसी का प्रशिक्षण प्रदर्शन

एनआईआरडीपीआर-एसआईआरडीपीआर-ईटीसी के 'नेटवर्क' ने आयोजित कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि और ग्राहक समूहों की कवरेज दोनों के संदर्भ में प्रशिक्षण गतिविधियों के विस्तार में वृद्धि की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं द्वारा प्रमुख कार्यक्रमों के शुभारंभ के साथ, संस्थान राज्यों की जरूरतों और अनुरोधों के आधार पर विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ-साथ एसआईआरडी और ईटीसी के लिए इन पहलों पर विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित करता है। वर्ष 2022-2023 में लगभग 15,000 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और विभिन्न एसआईआरडी/ईटीसी द्वारा 13.75 लाख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

2022-23 के दौरान एसआईआरडीपीआर और ईटीसी द्वारा आयोजित राज्यवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण **तालिका 2.7** में प्रस्तुत किया गया है।

2.2.5. राज्य और एसआईआरडीपीआर अधिकारियों के लिए प्रदर्शन दौरे

सीआरटीसीएन की एसआईआरडी इकाई ने बिहार और असम के एसआईआरडीपीआर और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रदर्शन-सह-अध्ययन दौरे की सुविधा भी प्रदान की है। दौरे के दौरान, विकास की बहुआयामी प्रकृति को आरडी एवं पीआर के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे एमजीएनआरईजीए, पीएमजीएसवाई, एनआरएलएम, कौशल विकास आदि पर विशेष ध्यान देने के साथ समझाया गया ताकि उनके राज्यों में प्रभावी कार्यान्वयन योजनाओं की दिशा में काम किया जा सके। तेलंगाना सरकार की विभिन्न पहलों जैसे ई-सेवा, टी-हब, 2 बीएचके योजना और अन्य शहरी गतिविधियों के अलावा राज्य-विशिष्ट ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे प्रकृति वनम, वैकुंठ धामम, वृक्षारोपण, सामुदायिक समूह जैसे एसएचजी, स्वच्छता, वाटरशेड प्रबंधन को बेहतर समझ के लिए प्रदर्शित करने के लिए ऐतिहासिक स्थानों और मॉडल गांवों का दौरा भी योजनाबद्ध किया गया था।

तालिका 2.7: 2022-23 के दौरान एसआईआरडीपीआर और ईटीसी द्वारा आयोजित राज्यवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क्र. सं.	राज्य	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	222	806517
2.	असम	4951	237453
3.	अरुणाचल प्रदेश	61	3675
4.	बिहार	एन ए	एन ए
5.	छत्तीसगढ	239	20182
6.	गोवा	260	10007
7.	गुजरात*	2698	241653
8.	हरयाणा	424	10501
9.	हिमाचल प्रदेश	81	2008
10.	जम्मू और कश्मीर	31	698
11.	झारखंड	41	1074
12.	कर्नाटक	117	328018
13.	केरल	601	30395
14.	मध्य प्रदेश	4227	219114
15.	महाराष्ट्र	843	31715
16.	मणिपुर	56	1893
17.	मेघालय	175	8657
18.	मिजोरम	317	11334
19.	नगालैंड	191	7107
20.	ओडिशा	167	5510
21.	पंजाब	563	1577
22.	राजस्थान	58	3014
23.	सिक्किम	148	3404
24.	तमिलनाडु	151	105935
25.	तेलंगाना	388	16429
26.	त्रिपुरा	1105	43937
27.	उत्तर प्रदेश	2519	240531
28.	उत्तराखंड	343	12554
29.	पश्चिम बंगाल	153	18693
	कुल	**15896**	**1375940**

इनमें ई.टी.सी. संपर्क कार्यक्रमों और सैटकॉम मोड के माध्यम से पी.आर.आई. पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

अध्याय-3
अनुसंधान और नीति परामर्श

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला में इसकी शुरुआत के मद्देनजर अनुसंधान एनआईआरडीपीआर की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। अनुसंधान प्रयासों से संस्थान को देश के समकालीन ग्रामीण विकास मुद्दों से अवगत रहने में मदद मिलती है। संकाय सदस्यों में ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता की विस्तृत श्रृंखला को देखते हुए, संस्थान भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, कॉर्पोरेट संगठनों आदि के लिए परामर्श अनुसंधान अध्ययन करता है। अनुसंधान अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आयोजित किए जाते हैं:

- ग्रामीण विकास फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर ध्यान देने के साथ बदलते ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को समझना।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाओं की पहचान करना
- आरडी कार्यक्रमों के समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए उपयुक्त नीति और कार्यक्रम के हस्तक्षेप का सुझाव देना।
- अनुसंधान परिणामों के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री का विकास करना
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में ज्ञान का एक समूह बनाना।

एनआईआरडीपीआर में शोध अध्ययन के अनुमोदन की प्रक्रिया में पहले चरण में नीति अनुसंधान सलाहकार समिति (पीआरएसी) द्वारा दिए गए सुझाव शामिल हैं। परिणामतः, संकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की समीक्षा अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) द्वारा की जाएगी जिसमें आंतरिक संकाय सदस्य शामिल होंगे। प्रस्तुत किए जाने के बाद, प्रस्तावों की समीक्षा अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) द्वारा की जाएगी, जिसमें संबंधित क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों के प्रतिष्ठित विद्वान शामिल होंगे। तदनुसार, संकाय अनुसंधान करने की स्वीकृति देगा। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले, अनुसंधान टीम सुधार के सुझावों के लिए अध्ययन मंच में अपने अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।

3.1 अनुसंधान की श्रेणियाँ

संबोधित किए जाने वाले गुणात्मक और मात्रात्मक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान गतिविधियों को व्यापक श्रेणियों में परिभाषित किया गया है, अर्थात् अनुसंधान अध्ययन, मामला अध्ययन, सहयोगात्मक अध्ययन, कार्य अनुसंधान और ग्राम अभिग्रहण और परामर्श अध्ययन। अनुसंधान अध्ययनों की व्यवहार्यता का परीक्षण करने और नीतिगत सिफारिशों के परिणामों का आकलन करने के लिए कार्य अनुसंधान किया जाता है। ग्रामीण विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कार्य अनुसंधान शोधकर्ताओं को जमीनी स्तर पर समस्याओं के बहुत करीब ले जाता है। मामला अध्ययन विशिष्ट प्रशिक्षण मूल्यों और प्रतिकृति के दायरे वाले सफल ग्रामीण विकास पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संकाय सदस्य एसआईआरडीपीआर/ईटीसी, राष्ट्रीय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ सहयोगात्मक अध्ययन करते हैं।

संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता और भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को देखते हुए संस्थान द्वारा विभिन्न परामर्श अध्ययन भी किए जाते हैं।

3.2 2022-23 में किए गए अनुसंधान अध्ययन

वर्ष 2022-23 में विभिन्न श्रेणियों, जैसे अनुसंधान अध्ययन, मामला अध्ययन और सहयोगात्मक अध्ययन के अंतर्गत कुल 39 शोध अध्ययन (विभिन्न चरणों में पिछले वर्षों के 23 चल रहे प्रस्ताव और चालू वर्ष के 16 अध्ययन सहित) किए गए। अध्ययनों का विवरण **परिशिष्ट-II-IV** में दिया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए अनुसंधान अध्ययनों को **परिशिष्ट II** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान 10 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए, जिनका विवरण **परिशिष्ट -III** में दिया गया है। ये अध्ययन आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किए गए। तीन अध्ययन अखिल भारतीय स्तर पर और एक अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया। चूंकि अनुसंधान अध्ययनों की अवधि वित्तीय वर्ष में फैली हुई है, इसलिए संदर्भित वर्ष के दौरान पूरे किए गए अध्ययनों में पिछले वर्षों के दौरान शुरू किए गए अध्ययनों के साथ-साथ चालू वर्ष में किए गए कुछ अध्ययन शामिल हैं। समय सीमा के अनुसार, 13 अध्ययन अभी भी चल रहे हैं और विवरण **परिशिष्ट -IV** में प्रस्तुत किए गए हैं।

3.2.1 अनुसंधान विषय और फोकस क्षेत्र

एनआईआरडीपीआर अनुसंधान अध्ययनों के विषयगत क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण आजीविका, सामाजिक विकास, ग्रामीण श्रमिकों का प्रवास, महात्मा गांधी एनआरईजीएस (फ्लैगशिप कार्यक्रम), किसान उत्पादक संगठन (कृषि क्षेत्र), ग्रामीण आधारभूत संरचना, पोषण शामिल हैं।

3.2.2 अनुसंधान अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष और नीतिगत सिफारिशें

1) सतत आजीविका और वंचित समुदाय: कर्नाटक के चयनित जिलों में वाडी कार्यक्रम का एक अध्ययन - डॉ. राज कुमार पम्मी

नीतिगत सिफारिशें:

- किसानों को अपेक्षित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाएं दी जानी चाहिए।
- किसानों को विपणन संबंधी आधारभूत संरचना और लघु प्रसंस्करण उद्योग तक पहुंच मिलनी चाहिए, जिससे आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- किसानों को बाजार और बाजार संबंधी जानकारी जैसे संसाधनों तक समान पहुंच होनी चाहिए।
- क्लस्टर स्तर पर फसलों के बेहतर विकास के लिए विभिन्न कृषि तकनीकों और विधियों पर क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- क्लस्टर स्तर पर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाए जा सकते हैं ताकि किसान अपनी आजीविका में सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और योजना के लिए डिजिटल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें।
- किसानों को ग्राम सभाओं में अपनी ज़रूरतें व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार, जीपीडीपी विकसित किया जाना चाहिए।

2) अध्ययन क्षेत्र में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और राज्य प्रायोजित योजनाएं तथा डीबीटी का विस्तार - 8 राज्यों का अध्ययन - डॉ. एस. एन. राव

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्यों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने नागरिकों को 'बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता तथा अन्य अवांछनीय परिस्थितियों में उनकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर सार्वजनिक सहायता प्रदान करें।' राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की इस चिंता को दूर करने के लिए एक सांकेतिक रूप से संगठित कार्यक्रम है। एनएसएपी की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी, जो बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत निराश्रित लोगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन व्यक्तियों के पास अपने स्वयं के स्रोत से या परिवार या अन्य स्रोतों से किसी अन्य सहायता के माध्यम से निर्वाह का बहुत कम या कोई नियमित साधन नहीं है। एनएसएपी हस्तक्षेप पाँच घटकों में शामिल हैं: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)और अन्नपूर्णा योजना। एनएसएपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है; राज्यों को लाभार्थी को एक मिलान अनुदान जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों से मासिक पेंशन राशि को दोगुना करने के लिए समान अंशदान करने का भी आग्रह किया है।

एक कुशल और प्रभावी हस्तांतरण प्रणाली की सुविधा के लिए, भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली शुरू की गई थी ताकि लीकेज और देरी को कम करने की रणनीति के साथ लोगों के खातों में कुशलतापूर्वक सब्सिडी हस्तांतरित की जा सके। इसलिए, यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रदान की गई सामाजिक पेंशन, भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता के संदर्भ में लाभार्थियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। गरीबों, बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली मासिक सामाजिक पेंशन भुगतान की कम दरों के लिए भारत सरकार की कड़ी आलोचना की गई है।

यह अध्ययन एनएसएपी और राज्य पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, इसकी दक्षता और पर्याप्तता, आय, खपत, प्राप्त सामाजिक पेंशन, लाभार्थी की बुनियादी मांगों को पूरा करने में इसकी दक्षता और पर्याप्तता, उन्हें गरीबी के जाल में फंसने से बचाने में इसकी भूमिका और उनके सामाजिक विकास का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है।

3) हाशिए पर रहने वाले सामाजिक समूहों के विशेष संदर्भ में ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य स्थिति तक पहुंच – प्रो. ज्योतिस सत्यपालन, प्रो. राजेंद्र पी. ममगाईं, श्री राजेश रौशन

अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के अधिकांश संकेतकों पर ग्रामीण भारत में हाशिए पर रहने वाले सामाजिक समूह बेहतर स्थिति वाले समूहों से पीछे हैं। अधिकांश संकेतक एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं, तथा एक संकेतक

में प्रगति दूसरे संकेतक को भी प्रभावित करती है। स्वास्थ्य स्थिति, सेवाओं तक पहुंच और स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्संबंधों से पता चलता है कि खराब बुनियादी ढांचे, कार्यबल की कमी और देखभाल की गुणवत्ता के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए खतरा पैदा करती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि मृत्यु दर और रुग्णता में काफी कमी आई है तथा अभी भी इसमें गिरावट जारी है, लेकिन इनमें एनएमआर महत्वपूर्ण है, तथा हाशिए पर पड़े समूहों के बच्चों में यह ज्यादा है। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया की गंभीरता अभी भी हाशिए पर पड़े समूहों में अधिक है, अनुसूचित जनजाति के बाद अनुसूचित जाति का स्थान आता है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश ईएजी राज्यों सहित अन्य राज्यों में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की कमी है।

अध्ययन में सिफारिश की गई है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की प्राथमिकताओं के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणालियों को इसके सभी आयामों - स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन, बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जिन राज्यों में हाशिए पर पड़ी आबादी का हिस्सा अधिक है, उन्हें ऐसे समूहों के लिए अलग से आदर्श जिला स्वास्थ्य कार्य योजना (डीएचएपी) तैयार करने की आवश्यकता है। ग्रामीण भारत में सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाली आबादी की द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकेन्द्रीकृत और सूक्ष्म-स्तरीय योजना को छोटे क्षेत्र-आधारित योजना में विभाजित करने की आवश्यकता है।

4) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुंच - प्रो. ज्योतिस सत्यपालन, प्रो. राजेंद्र पी. ममगाईं, श्री खालिद खान

अध्ययन विश्लेषण से पता चलता है कि निजी स्कूल, हालांकि सरकारी स्कूलों की तुलना में कम हैं, सभी स्तरों की शिक्षा प्रदान करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। एकीकृत स्कूल शहरी क्षेत्रों और बेहतर स्थिति वाले राज्यों में, खास तौर पर निजी स्कूलों में बहुत ज़्यादा केंद्रित हैं। विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि उल्लेखनीय संख्या में स्कूल एकल-कक्षा वाले स्कूल और एकल-शिक्षक वाले स्कूल हैं। स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर एकल-कक्षा विद्यालय और एकल-शिक्षक विद्यालय हावी हैं। बड़ी संख्या में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। निष्कर्षों के आधार पर, अध्ययन में नीतिगत सुझाव दिए गए, जिनमें संसाधनों की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के प्रदर्शन में सुधार के लिए विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में विशेष कार्यक्रम ; स्कूलों में शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में संसाधनों को एकीकृत किया जाएगा ताकि इनपुट के प्रावधान को छात्रों के बीच सीखने के परिणामों में प्रभावी रूप से सुधार करने में परिवर्तित किया जा सके; अंतर्निहित कठिनाइयों की जांच के लिए छात्रों के बीच सीखने के परिणामों पर विशेष सर्वेक्षण; तथा अंग्रेजी भाषा और संख्यात्मक साक्षरता पर विशेष ध्यान देने के साथ सरकारी स्कूलों में सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शामिल हैं।

5) ग्रामीण श्रम बाज़ारों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ: रोज़गार, आय और समावेशन का एक अध्ययन - प्रो. ज्योतिस सत्यपालन, प्रो. राजेंद्र पी. ममगाईं, डॉ. निवेदिता शर्मा, डॉ. अंकिता गोयल, सुश्री जया लक्ष्मी नायर

अध्ययन में पाया गया कि शिक्षा में वृद्धि के साथ ग्रामीण महिला श्रमिकों की भागीदारी में गिरावट आई। ग्रामीण पुरुषों के मामले में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई। आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता अन्य वर्गों में प्रमुख पाई गई, उसके बाद अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थान रहा, लेकिन अनुसूचित जातियों में भागीदारी सबसे कम पाई गई; पुरुषों की मजदूरी दर महिलाओं की तुलना में अधिक है। अध्ययन में पाया गया कि समग्र रोजगार को बढ़ावा देना, विशेष रूप से गैर-कृषि क्षेत्र में, अधिकांश हाशिए पर पड़े श्रमिकों के लिए उपयोगी रहा है। गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देकर इन श्रमिकों की आय और रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के अभाव ने उनकी कमज़ोरी को और बढ़ा दिया है। कुछ हद तक, मनरेगा उनके लिए उपलब्ध एकमात्र सामाजिक सुरक्षा है; हालांकि, आय सुरक्षा के मामले में यह अपर्याप्त है। इसके अलावा, इसे घरेलू स्तर पर प्रदान किया जाता है तथा इसकी अधिकतम अवधि 100 दिन रखी जाती है। इस प्रकार, अध्ययन में सिफारिश की गई है कि इसे या तो व्यक्तिगत स्तर पर गारंटीकृत रोजगार प्रदान करके, कवरेज को 100 से 150 दिनों तक बढ़ाकर, या नकद हस्तांतरण (मनरेगा के अतिरिक्त किसी प्रकार का नकद हस्तांतरण) द्वारा पूरक बनाया जा सकता है।

6) प्रवासन, कल्याण और कोविड-19 का प्रभाव: दिल्ली में उत्तराखंड प्रवासियों का एक अध्ययन - प्रो. ज्योतिस सत्यपालन, प्रो. राजेंद्र पी. ममगाईं, अलख नारायण शर्मा

अध्ययन में पाया गया कि प्रवासी परिवारों में लगभग 29 प्रतिशत वयस्क सदस्य कामकाजी थे, जबकि 61 प्रतिशत गैर-कामकाजी थे। लगभग 10 प्रतिशत बेरोजगार थे, जबकि युवाओं में बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत अधिक (15.2 प्रतिशत) थी। रोजगार में

महत्वपूर्ण जेंडर अंतर था, जहां पुरुष कार्य भागीदारी दर (44.7 प्रतिशत) उनकी महिला समकक्षों (10.1 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक थी। गैर-श्रमिकों में, दस में से पाँच गैर-श्रमिक पढ़ाई में लगे हुए थे और चार घरेलू कामों में लगे हुए थे। जैसा कि स्पष्ट है, महिलाएँ (64 प्रतिशत) पुरुषों (8 प्रतिशत) की तुलना में घरेलू कामों में काफी अधिक शामिल थीं। लगभग 62 प्रतिशत युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जबकि युवा महिलाएँ (24.6 प्रतिशत) अपने पुरुष समकक्षों (2.8 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक घरेलू कामों में लगी रहीं। प्रवासी श्रमिकों में से तीन-चौथाई से अधिक (77.9 प्रतिशत) नियमित वेतन वाले काम में लगे हुए थे, जिनमें से अधिकांश निजी क्षेत्र में तथा सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र में कम कार्यरत थे। महिला प्रवासी श्रमिक नियमित/वेतन वाले काम और आकस्मिक/दैनिक मजदूरी कार्य में पुरुषों की तुलना में अधिक शामिल थीं, जबकि पुरुष श्रमिक महिलाओं की तुलना में स्वरोजगार में अधिक शामिल थे। अधिकांश प्रवासी श्रमिक दुकानों और बाजारों में सेवा श्रमिकों के रूप में व्यस्थ थे। प्रवासी श्रमिकों के औद्योगिक विभाजन से भी इसकी पुष्टि होती है, जो बड़े पैमाने पर सेवा या तृतीयक क्षेत्र (73 प्रतिशत) जैसे कि थोक और खुदरा व्यापार, होटल और रेस्तरां में लगे हुए थे, और विनिर्माण और निर्माण जैसे द्वितीयक क्षेत्र (27 प्रतिशत) में काम में लगे हुए थे।

अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि कल्याणकारी योजनाओं की सार्वभौमिक पहुँच की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड की शुरुआत कर दी है, और अध्ययन से यह भी पता चलता है कि अधिकांश प्रवासियों के पास पहचान के दस्तावेज हैं, लेकिन स्थानीय दस्तावेजों के अभाव में वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनमें से अधिकांश के पास या तो उनके मूल स्थान या गंतव्य स्थान से पहचान के दस्तावेज हैं, और वे क्रमशः दोनों स्थानों पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच पाने में सक्षम नहीं हैं।

7) सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण का मूल्यांकन - डॉ. सी. धीरजा

संविधान के 73वें संशोधन के बाद सामाजिक लेखापरीक्षा को महत्व मिला। एमजीएनआरईजीएस योजना के प्रारम्भ से ही इसमें सामाजिक लेखापरीक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है। मनरेगा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, 'ग्राम सभा द्वारा कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा' में कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेगी। ग्राम सभा ग्राम पंचायत (जीपी) के भीतर योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा करेगी।

एमजीएनआरईजीएस की वार्षिक कार्य योजना के एक भाग के रूप में, एसएचजी की महिलाओं को ग्राम स्तरीय सामाजिक लेखापरीक्षा स्त्रोत व्यक्तियों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए यह पहल की गई थी, जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं: i) प्रत्येक ग्राम पंचायत से कम से कम तीन एसएचजी सदस्यों को सामाजिक लेखापरीक्षा की अवधारणा और अनुप्रयोग के बारे में सक्षम बनाना; ii) ग्राम स्तरीय सामाजिक लेखापरीक्षकों (एसएचजी सदस्यों) का एक समूह तैयार करना; iii) एसएचजी सदस्यों को सामान्य रूप से सभी विकास कार्यक्रमों और विशेष रूप से एमजीएनआरईजीएस में सामाजिक लेखापरीक्षा करने के कौशल से सुसज्जित करना।

अध्ययन के मुख्य सुझाव/सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- वीआरपी/बीआरपी/डीआरपी की राय के आधार पर भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए दिनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कई उत्तरदाताओं ने कहा कि सभी विषयों को व्यापक रूप से कवर करने के लिए दिनों की संख्या बढ़ानी होगी।
- प्रशिक्षण मैनुअल में सामाजिक लेखापरीक्षा विषय-वस्तु की नई योजनाएं शामिल करनी होंगी।
- क्षेत्र भ्रमण दिवसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वीआरपी को व्यावहारिक और कक्षा संबंधी ज्ञान मिल सके।
- सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानकों को सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस सत्र के साथ-साथ प्रशिक्षण मैनुअल में शामिल किया जाना चाहिए।
- एफजीडी की टिप्पणियों के अनुसार, प्रशिक्षण में एक सामुदायिक गतिशीलता सत्र को शामिल किया जाना चाहिए।
- वीआरपी से अनुरोध है कि वे विभिन्न सामाजिक लेखापरीक्षा योजनाओं के बारे में अपने ज्ञान को अद्यतन करने के लिए लगातार प्रशिक्षण प्रदान करें।
- एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, एसएचजी सदस्यों के पास सक्रिय जॉब कार्ड होना चाहिए और उन्होंने मनरेगा के तहत काम किया होना चाहिए। अध्ययन में पाया गया कि ओडिशा में 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं/परिवारों तथा झारखंड में 45 प्रतिशत ने मनरेगा के तहत काम नहीं किया। आंकड़ों के आधार पर, यह पाया गया है कि ओडिशा और झारखंड में एसएचजी-वीआरपी के लिए चयन प्रक्रिया एसएचजी वीआरपी प्रशिक्षण के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मानक संचालन प्रक्रिया में उल्लिखित नियमों का पालन करें।
- अन्य नमूना राज्यों की तुलना में ओडिशा के उत्तरदाताओं में विभिन्न पहलुओं के बारे में कम जागरूकता है। इसलिए, प्रत्येक

ब्लॉक में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने से पहले ओडिशा वीआरपी के लिए अलग से प्रशिक्षण की सिफारिश की जा सकती है।

- सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों को वीआरपी को अद्यतन सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। वीआरपी ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें अद्यतन सामग्री नहीं मिली।
- प्रशिक्षण के लिए एसएचजी-वीआरपी के चयन के संबंध में एनआरएलएम/एसआरएलएम के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।
- कम शैक्षिक योग्यता वाले एसएचजी-वीआरपी कार्य के तकनीकी पहलुओं को नहीं समझ सकते हैं; इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि प्रशिक्षण में व्यावहारिक दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी दी जाए।
- सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों को सामाजिक लेखापरीक्षा में भाग न लेने वालों के कारणों सहित आंकड़े रखने चाहिए, ताकि कुछ लोगों को अधिक अवसर देने में पक्षपात से बचा जा सके।

8) भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के पारिस्थितिकी तंत्र के विश्लेषण पर एक अध्ययन - डॉ. रत्ना भुइयां को मिस प्रार्थना अरंधरा द्वारा सहायता प्रदान की गई, और डॉ. राव, डॉ. पीपी भट्टाचार्जी और डॉ. सुरजीत विक्रमन द्वारा समर्थन प्रदान किया गया

भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के आठ राज्यों ने भी छोटे और सीमांत किसानों को उनकी उपज के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र में कई एफपीओ की स्थापना की है। ये एफपीओ ज्यादातर एकल वस्तु एफपीओ हैं जो आलू, लहसुन, कद्दू, टमाटर और नागा मिर्च जैसी सब्जियाँ, संतरे, अनानास और केला जैसे फल और गेंदा जैसे फूल उगाते हैं। कुछ अन्य एफपीओ भी हैं जो एकल कमोडिटी एफपीओ के विपरीत एक से अधिक सब्जियाँ या मसालों की खेती करते हैं या शहद जैसे अन्य उत्पादों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एसएफएसी और नाबार्ड जैसे संगठनों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडी) जैसी योजनाओं के तहत बागवानी विभाग और खाद्य प्रसंस्करण विभाग जैसे विभागों द्वारा प्रवर्तित, एफपीओ जो ज्यादातर वित्त वर्ष 2015-16 में पंजीकृत हैं, अपने परिचालन के शुरुआती चरण में हैं, जिनमें 500 से अधिक किसानों से लेकर 1000 से अधिक किसानों तक के शेयरधारक सदस्य हैं।

क्षेत्र में एफपीओ की अपनी अलग-अलग विशेषताएं हैं, साथ ही चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में शुरू की गई पहल होने के कारण, क्षेत्र में एफपीओ के प्रदर्शन के मात्रात्मक मूल्यांकन के प्रयासों में कमी है। चूंकि क्षेत्र में उन्हें नियंत्रित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में एफपीओ के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट उपकरण और संकेतक भी नहीं हैं, इसलिए वर्तमान अध्ययन इन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया गया है - (क) पूर्वोत्तर के आठों राज्यों में एफपीओ के पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में उनके कामकाज का निरीक्षण और आकलन करना, (ख) क्षेत्र में एफपीओ की चुनौतियों का पता लगाना, (ग) क्षेत्र में एफपीओ के प्रदर्शन का विश्लेषण करना, और (घ) एफपीओ गतिविधि के माध्यम से पूर्वोत्तर में छोटे और सीमांत किसानों के सशक्तिकरण पर लक्षित भविष्य की नीति-निर्माण को सूचित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना।

9) ग्रामीण सामुदायिक रेडियो की सफल कहानी का मानचित्रण: (आरसीआर) - एक मामला अध्ययन - डॉ. आकांक्षा शुक्ला

यह अध्ययन डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए संघम रेडियो, पास्तापुर की सफल कहानी को दर्शाता है और बिना किसी संदेह के साबित करता है कि तकनीकी अभिसरण के कारण, रेडियो को मुफ्त ऐप के माध्यम से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है जिसे डाउनलोड और सेव किया जा सकता है। डेटा या इंटरनेट कनेक्शन वाले एंड्रॉइड फोन मनोरंजन और सूचना के कैनवास तक पहुँच सकते हैं, फिर भी सूचना के प्रसार के एजेंडे को पूरा करने के लिए सामुदायिक रेडियो की पर्याप्त गुंजाइश और प्रासंगिकता है।

अध्ययन से यह साबित होता है कि ग्रामीण विकास से संबंधित सभी 29 विषयों पर प्रामाणिक जानकारी प्रसारित करने के लिए सामुदायिक रेडियो का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। सामुदायिक रेडियो एक ऐसा मंच है जिसने समुदाय के लिए कृषि, स्वास्थ्य, घरेलू उपचार या दवाओं और जैविक खेती पर व्यापक ज्ञान लाया है। सामुदायिक रेडियो स्थानीय भाषा में किसान कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और अन्य स्थानीय विकास योजनाओं के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। वास्तव में, 2017 और 2020 में जारी किए गए संकलन में उन क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है जहां सामुदायिक रेडियो पहले से ही काम कर रहे हैं और उनकी सफलता की कहानियों को भी सूचीबद्ध किया गया है। पहचाने गए क्षेत्रों में आपदा एवं संघर्ष स्थितियों पर प्रतिक्रिया, हाशिए पर पड़े समुदायों को न्याय, आजीविका एवं कृषि, महिलाओं का सशक्तिकरण एवं सहभागिता, तथा सामुदायिक रेडियो के माध्यम से नवाचार शामिल हैं।

3.3 कार्य अनुसंधान

समकालीन अनुसंधान परिणामों और वर्तमान मुद्दों/समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, एनआईआरडीपीआर कार्य अनुसंधान के लिए कई विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। 2022-23 में जिन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया उनमें से कुछ पंचायती राज और डेयरी विकास थे। 2022 -23 में दो कार्य अनुसंधान अध्ययन किए गए। अध्ययनों का विवरण **अनुलग्नक-V** में प्रस्तुत किया गया है।

3.4 परामर्श अध्ययन

संकाय सदस्यों के पास उपलब्ध विशेषज्ञता और संस्थान द्वारा प्राप्त व्यापक ध्यान को देखते हुए, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकारें और कॉर्पोरेट क्षेत्र के संगठन अक्सर विशिष्ट उद्देश्य-उन्मुख अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन आदि करने के लिए एनआईआरडीपीआर से संपर्क करते हैं।

इन अध्ययनों को परामर्शी अध्ययन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस संबंध में कुछ ग्राहक समूह हैं: i) एमओआरडी, ii) एमओपीआर, iii) डीएवाई-एनआरएलएम, एमओआरडी, iv) एमओपीआर-आरजीएसए; v) ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड; vi) छत्तीसगढ़ राज्य जलागम प्रबंधन एजेंसी (सीजीडब्ल्यूएमए); vii) आईसीआरआईएसएटी; viii) ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी (एसईआरपी), ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार; ix) पर्यावरण और वन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार; x) कृषि मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार, xi) आंध्र प्रदेश सरकार; xii) भारत डायनामिक्स लिमिटेड; xiii) जनसंख्या परिषद, नई दिल्ली और बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित; xiv) कोल इंडिया लिमिटेड, xv) सीआईसीटीएबी, xvi) यूनिसेफ।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 2022-23 से पहले किए गए 14 चल रहे अध्ययनों के अलावा आठ नए परामर्श अध्ययन किए गए। 2022 -23 में कुल 10 परामर्श अध्ययन पूरे किए गए। ये अध्ययन इन राज्यों में किए गए: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। दो अखिल भारतीय अध्ययन थे।

अध्ययनों का विवरण **अनुलग्नक-VI-VIII** में प्रस्तुत किया गया है। कुछ पूर्ण हो चुके परामर्शी अध्ययनों के परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

1) एसएचजी पथ परियोजना - डॉ. एस. के. सत्यप्रभा

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और वाश (एफएनएचडब्ल्यू) के बारे में अधिक जागरूकता देने के लिए एक पहल की है। एसएचजी व्यवहार परिवर्तन पथ पर जनसंख्या परिषद अनुसंधान परियोजना का एक हिस्सा एनआईआरडीपीआर द्वारा शुरू किया गया था। जनसंख्या परिषद के इस व्यापक अध्ययन का उद्देश्य एसएचजी और अन्य महिला समूहों, बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और अन्य विकास परिणामों में व्यवहार परिवर्तन को समझना है।

अध्ययन का उद्देश्य एफएनएचडब्ल्यू पर एसआरएलएम के प्रशिक्षण और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के बीच व्यवहार परिवर्तन को समझना था। एनआईआरडीपीआर और एनआरएलएम इस प्रशिक्षण अनुरेखक अध्ययन का उपयोग अपनी प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण और शिक्षण पद्धति को मजबूत करने के लिए करेंगे।

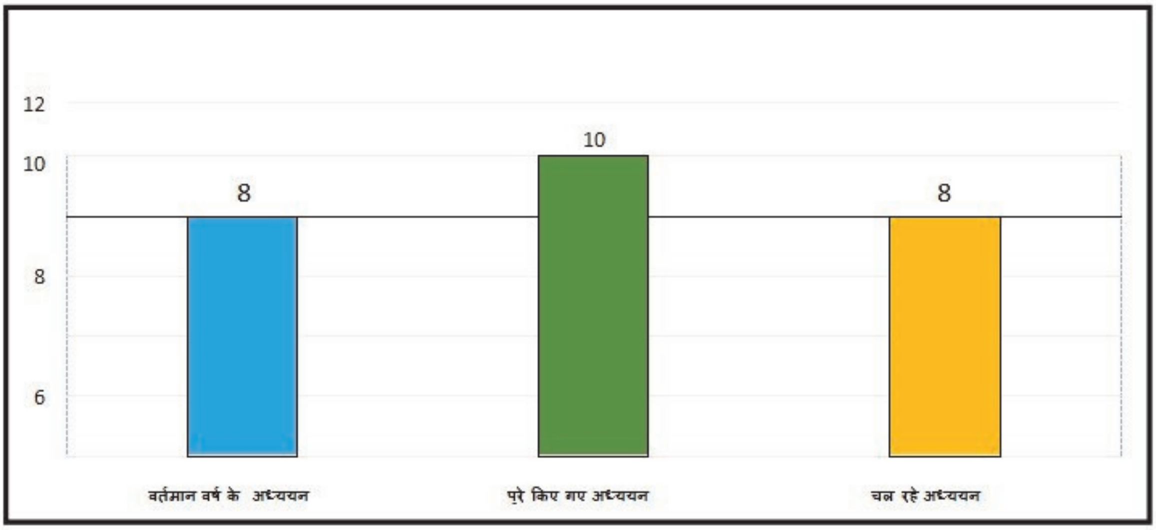

चित्र 1: 2022-23 में परामर्शी अध्ययन की स्थिति

अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ और झारखंड थे। प्रत्येक राज्य में, क्षेत्र डेटा संग्रह के लिए दो जिलों की पहचान की गई थी। तदनुसार, छत्तीसगढ़ में कांकेर और बस्तर जिलों तथा झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़ जिलों का चयन किया गया। प्रत्येक जिले से दो ब्लॉकों की पहचान की गई तथा प्रत्येक ब्लॉक से अध्ययन के लिए दो गांवों का चयन किया गया। इस प्रकार, प्रत्येक जिले में आठ गाँवों को शामिल किया गया। इस प्रकार, दोनों राज्यों में 16 गाँवों की पहचान की गई, और प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया।

यह देखा गया कि व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई, खाना पकाने और भोजन को बनाए रखने में शुद्धता, आयरन की गोलियों का सेवन, टीकाकरण के लिए नामांकन, अस्पताल में प्रसव और इसके मौद्रिक लाभों के संबंध में आदतों में जागरूकता और व्यवहारिक परिवर्तन लगभग सभी एसएचजी सदस्यों में देखा गया। झारखंड में आंकड़ों से पता चला कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण और नियमित अभ्यास के माध्यम से अस्पतालों में प्रसव और इसके लाभ, टीकाकरण, हाथ धोने और स्वच्छता (व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन और परिवेश) के बारे में पूरी समझ है।

अध्ययन में वीओ और एसएचजी स्तरों पर भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और वाश के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सिफारिश की गई है। स्वयं सहायता समूहों और उनके परिवार कल्याण गृहों के साथ वीओ बैठकों की आवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिए, तथा प्रशिक्षण सत्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि समुदाय को लगातार याद दिलाया जा सके और उन्हें अपनी नियमित आदतों में शामिल किया जा सके। सामुदायिक कैडर को कर्मचारियों की संख्या और उनकी क्षमता निर्माण के संदर्भ में मजबूत किया जाना चाहिए ताकि उन्हें लगातार प्रशिक्षण और उचित निगरानी मिल सके। स्वयं सहायता समूहों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच अधिक समन्वय से जमीनी स्तर पर पहुंच संभव होगी। अध्ययन का निष्कर्ष है कि चूंकि गांव की अधिकांश महिलाएं, जिनमें अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ता भी शामिल हैं, स्वयं सहायता समूह की सदस्य थीं, इसलिए उनकी जागरूकता और कार्यप्रणालियों ने उनके परिवारों और समुदाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसलिए, तर्कसंगत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए एनआरएलएम में एफएनएचडब्ल्यू घटकों के समावेश को और मजबूत किया जाना चाहिए।

2) 'निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षमता द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करके भारत में बदलाव' (टीआईएसपीआरआई) पर अध्ययन - चरण II (2020 -2022) - डॉ. सी. कथिरेसन, डॉ. प्रत्युषना पटनायक, डॉ. वाणिश्री जोसेफ

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को आरजीएसए और पंचायत विजन 2024 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था। अध्ययन के लिए, एसआईआरडीपीआर/ईटीसी/डीपीआरसी में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू की गईं। मामला अध्ययन दस्तावेज़ीकरण के लिए, मुख्य सूचनादाताओं से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मामला अध्ययन पद्धति को अपनाया गया। इसके अलावा, ग्राम पंचायत द्वारा की गई सफल पहलों को सामने लाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों के साथ फोकस समूह चर्चाएँ की गईं। (टीआईएसपीआरआई) चरण-II अध्ययन परियोजना ने दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर देश के सभी राज्यों को कवर किया है। अध्ययन परियोजना के विभिन्न घटकों का कार्यान्वयन पूरे देश में फैला हुआ है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सफल मामला अध्ययनों का दस्तावेजीकरण किया गया।

मुख्य निष्कर्ष:

- मास्टर स्त्रोत व्यक्तियों का प्रमाणन;
- पीआरआई की क्षमताओं के निर्माण के लिए प्रमाणित एमआरपी के लिए टीओटी;
- ईआर, पीआर कार्यकर्ताओं और एमआरपी के लिए ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम;
- जागरूकता फिल्में;
- पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास पर दूरस्थ मोड कार्यक्रम;
- सफल कहानियों का दस्तावेजीकरण;
- शिक्षण सामग्री का विकास / अद्यतन;
- जीपीडीपी अभियान में एमओपीआर को समर्थन।

3) कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख सीएसआर पहलों पर (वित्त वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान) प्रभाव आकलन - डॉ आर मुरुगेसन और अन्य

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) कोयला मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, भारत सरकार अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कई विकासात्मक पहलों को क्रियान्वित कर रहा है। कंपनी का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आजीविका पहलुओं के क्षेत्रों में पहल के माध्यम से वंचित समुदायों के मानव विकास पर स्थायी प्रभाव डालना है। विशेष पहल के रूप

में, सीआईएल ने तीन राज्यों अर्थात बिहार, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में छह प्रमुख परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। सीआईएल ने अपने सीएसआर पहलों पर प्रभाव आकलन करने का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर एनईआरसी), के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी को सौंपा है।

चयनित क्षेत्रों में रहने वाले प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सीआईएल ने विशेष परियोजनाएं शुरू कीं जैसे: क) टाटा मेमोरियल सेंटर अस्पताल (प्रेमाश्रय) के बाह्य-रोगियों के लिए घर के निर्माण के लिए समर्थन, ख) इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए पश्चिम बंगाल-एचआईडीसी को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ग) आईआईएलडीएस को सीटी स्कैन मशीन और कैथ लैब उपकरण की खरीद के लिए समर्थन, घ) टैलेसीमिया बाल सेवा योजना को सहायता प्रदान करना, ड़) ईएनटी, नेत्र और दंत अस्पताल-सह-डायग्नोस्टिक केंद्र का निर्माण, और च) सीआईपीईटी में प्लास्टिक इंजीनियरिंग ट्रेड में 400 युवाओं को प्रशिक्षण देना आदि। एनआईआरडीपीआर द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन ने स्रोत व्यक्तियों, स्थानीय समुदाय के सदस्यों, लाभार्थियों और सरकारी अधिकारियों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करके कंपनी की सीएसआर पहलों के बारे में बहुमूल्य जानकारी एकत्र की है, जिससे न केवल विकासात्मक मुद्दों को समझने में मदद मिली है, बल्कि अध्ययन क्षेत्र में रहने वाली आबादी की जरूरतों को भी समझने में मदद मिली है।

निष्कर्षों के आधार पर, अध्ययन में सिफारिश की गई है कि जरूरतमंद और ग्रामीण आबादी के लिए लक्षित विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम बहुत बार आयोजित किए जाने की आवश्यकता है; कौशल विकास कार्यक्रमों को अन्य कौशल विकास एजेंसियों के सहयोग से संचालित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें सुविधा प्रदान की जा सके और बाजार से जोड़ा जा सके, ताकि मिट्टी की इस कला को जीवित रखा जा सके और बाजार की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा सके, साथ ही इन उत्पादों की मांग में वृद्धि हो सके; और जहां भी संभव हो, उनके नियमित अभ्यास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे समर्पित सभागार / स्थान / मैदान से संबंधित आधारभूत संरचना सुविधाओं तक पहुंच की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4) भारतीय कृषि में समावेशी विकास: व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से टिकाऊ एफपीओ की आवश्यकता - डॉ. एम. श्रीकांत, श्री अरशद कमाल सिद्दीकी, डॉ. के जयश्री

अध्ययन में बताया गया है कि नकदी फसलों के मामले में विपणन योग्य अधिशेष खाद्य फसलों की तुलना में अधिक है, क्योंकि किसान खाद्य फसलों का अधिक उपभोग करते हैं। खरीफ की फसलें मुख्य रूप से कपास और धान हैं, जबकि अध्ययन किए गए राज्यों में रबी की फसलें सब्जियों और दालों के पक्ष में हैं। यह देखा गया है कि खरीफ और रबी दोनों फसलों में प्रत्येक फसल के लिए प्रति एकड़ उत्पादन एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। यह देखा गया है कि एफपीओ के सदस्य बनने के बाद, अधिकांश किसान सदस्य इन मूल्यवर्धित गतिविधियों तक पहुंच बना पाते हैं, जो वे पहले नहीं कर पाते थे। अध्ययन में शामिल अन्य दो राज्यों की तुलना में कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में किसान सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा एफपीओ के माध्यम से भंडारण, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग, प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। यह देखा गया है कि अधिकांश किसान सदस्य (88.23%) एफपीओ में शामिल होने के बाद औपचारिक स्रोतों यानी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्त प्राप्त करने में सक्षम हैं। इस संदर्भ में तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मामले में यह और भी अधिक है। यह देखा गया है कि एफपीओ में शामिल किसान सदस्यों को खरीफ और रबी दोनों फसलों के संबंध में एफपीओ में शामिल होने के बाद 43.05 प्रतिशत की सीमा तक उच्च औसत मूल्य प्राप्त हुआ। पांच में से चार किसान सदस्य विभिन्न जोखिमों को कवर करने के लिए अपनी फसलों का बीमा कराते हैं। पांच नमूना राज्यों में तीन-पांचवें किसान सदस्यों को कृषि विस्तार सेवाएं प्राप्त होती हैं। अध्ययन राज्यों में अधिकांश नमूना किसान सदस्यों ने कहा कि एफपीओ में शामिल होने के बाद उन्हें तकनीकी प्रगति (89.10%), बाजार की जानकारी (78.40%) तक पहुंच और मौसम पूर्वानुमान और कृषि-सलाह सेवाओं (56.90%) के बारे में बेहतर जानकारी मिली है।

5) वाईएसआर पेंशन कानुका का मूल्यांकन – आंध्र प्रदेश राज्य में सामाजिक सहायता के लिए राष्ट्रीय नीति की एक सामाजिक सुरक्षा योजना" – ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी (एसईआरपी), आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित अध्ययन – डॉ. के.प्रभाकर, डॉ.एस.एन.राव और श्री राजेश्वर

अध्ययन में वाईएसआर पेंशन कानुका योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया का मूल्यांकन कार्यक्रम तक पहुंच, प्रक्रिया,

उपयोग, लीकेज, समयबद्ध सेवा वितरण और लाभार्थियों की संतुष्टि के संदर्भ में किया गया ताकि इसकी बेहतरी और प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। एक सरल व्यवस्थित यादृच्छिक नमूना पद्धति के आधार पर छह चयनित जिलों, चित्तूर, श्री सत्य साईं, अन्नामय्या, बापटला, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम से कुल 1023 वाईएसआर पेंशन कानुका लाभार्थियों और 146 अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया। प्रत्येक चयनित जिले में लगभग 170 वाईएसआर पेंशन कानुका लाभार्थियों और 25 अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि वाईएसआर पेंशन कानुका एक क्लासिक सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा-जाल कार्यक्रम है, जो गरीब लोगों को हर महीने न्यूनतम मासिक बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करके उनकी सुरक्षा करता है।

6) आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना [एजीईवाई] का मूल्यांकन अध्ययन - डॉ. निथ्या वी.जी., डॉ. सीएच. राधिका रानी, डॉ. सुरजीत विक्रमन

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई), जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 2017 में प्रारंभ किया गया था। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्य और सीबीओ के समूह एजीईवाई योजना के लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत वाहन पिछड़े और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन आवश्यकताओं और मांगों, स्थानीय यात्रियों को खानपान सेवाएं प्रदान करने और माल की ढुलाई के लिए चलाए जाते हैं। इस योजना में ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता के साथ 3-पहिया या 4-पहिया वाहन खरीदने का प्रावधान है और सामुदायिक निवेश कोष [सीआईएफ] से ऋण लेने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने तथा टिकाऊ उपायों के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर और अधिक कुशल परिवहन सुविधाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इसकी स्थापना के बाद से, 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को 1811 एजीईवाई वाहन वितरित किए गए हैं। यह योजना मार्च 2021 से चालू नहीं है; इसलिए, एजीईवाई योजना के प्रभाव और भारत सरकार द्वारा इसे जारी रखने की आगे की गुंजाइश को समझने के लिए 18 राज्यों में वर्तमान मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानों को शहरी केंद्रों से जोड़ने में वाहनों की पहुंच को समझना, विभिन्न स्तरों पर हितधारकों को प्राप्त लाभों का मूल्यांकन करना, लक्षित समुदायों की आजीविका पर योजना के समग्र प्रभाव को समझना और उसका विश्लेषण करना, कार्यान्वयन अंतराल की पहचान करना और सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करना था।

ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों [व्यक्तिगत और समूह दोनों] के साथ-साथ उपभोक्ताओं में भी यह योजना प्रभावशाली पाई गई। दूरदराज के गांवों (48%) में अद्वितीय पहुंच, लक्षित समुदायों के लिए सुविधाओं (स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक) तक पहुंच में सुधार पर सकारात्मक प्रभाव, विपणन के लिए समर्थन, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास के क्षेत्रों में अवसरों तक पहुंच इस योजना को अविश्वसनीय रूप से प्रभावी बनाती है। इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक सुधार किया है और बदले में ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए हैं। इस योजना ने यह साबित करने का अवसर दिया है कि सीबीओ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के माध्यम से आजीविका का समर्थन करने के लिए एक नए क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इस योजना ने महिलाओं को अपनी क्षमताएं विकसित करने तथा ड्राइविंग कौशल का उपयोग करने का अवसर भी दिया।

7) महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) के तहत चल रही परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन - डॉ. निथ्या वी.जी., डॉ. सुरजीत विक्रमन, डॉ. सीएच. राधिका रानी

अध्ययन में पाया गया कि एमकेएसपी कार्यक्रम की परिकल्पना और संरचना अच्छी तरह से की गई है, जिसमें सामुदायिक हितधारकों को शामिल किया गया है, तथा इसे आजीविका संवर्धन के लिए राज्य की प्राथमिकताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है। सभी परियोजनाओं ने गांवों, एमके, पीजी, सीएचसी की संख्या और फसल नियोजन, बीज उपचार, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और जल प्रबंधन, कीट और रोग प्रबंधन और मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप जैसे कृषि पारिस्थितिक व्यवहारों को कवर करने के मामले में भौतिक लक्ष्य हासिल किए हैं। योजना के हस्तक्षेप से महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव पड़ा है तथा महिला किसानों की आय में काफी सुधार हुआ है।

नीतिगत सिफारिशें:

- सूक्ष्म उद्यम विकास और प्रभावी बाजार संपर्क को सक्षम करने के लिए सीआरपी को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना।
- एमआईएस को निरंतर अद्यतन करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हस्तक्षेप और सर्वोत्तम प्रथाओं को अच्छी तरह से शामिल किया गया है, सुरक्षित किया गया है,

तथा कर्मचारियों के स्थानांतरण के मामले में उत्तराधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है।

- मूल्य संवर्धन की संभावित गुंजाइश उत्पाद विकास और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए एक विशाल अवसर है।
- महिला किसानों और सीआरपी को सतत कृषि पद्धतियों की प्रभावी कार्यान्वयन और अभिग्रहण, अभिसरण, ग्राम सभा और अन्य मंचों में भागीदारी के लिए ज्ञान में सुधार करने के लिए अधिक प्रशिक्षण, प्रदर्शन और कार्यशालाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
- जलवायु परिवर्तनों के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए कुछ नई किस्मों के साथ अच्छे कृषि पद्धतियों के लिए अधिक प्रदर्शन आयोजित करने की आवश्यकता है।
- अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के साथ बेहतर समन्वय की अधिक आवश्यकता है ताकि सतत आजीविका के लिए अंतर को पाटने के लिए एमकेएसपी मंच का लाभ उठाया जा सके। विभिन्न योजनाओं के लिए, विशेष रूप से एनआरएम-आधारित परिसंपत्ति निर्माण के लिए मनरेगा योजना के लिए, विभिन्न विभागों के प्रभावी अभिसरण की आवश्यकता है।
- एसआरएलएम लक्षित परिवारों को कस्टम हायर सेंटर के उपकरणों के उपयोग के लिए ट्रैक्टर/मशीनरी की सुविधा प्रदान करने के लिए मौजूदा सरकार या ऋण सुविधाओं के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सीएचसी को मशीनरी के साथ मजबूत करना, सीएचसी को राजस्व केंद्र बनाना तथा समुदायों के समग्र स्वामित्व के तहत वीए को इसके प्रबंधक के रूप में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।
- क्षमता निर्माण सहित संपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए नए किसान उत्पादक संगठनों/संघों का गठन और सुदृढ़ीकरण
- कई उत्पादों (एनपीएम सामग्री, विशेषज्ञ सेवाएं, सब्जी नर्सरी, किराए पर उपकरण आदि) और सेवाओं के साथ 'कृषि-सेवा केंद्र' को बढ़ावा देना बहुत प्रभावी राजस्व मॉडल साबित हुआ है।
- परियोजना गतिविधियों की निगरानी और दस्तावेज़ीकरण की एक नियमित और मजबूत प्रणाली होनी चाहिए।

अध्याय-4
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - संसाधन प्रकोष्ठ

4.1 परिचय

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) एसजीएसवाई के पूर्ववर्ती "किफायती और ऋण दृष्टिकोण" से हटकर 2011 में "आजीविका दृष्टिकोण" के साथ विकसित हुआ है। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है, ताकि स्थायी आजीविका संवर्द्धन के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि हो सके और वित्तीय और चयनित सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच में सुधार हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एनआरएलएम ने गरीबों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थानों के निर्माण की सुविधा के लिए राष्ट्रीय से उप-ब्लॉक स्तर तक एक समर्पित और संवेदनशील सहायता संरचना बनाई है।

- एनआरएलएम की मुख्य विशेषताएं हैं:
- गरीबों का सार्वभौमिक सामाजिक एकीकरण और सामाजिक समावेशन
- वित्तीय समावेशन
- शाश्वत संसाधनों के रूप में सामुदायिक निधियाँ
- आजीविका संवर्धन
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)
- अभिसरण, साझेदारी और संबंध

4.1.1. एनआरएलएम के संसाधन सहायता प्रकोष्ठ के रूप में एनआरएलएम-आरसी

एनआरएलएम के अनुदान समर्थन के तहत एनआरएलएम-आरसी, हैदराबाद की स्थापना 2013 में और एनआरएलएम-आरसी गुवाहाटी की स्थापना 2015 में की गई थी। एनआरएलएम-आरसी के मुख्य उद्देश्य हैं:

- एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ से कार्यान्वयन सहायता की व्यवस्था करके एसआरएलएम की क्षमता निर्माण के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम के कार्यान्वयन को मजबूत करना, और
- आवश्यकतानुसार एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ से सभी एसआरएलएम और ग्रामीण विकास मंत्रालय तक प्रशिक्षित राष्ट्रीय, राज्य, जिला और क्षेत्रीय स्रोत पेशेवरों के निरंतर प्रवाह की सुविधा प्रदान करना।

4.1.2 एनआरएलएम आरसी की प्रमुख जिम्मेदारियाँ

राज्यों में एसआरएलएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करके और एनआरपी की नियुक्ति करके एसआरएलएम की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, एनआरएलएम आरसी नए प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री विकसित करने, निगरानी और मूल्यांकन अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने, डिजिटल उपकरण और वित्तीय अनुप्रयोग विकसित करने और उत्कृष्ट पद्धतियों और मामला अध्ययन सामग्री विकसित करने में एनएमएमयू का भी समर्थन करता है। एनआरएलएम-आरसी की प्रमुख जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:

- एसआरएलएम के नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना
- विषयगत क्षेत्रवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में एसआरएलएम को सहायता
- प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण सामग्री के विकास में एनआरएलएम को सहायता
- एनआरपी और एनसीआरपी पूल का विकास और प्रभावी उपयोग
- एकीकृत कृषि क्लस्टर और मूल्य श्रृंखला क्लस्टर के विकास में एनआरईटीपी राज्यों को सहायता
- वित्तीय समावेशन, एसएचजी बैंक लिंकेज और डिजिटल वित्त में एसआरएलएम को सहायता
- बेहतर पद्धतियों एवं मामला अध्ययन के दस्तावेजीकरण में एनआरएलएम को सहायता।

शुरुआत से लेकर मार्च 2023 तक एनआरएलएम-आरसी की संचयी प्रगति को चित्र 4.1 में प्रस्तुत की गई है।

संसाधन प्रकोष्ठ की संचयी प्रगति
(जून 2013 - मार्च 2023)

आयोजित कार्यक्रमों की संख्या

प्रतिभागी

चित्र 4.1: एनआरएलएम-आरसी की संचयी प्रगति

4.2. 2022-23 में एनआरएलएम-आरसी की उपलब्धियाँ

2022-23 में एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ ने 589 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जो पिछले वर्ष की 454 की संख्या से अधिक है। यह संसाधन प्रकोष्ठ की अपनी पहुँच और प्रभाव का विस्तार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। औसतन, एनआरएलएम आरसी ने प्रति कार्य दिवस दो कार्यक्रम आयोजित किए, जो प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलों को वितरित करने के प्रति अपने समर्पण को दर्शाता है।

पूरे वर्ष में एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ द्वारा कुल 29,143 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। औसतन, एनआरएलएम आरसी की टीम ने हर कार्य दिवस में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 100 प्रतिभागियों का प्रबंध किया, जो ग्रामीण विकास के लिए संसाधन सेल के समर्पण को दर्शाता है। पूरे वर्ष के दौरान, एनआरएलएम आरसी ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) परिसर में प्रति सप्ताह एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल ने प्रतिभागियों को ग्रामीण आजीविका विकास में बेहतर पद्धतियों के बारे में गहन प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान की।

तालिका 4.1: वर्ष 2022-23 के लिए एनआरएलएम आरसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और कार्यक्रम के प्रतिभागियों का विषयवार विवरण

क्रसं.	विषय	कार्यक्रमों की संख्या			प्रतिभागियों की संख्या		
		हैदराबाद	गुवाहाटी	कुल	हैदराबाद	गुवाहाटी	कुल
1	आईबीसीबी	72	15	87	2699	407	3106
2	एसआई-एसडी एफएनएचडब्ल्यू एवं जेंडर	102	4	106	3927	119	4046
3	वित्तीय समावेशन	254	15	269	16737	618	17355
4	एमआईएस	14	68	82	766	2662	3428
5	कृषि आजीविका	24	11	35	228	303	531
6	गैर-कृषि आजीविका	9	0	9	677	0	677
कुल		**475**	**113**	**588**	**25031**	**4109**	**29143**

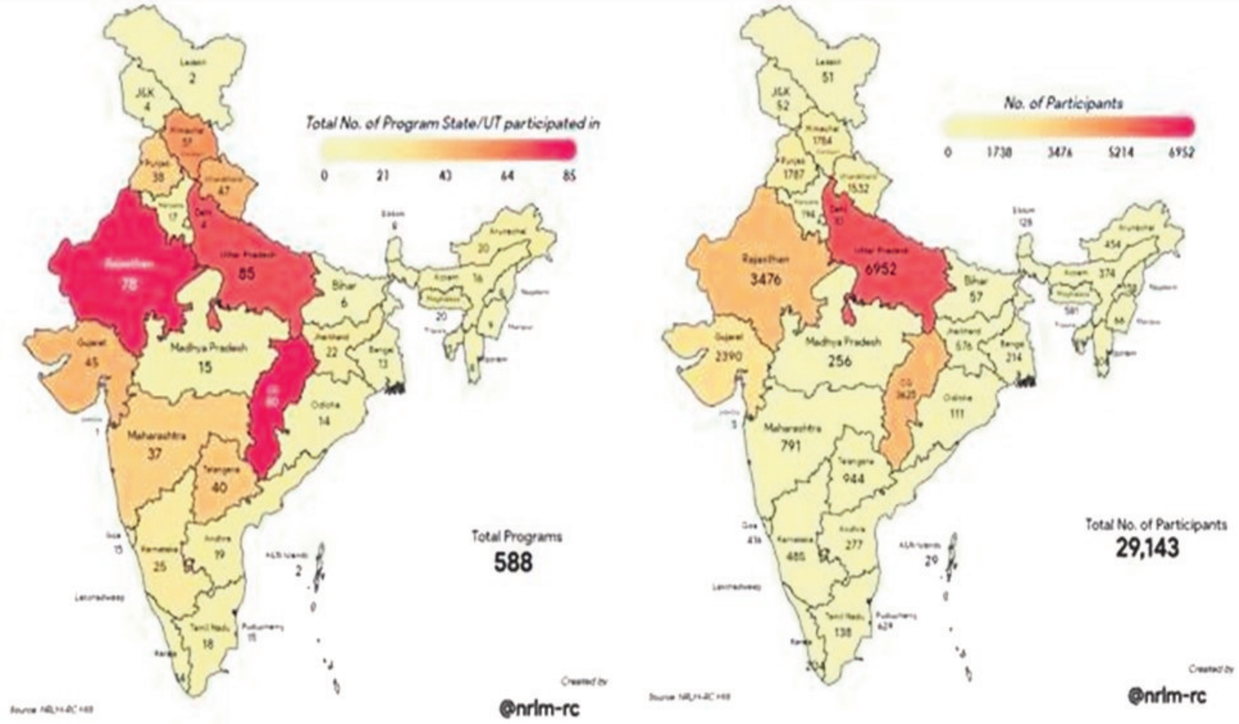

एनआरएलएम-आरसी कार्यक्रमों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का कवरेज

एनआरएलएम-आरसी द्वारा आयोजित राज्यवार प्रशिक्षणों का विवरण **तालिका 4.2** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4.2: 2022-23 के दौरान एनआरएलएम-आरसी द्वारा आयोजित राज्यवार प्रशिक्षणों का विवरण

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रतिभागियों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	19	277
2	अरुणाचल प्रदेश	20	454
3	असम	16	374
4	बिहार	6	57
5	छत्तीसगढ	80	3625
6	गोवा	15	416
7	गुजरात	45	2390
8	हरयाणा	17	194
9	हिमाचल प्रदेश	57	1784
10	झारखंड	22	576
11	कर्नाटक	25	485
12	केरल	14	204
13	मध्य प्रदेश	15	256
14	महाराष्ट्र	37	791
15	मणिपुर	9	66
16	मेघालय	20	581
17	मिजोरम	8	208
18	नगालैंड	8	158

जारी...

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रतिभागियों की कुल संख्या
19	ओडिशा	14	111
20	पंजाब	38	1787
21	राजस्थान	78	3476
22	सिक्किम	8	128
23	तमिलनाडु	18	138
24	तेलंगाना	40	944
25	त्रिपुरा	15	189
26	उत्तर प्रदेश	85	6952
27	उत्तराखंड	47	1532
28	पश्चिम बंगाल	13	214
29	अंडमान - निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	2	29
30	चंडीगढ़ (यूटी)	0	0
31	दादरा और नगर हवेली और दमन -दीव (यूटी)	1	5
32	दिल्ली (यूटी)	4	10
33	जम्मू - कश्मीर (यूटी)	4	52
34	लक्षद्वीप (यूटी)	0	0
35	पुदुचेरी (यूटी)	15	629
36	लद्दाख (यूटी)	2	51

2022-23 के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम आरसी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का विवरण **तालिका-4.3** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4.3: 2022-23 के दौरान आयोजित विषयवार कार्यक्रमों का विवरण

विषय	प्रशिक्षण शीर्षक	कार्यक्रम का प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या	कवर किए गए राज्यों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
आईबीसीबी	एसआरएलएम के नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम	कैम्पस में	10	3	310
		ऑफ कैम्पस	7	1	228
		कुल	**17**	**4**	**538**
	एमसीएलएफ पर प्रशिक्षण - विज़निंग, व्यवसाय विकास, मानव संसाधन, शासन और एएपी	कैम्पस में	9	6	379
		ऑफ कैम्पस	29	6	1305
		कुल	**38**	**11**	**1684**
	सीबीओ पुस्तकें एवं अभिलेख और लेखापरीक्षा प्रशिक्षण	कैम्पस में	1	6	31
		ऑफ कैम्पस	5	3	157
		कुल	**6**	**9**	**188**
	सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों (सीएमटीसी) पर प्रशिक्षण	कैम्पस में	7	12	212
		ऑफ कैम्पस	0	0	0
		कुल	**7**	**12**	**212**
	महासंघों की मानक संचालन प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण	कैम्पस में	4	1	142
		ऑफ कैम्पस	10	2	371
		कुल	**14**	**3**	**513**
सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास दृष्टिकोण	डीएवाई-एनआरएलएम के तहत सामाजिक समावेशन हस्तक्षेप को मुख्यधारा में लाने पर प्रशिक्षण	कैम्पस में	2	15	101
		ऑफ कैम्पस	6	4	215
		कुल	**8**	**19**	**316**

जारी...

विषय	प्रशिक्षण शीर्षक	कार्यक्रम का प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या	कवर किए गए राज्यों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास दृष्टिकोण	जेंडर संबंधी अवधारणाओं को मुख्यधारा में लाने और जेंडर संबंधी हस्तक्षेपों को एकीकृत करने पर प्रशिक्षण	कैम्पस में	4	19	121
		ऑफ कैम्पस	76	17	2611
		कुल	**80**	**22**	**2732**
	एफएनएचडब्ल्यू अवधारणाओं को मुख्यधारा में लाने और एफएनएचडब्ल्यू हस्तक्षेपों को एकीकृत करने पर प्रशिक्षण	कैम्पस में	2	15	72
		ऑफ कैम्पस	15	4	573
		कुल	**17**	**17**	**645**
वित्तीय समावेशन	एसएचजी-बैंक लिंकेज पर बैंक अधिकारियों का अभिमुखीकरण	कैम्पस में	0	0	0
		ऑफ कैम्पस	231	12	16663
		कुल	**231**	**12**	**16663**
	एफआई कैडरों का प्रशिक्षण	कैम्पस में	4	5	112
		ऑफ कैम्पस	15	2	694
		कुल	**19**	**7**	**806**
	डिजिटल वित्त पर प्रशिक्षण	कैम्पस में	2	15	44
		ऑफ कैम्पस	0	0	0
		कुल	**2**	**15**	**44**
	उद्यम वित्त पर प्रशिक्षण	कैम्पस में	3	सभी राज्य	73
		ऑफ कैम्पस	0	0	0
		कुल	**3**		**73**
कृषि आजीविका	कृषि आजीविका पर परिचय और अभिविन्यास	कैम्पस में	2	11	43
		ऑफ कैम्पस	2	1	53
		कुल	**4**	**12**	**96**
	राज्य स्रोत व्यक्तियों का प्रशिक्षण और चयन	कैम्पस में	1	1	54
		ऑफ कैम्पस	13	8	461
		कुल	**14**	**9**	**515**
	कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियाँ और कृषि पोषक उद्यान	कैम्पस में	4	14	63
		ऑफ कैम्पस	1	1	53
		कुल	**5**	**15**	**116**
	उत्पादक समूह और उत्पादक उद्यम	कैम्पस में	3	16	70
		ऑफ कैम्पस	3	2	107
		कुल	**6**	**17**	**177**
	मूल्य शृंखलाएं और उप क्षेत्र	कैम्पस में	2	7	38
		ऑफ कैम्पस	3	2	62
		कुल	**5**	**9**	**100**
गैर-कृषि आजीविका	उद्यम विकास और व्यवसाय विकास योजना पर उन्नत (स्तर I) टीओटी	कैम्पस में	1	10	21
		ऑफ कैम्पस	0	0	0
		कुल	**1**	-	**21**
	मूल्य श्रृंखला और व्यवसाय विकास योजना पर टीओटी	कैम्पस में	1	7	17
		ऑफ कैम्पस	1	1	35
		कुल	**2**	-	**52**
	एनआरएलएम के तहत विभिन्न योजनाओं पर गैर-कृषि सीआरपी को प्रशिक्षण	कैम्पस में	2	1	84
		ऑफ कैम्पस	0	0	0
		कुल	**2**	-	**84**
	गैर-कृषि आजीविका के अंतर्गत लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन पर टीओटी	कैम्पस में	1	10	27
		ऑफ कैम्पस	0	0	0
		कुल	**1**	-	**27**
एमआईएस	एमआईएस पर प्रशिक्षण	कैम्पस में	7	18	161
		ऑफ कैम्पस	75	15	3178
		कुल	**82**	**22**	**3339**

एनआरएलएम-आरसी हैदराबाद और गुवाहाटी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की राज्यवार और विषयवार संख्या का विवरण और वर्ष 2022-23 के लिए एनआरएलएम-आरसी के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले राज्यवार प्रतिभागियों का विवरण क्रमशः **परिशिष्ट-IX** और **अनुलग्नक -X** में दिया गया है।

एनआरएलएम-आरसी द्वारा आयोजित विषयवार कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किया गया है:

4.2.1. संस्था निर्माण एवं क्षमता निर्माण (आईबीसीबी)

4.2.1.1. एसआरएलएम के नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत स्टाफ क्षमता निर्माण ढांचे के प्रमुख घटक प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। मिशन स्टाफ क्षमता निर्माण एनआरएलएम के मूल सिद्धांतों और दर्शन पर कर्मचारियों की समझ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्मचारियों के लिए ये टीओटी कार्यक्रम 5-15 दिनों के होते हैं, जिसमें क्षेत्र कार्य और क्लास रूम सेगमेंट का मिश्रण होता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों को एनआरएलएम दर्शन और प्रक्रिया से परिचित कराना है। कर्मचारियों को एनआरएलएम कार्यान्वयन में सार्थक योगदान देने में मदद करने के लिए बुनियादी अवधारणाओं (गरीबी, भेद्यता, आजीविका, जेंडर, संस्था निर्माण हस्तक्षेप, वित्तीय समावेशन, आजीविका आदि) और कौशल (दृष्टिकोण, योजना, प्रशिक्षण, नेतृत्व और प्रबंधन आदि) को पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

4.2.1.2. एमसीएलएफ पर प्रशिक्षण - विजनिंग, व्यवसाय विकास, मानव संसाधन, शासन और एएपी

संस्था निर्माण और क्षमता निर्माण घटक के एक भाग के रूप में, "मॉडल सीएलएफ रणनीति के विकास" के माध्यम से उच्च स्तरीय एसएचजी संघों को मजबूत करने पर प्रमुख जोर दिया गया है। मॉडल सीएलएफ रणनीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और सभी एनआरईटीपी और एनआरएलएम ब्लॉक इस रणनीति के तहत कवर किए गए हैं। आदर्श क्लस्टर स्तरीय संघ के विकास का प्राथमिक उद्देश्य, एसआरएलएम के शेष ब्लॉकों और जिलों में अवधारणा के अनुकरण के लिए सदस्य-स्वामित्व वाले, सदस्य-प्रबंधित, सदस्य-नियंत्रित और वित्तीय रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण पर अवधारणा के प्रमाण का प्रदर्शन और विकास करना है। एसआरएलएम स्टाफ, कैडर और एनआरपी को एमसीएलएफ-विजन बिल्डिंग और व्यवसाय विकास योजनाओं पर प्रशिक्षित किया गया, ताकि सामुदायिक संस्थाओं की विजनिंग प्रक्रिया और व्यवसाय विकास योजनाओं को सुविधाजनक बनाया जा सके। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से एसआरएलएम अधिकारियों और सीबीओ पदाधिकारियों को सीएलएफ के तहत विभिन्न गतिविधियों, विशेष रूप से दृष्टि निर्माण, कार्यप्रणाली, प्रबंधन, व्यवसाय विकास योजना, मानव संसाधन प्रबंधन और वार्षिक कार्य योजना तैयारियों पर स्पष्टता विकसित करने में मदद मिली।

4.2.1.3. सीबीओ पुस्तकें और अभिलेख तथा लेखापरीक्षा प्रशिक्षण

दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सीबीओ को मजबूत करने की प्रक्रिया के रूप में, यह अनिवार्य है कि एसएचजी, वीओ और सीएलएफ स्तरों पर मजबूत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए। सभी स्तरों पर एक मजबूत बहीखाता प्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, एनआरएलएम आरसी ने सीबीओ अभिलेख की पुस्तकें, सीबीओ लेखापरीक्षा और वित्तीय प्रबंधन अवधारणाओं पर प्रशिक्षण आयोजित किया। प्रशिक्षण में स्वयं सहायता समूहों, स्वैच्छिक संगठनों और सीएलएफ की अभिलेख पुस्तकों के क्या, क्यों और कैसे भागों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा प्रशिक्षण में लेखापरीक्षा के सभी भागों को शामिल किया गया, जिसमें लेखापरीक्षित की जाने वाली पुस्तकों के प्रकार, लेखापरीक्षा कैसे की जाए, तथा लेखापरीक्षा का महत्व शामिल था।

4.2.1.4. समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों (सीएमटीसी) पर प्रशिक्षण

एनआरएलएम आरसी ने सीबीओ की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने और सीएलएफ के राजस्व-उत्पादक स्रोतों को बनाने के लिए मॉडल सीएलएफ की उत्कृष्ट पद्धतियों के अनुसरण के भाग के रूप में, 150 सीएमटीसी (सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र) को बढ़ावा दिया है। इन सीएमटीसी को देश भर के 13 एनआरईटीपी राज्यों में 8.5 लाख रुपये/सीएमटीसी का आधारभूत संरचना कोष प्रदान किया गया है। सीएमटीसी को लाभदायक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सोपान पद्धति दृष्टिकोण के माध्यम से 3 चरणों में "बिजनेस डेवलपमेंट प्लान (बीडीपी)" प्रशिक्षण कैलेंडर और सीएमटीसी सामुदायिक परिचालन मैनुअल की तैयारी पर एनआरईटीपी मॉडल सीएलएफ की क्षमताओं का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। चरण 1 दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, सभी एनआरईटीपी-एसपीएम आईबीसीबी, मॉडल सीएलएफ बीपीएम और मॉडल सीएलएफ प्रबंधकों को एनआईआरडीपीआर हैदराबाद में एनएमएमयू के समर्थन से 3 दिनों के लिए एनआईआरडीपीआर में प्रशिक्षित किया गया।

4.2.1.5. संघों की मानक संचालन प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण

प्राथमिक स्तर फेडरेशन (पीएलएफ) और माध्यमिक स्तर फेडरेशन (एसएलएफ) मिलकर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रणालियों और नीतियों के विकास के मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फेडरेशन के प्रतिनिधियों को फेडरेशन की मानक संचालन प्रक्रियाओं और इन सीबीओ को बनाए रखने की उनकी क्षमता के बारे में शिक्षित करने की

आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में, एनआरएलएम आरसी ने महासंघ की गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए महासंघ के कर्मचारियों और कैडरों की क्षमता निर्माण हेतु एसओपी पर प्रशिक्षण आयोजित किया।

4.2.2 सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास दृष्टिकोण

डीएवाई-एनआरएलएम ने गरीब परिवारों और समुदाय के कमजोर वर्गों तक पहुंचने के लिए सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास के लिए प्रोटोकॉल, नीतियां और रणनीतियां विकसित की हैं। डीएवाई-एनआरएलएम का मानना है कि सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास को मुख्यधारा में लाना इसकी रूपरेखा, प्रणालियों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं में शामिल होना चाहिए, ताकि स्थायी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, जिनका समुदाय के जीवन-गुणवत्ता संकेतकों पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। एनआरएलएम का बड़ा उद्देश्य पहचान और आत्मविश्वास, एकजुटता, समानता, निर्णय क्षमता, अधिकारों और हकदारियों तक पहुंच, संसाधनों और परिसंपत्तियों तक पहुंच और नियंत्रण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में काम करना है। गरीबों की संस्थाओं के माध्यम से एसआरएलएम स्टाफ, कैडर की क्षमता निर्माण के माध्यम से एसआईएसडी हस्तक्षेप किए गए हैं।

4.2.2.1. डीएवाई-एनआरएलएम के तहत सामाजिक समावेशन हस्तक्षेप को मुख्यधारा में लाने पर प्रशिक्षण

एसआईएसडी गतिविधियों को ग्राम स्तर तक प्रभावी ढंग से शुरू करने और एसआरएलएम स्टाफ, कैडर और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनआरएलएम आरसी ने विभिन्न क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

4.2.2.2. जेंडर अवधारणाओं को मुख्यधारा में लाने और जेंडर हस्तक्षेपों को एकीकृत करने पर प्रशिक्षण

डीएवाई-एनआरएलएम के कार्यान्वयन में जेंडर घटक का एकीकरण एसआईएसडी डोमेन के तहत सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा बन गया है। जेंडर हस्तक्षेपों का एकीकरण एसआरएलएम स्टाफ, कैडर के क्षमता निर्माण के माध्यम से किया गया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह स्तर पर जेंडर पॉइंट पर्सन, ग्राम संगठन में सामाजिक कार्य समितियां, क्लस्टर स्तरीय महासंघ और पंचायत/ब्लॉक स्तर पर जेंडर फोरम जैसे संस्थागत तंत्र शामिल हैं, जिसमें सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और अन्य विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। सीमांत समुदायों के लिए हकदारिता और अधिकारों तक पहुँच बनाने और जेंडर आधारित हिंसा में हस्तक्षेप करने के लिए जेंडर न्याय केंद्र और जेंडर संसाधन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके और डीएवाई-एनआरएलएम कार्यान्वयन प्रक्रिया में एकीकृत किया जा सके।

4.2.2.3. एफएनएचडब्लू अवधारणाओं को मुख्यधारा में लाने और एफएनएचडब्लू हस्तक्षेपों को एकीकृत करने पर प्रशिक्षण

डीएवाई एनआरएलएम आर्थिक विकास और गरीबी को कम करने के लिए बेहतर खाद्य सुरक्षा, पोषण के साथ स्वास्थ्य को एक आवश्यक इनपुट के रूप में मान्यता देता है। खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और वाश हस्तक्षेपों को मुख्यधारा में लाना गरीबी को बनाए रखने के कुछ अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने के लिए आवश्यक है और एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण घटक के रूप में बना हुआ है।

4.2.3. वित्तीय समावेशन पहल

4.2.3.1. एसएचजी-बैंक लिंकेज पर बैंक अधिकारियों का उन्मुखीकरण

एसएचजी सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रगति के लिए एसएचजी बैंक लिंकेज महत्वपूर्ण है। एसएचजी बैंक लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र-स्तरीय कार्यकर्ताओं और बैंक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, साथ ही साथ जागरूकता भी बढ़ाई गई। एनआरएलएमआरसी ने एनआरपी और एनआरएलएम आरसी कर्मचारियों के सहयोग से विभिन्न राज्यों में राज्य और जिला स्तर पर एनआरएलएम पर बैंकरों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

4.2.3.2. एफआई कैडरों का प्रशिक्षण

एफआई कैडरों की क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में एनआरएलएम आरसी ने मुख्य रूप से उत्तराखंड और पंजाब में सामुदायिक कैडरों यानी बैंक सखी, बैंकिंग संवाददाताओं और सीआरपी के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया है। एनआरएलएम आरसी ने हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में सात बैचों में बैंक प्रबंधक/एनआरईटीपी स्टाफ/बीसी सखी के लिए दोहरी प्रमाणीकरण सक्रियण (डीएए) पर उन्मुखीकरण का आयोजन किया, जिसमें 123 बीसी सखी, बैंक प्रबंधक और एसआरएलएम स्टाफ शामिल थे।

4.2.3.3. डिजिटल वित्त पर प्रशिक्षण

डिजिटल वित्त पर प्रशिक्षण का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के खातों में दोहरे प्रमाणीकरण को सक्रिय करना है, ताकि स्वयं सहायता समूहों के नकद लेनदेन को डिजिटल मोड के माध्यम से चैनलाइज़ किया जा सके और बीसी सखी (बैंकिंग संवाददाता) की

तैनाती के माध्यम से ग्रामीण लोगों को उनके निवास स्थान पर डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म (यूपीआई, एईपीएस) प्रदान करके डिजिटल बैंकिंग के उपयोग को बढ़ाया जा सके। एनआरएलएम आरसी ने सभी राज्यों के लिए डिजिटल वित्त पर एनआईआरडीपीआर में एक टीओटी का आयोजन किया है।

4.2.3.4. उद्यम वित्त पर प्रशिक्षण

उद्यम वित्त के अंतर्गत, डीएवाई एनआरएलएम आरसी ने सभी राज्यों के लिए उद्यम वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए विभिन्न केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों, संस्थानों और बैंकों द्वारा क्रियान्वित उद्यम वित्त योजनाओं के ज्ञान को बढ़ाकर महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देना और उद्यम वित्त योजनाओं से लाभ उठाने के लिए कौशल विकसित करना है।

4.2.4. कृषि आजीविका

एनआरएलएम आरसी वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि-पारिस्थितिक अभ्यासों, कृषि पोषक उद्यानों, सतत कृषि, पशुधन, मूल्य श्रृंखला, जैविक खेती और किसान उत्पादक समूहों (एफपीजी) पर कर्मचारियों और कैडरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसने वर्ष 2022-23 के दौरान शहद और मत्स्यपालन के उप-क्षेत्रों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वर्ष 2022 -23 के दौरान कृषि आजीविका के अंतर्गत 30 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 866 एसआरएलएम पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

4.2.4.1. कृषि आजीविका पर परिचय और अभिमुखीकरण

एसआरएलएम द्वारा डीएवाई-एनआरएलएम की कृषि आजीविका पहलों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कर्मियों की भर्ती की जा रही है। एनआरएलएम आरसी ने कई राज्यों के नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए परिचयात्मक एवं अभिमुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया और प्रतिभागियों को डीएवाई-एनआरएलएम के कृषि आजीविका हस्तक्षेपों से परिचित कराया गया।

4.2.4.2. राज्य स्त्रोत व्यक्ति प्रशिक्षण और चयन

राज्य स्त्रोत व्यक्ति जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण कैडर हैं और डीएवाई-एनआरएलएम की गतिविधियों की योजना बनाने, कार्यान्वयन, निगरानी और दस्तावेज़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। एसआरएलएम इन मानव संसाधनों का निर्माण स्वयं सहायता समूह परिवारों के दरवाजे तक सहायता पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। एनआरएलएम आरसी ने नौ राज्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 515 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को कृषि-पारिस्थितिकी पद्धतियों, टिकाऊ कृषि, पशुधन और उत्पादक समूहों पर प्रशिक्षित किया गया। इन कैडर को एनआरएलएम आरसी के सहयोग से एमकेएसपी पोर्टल में राज्य स्त्रोत व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत और नामांकित किया गया है।

4.2.4.3. कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियाँ और कृषि पोषक उद्यान

कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियाँ और कृषि-पोषक उद्यान महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हैं, जो टिकाऊ कृषि आजीविका को बढ़ावा देने के लिए महिला किसानों के कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि घरेलू आय, भोजन और पोषण सुरक्षा में वृद्धि हो सके। एनआरएलएम आरसी ने एईपी और एएनजी पर चार ऑन-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'अकृषित फसलों, भूले हुए खाद्य पदार्थों और पारंपरिक व्यंजनों' पर नए सत्र शुरू किए।इसलिए, प्रतिभागियों को पारंपरिक खाद्य प्रणालियों से परिचित कराया गया, जिनकी पर्यावरणीय और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है।

4.2.4.4. उत्पादक समूह और उत्पादक उद्यम

उत्पादक समूह और उत्पादक उद्यम सामूहिक प्रयासों के माध्यम से बाजार और वित्त तक पहुंच बनाने, आय के अवसरों में विविधता लाने और सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने में स्वयं सहायता समूह परिवारों को सहायता प्रदान करते हैं। शासन, प्रबंधन और व्यवसाय संचालन सतत महिला सामूहिकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। एनआरएलएम आरसी ने पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें शासन, प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला विकास, व्यवसाय योजना तैयारी और कानूनी अनुपालन से संबंधित विषय शामिल थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 136 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इससे उत्पादक समूहों और उत्पादक उद्यमों के बारे में उनकी जानकारी में सुधार हुआ।

4.2.4.5. मूल्य श्रृंखलाएं और उप क्षेत्र

आजीविका के अवसरों में विविधता लाना, कृषि आधारित गतिविधियों में जोखिम और अनिश्चितताओं से निपटने की रणनीतियों में से एक है। डीएवाई-एनआरएलएम समानांतर आजीविका से आय के अवसरों को बढ़ाने के लिए कृषि आजीविका के तहत उप-क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहा है। जैविक खेती, बाजरा, बांस, शहद, मत्स्य पालन और एनटीएफपी एनआरएलएम के फोकस क्षेत्र हैं, साथ ही क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप को लागू करना भी शामिल है। एनआरएलएम-आरसी ने शहद, जैविक खेती और मत्स्यपालन उद्यम पर पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और प्रतिभागियों को इन उप-क्षेत्रों के मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेपों के बारे में जानकारी दी गई।

4.2.4.6. एकीकृत कृषि क्लस्टर और एनआरईटीपी को सहायता

आईएफसी, डीएवाई-एनआरएलएम के एनआरईटीपी के अंतर्गत प्रमुख हस्तक्षेप है, जिसका उद्देश्य क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आय के अवसरों में विविधता लाना, परिसंपत्तियों का सृजन करना, बाजारों और वित्तीय संपर्कों तक पहुंच बनाना, स्थायी सामूहिकता का निर्माण करना और गैर-कृषि आजीविका को बढ़ावा देना है। इन हस्तक्षेपों से स्वयं सहायता समूह परिवारों को पूरे वर्ष आय का स्रोत प्राप्त करने में मदद मिलती है।

एनआरएलएम-आरसी ने आईएफसी और एनआरईटीपी के तहत प्रस्ताव की तैयारी और मूल्यांकन के लिए 18 एसआरएलएम को सहायता प्रदान की है। एनआरएलएम आरसी ने वर्ष 2023-24 के दौरान 23 आईएफसी प्रस्तावों, आठ मूल्य श्रृंखला प्रस्तावों और दो मूल्यांकन अध्ययनों का मूल्यांकन किया। वर्ष के दौरान की गई पहल और उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- एनआरएलएम-आरसी ने आठ राज्यों के 493 राज्य संसाधन व्यक्तियों (एसआरपी) को एईपी, टिकाऊ कृषि और पशुधन पर प्रशिक्षित किया और उन्हें एमकेएसपी पोर्टल में नामांकित किया गया है।
- एनआरएलएम आरसी ने मधुमक्खी पालन, जैविक खेती में माइक्रोबियल जैव उर्वरकों और कीटनाशकों को बढ़ावा देने और मत्स्यपालन में पैदावार के बाद हस्तक्षेप पर तीन तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित करने में सीबीआरटीआई-पुणे, एनआईपीएचएम और आईसीएआर-सीआईएफटी की तकनीकी दक्षताओं का उपयोग किया है। अपनी तरह की पहली पहल में, इन तकनीकी संस्थानों ने स्वयं सहायता समूह के हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एनआरएलएम आरसी के साथ सहयोग किया है।
- वर्ष 2022-23 के दौरान उप-क्षेत्रों, जैसे शहद और मत्स्यपालन पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप और सूक्ष्म उद्यम संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- स्वदेशी खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता के लिए कृषि पोषक उद्यान प्रशिक्षण में एक पारंपरिक खाद्य प्रणाली (अकृषित फसलें और पारंपरिक नुस्खा) एक नई अवधारणा पेश की गई है। प्रशिक्षण के प्रतिभागियों ने प्रतिक्रिया दी है कि ये अवधारणाएँ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कृषि पोषक उद्यानों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

4.2.5. गैर-कृषि आजीविका

गैर-कृषि आजीविका के तहत एनआरएलएम आरसी ने एसआरएलएम अधिकारियों, कैडरों और महिला उद्यमियों जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए छह (06) प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत नौ (09) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, एनआरएलएमआरसी ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं:

4.2.5.1. उद्यम विकास और व्यवसाय विकास योजना पर उन्नत (स्तर I) टीओटी

उद्यम विकास की अवधारणा ज्ञान और समय का निवेश करने, निवेश को आकर्षित करने, व्यावसायिक संबंध बनाने, अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्यम के लिए अधिक लोगों को रोजगार देने में निहित है। इसमें उद्यम की छवि को बेहतर बनाने और ग्राहक को अधिक मूल्य प्रदान करके पूंजी बढ़ाने की प्रक्रिया शामिल है। बदलती जरूरतों को देखते हुए, एनआरएलएम-आरसी ने एनआरएलएम के तहत उभरते उद्यमों के लिए उद्यम विकास और व्यवसाय विकास योजना पर टी.ओ.टी. का आयोजन किया और एसआरएलएम की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की।

4.2.5.2. मूल्य श्रृंखला और व्यवसाय विकास योजना पर टीओटी

एनआरएलएम-आरसी ने एफपीओ द्वारा निपटाए जाने वाले

विभिन्न कृषि वस्तुओं के लिए मूल्य श्रृंखला विश्लेषण और मूल्य श्रृंखला विकास योजनाओं पर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने और मूल्य श्रृंखला विकास योजनाओं पर आधारित व्यवसाय योजना तैयार करने की तकनीक में उनकी सहायता करने के लिए मूल्य श्रृंखला और व्यवसाय विकास योजना पर प्रशिक्षण का आयोजन किया।

4.2.5.3. एनआरएलएम के तहत विभिन्न योजनाओं पर गैर-कृषि सीआरपी को प्रशिक्षण

कैडर की क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में एनआरएलएम-आरसी ने एनआरएलएम के तहत विभिन्न योजनाओं पर गैर-कृषि सीआरपी के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया है ताकि उन्हें आकार और निवेश के आधार पर उद्यमों के विभिन्न विचारों, अवधारणाओं और वर्गीकरण से परिचित कराया जा सके।

4.2.5.4. गैर-कृषि आजीविका के अंतर्गत लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन पर टीओटी

एनआरएलएम आरसी ने एसआरएलएम स्टाफ और प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य उभरते हुए स्वयं सहायता समूह उद्यमियों को सहायता प्रदान करना था, ताकि उभरते हुए नैनो या सूक्ष्म उद्यमों की सफलता सुनिश्चित की जा सके और उनकी उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिल सके।

4.2.6. एमआईएस पर प्रशिक्षण

एनआरएलएम-आरसी ने पूरे देश में एलओकेओएस एप्लीकेशन को शुरू करने में एमओआरडी के साथ-साथ एसआरएलएम को भी सहयोग दिया है। एनआरएलएम-आरसी ने एसआरएलएम अधिकारियों और सामुदायिक ई-बुककीपर्स को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की है, जो एप्लीकेशन के अंतिम उपयोगकर्ता होंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, एनआईआरडीपीआर और एनईआरसी में एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ ने 28 मार्च, 2023 तक एमआईएस के तहत 31 कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

4.2.6.1. एमआईएस के तहत एनसीआरपी का विकास

एनआरएलएम-आरसी ने इस वित्तीय वर्ष में एलओकेओएस एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा (एलओकेओएस एप्लीकेशन के पायलट ब्लॉक) से 19 एनसीआरपी की पहचान की और उन्हें पैनल में शामिल किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता से एनसीआरपी को एलओकेओएस एप्लीकेशन पर गहन प्रशिक्षण दिया गया तथा अब वे सामुदायिक स्तर पर राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। एनआरएलएम-आरसी ने इस वित्त वर्ष में दो एनआरपी को भी पैनल में शामिल किया है। उनकी सेवाओं का उपयोग एसआरएलएम अधिकारियों के साथ-साथ सामुदायिक मास्टर प्रशिक्षकों के लिए एनआरएलएम-एमआईएस और एलओकेओएस एप्लीकेशन दोनों पर टीओटी आयोजित करने के लिए किया जाएगा।

4.2.6.2. एलओकेओएस के रोलआउट और फील्ड परीक्षण में समर्थित

एनआरएलएम-आरसी ने समय-समय पर एलओकेओएस एप्लीकेशन के विभिन्न खंडों के प्रोटोटाइप के परीक्षण में ग्रामीण विकास मंत्रालय को सहयोग दिया है तथा संभावित बग्स की पहचान करने में भी मदद की है। एनआरएलएम-आरसी ने लोकओएस एप्लीकेशन के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उपयोगकर्ता मैनुअल तैयार करने में भी सहायता की। एनआरएलएम-आरसी ने एलओकेओएस एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए अगरतला, नई दिल्ली और कोच्चि में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं के संचालन में ग्रामीण विकास मंत्रालय को सहयोग दिया।

4.3. वित्त वर्ष 2022-23 में एनआरएलएम-आरसी के अन्य प्रमुख दस्तावेज और उपलब्धियां

4.3.1. सफल कहानी का दस्तावेजीकरण

एनआरएलएम और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनआरएलएम द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सफल कहानियों के दस्तावेजीकरण को मंजूरी दी। संसाधन प्रकोष्ठ ने आजीविका और उद्यम के क्षेत्र में 7 ऑडियो-विजुअल (एवी) और 8 मामला अध्ययन की पहचान की और उनका दस्तावेजीकरण किया। कुछ उल्लेखनीय मामला अध्ययन में बिहार में "दीदी-की-रसोई", पंजाब में "सैनिटरी नैपकिन का निर्माण" और मध्य प्रदेश में "एसएचजी द्वारा दोहरे प्रमाणीकरण की प्रक्रिया" शामिल हैं। ये बेहतर पद्धतियाँ और मामला अध्ययन भविष्य की पहलों के लिए प्रेरणा और सीख के रूप में काम करते हैं।

4.3.2. एनआरपी का नया पैनलीकरण

संसाधन प्रकोष्ठ ने विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नए एनआरएलएम संसाधन व्यक्तियों (एनआरपी) को सूचीबद्ध किया। प्राप्त 1,018 आवेदनों में से 326 को शॉर्टलिस्ट किया गया और 41 एनआरपी को विभिन्न ग्रेड के तहत पैनल में शामिल करने के लिए चुना गया। इस प्रक्रिया ने एनआरएलएम की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञ संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की।

4.3.3. आयोजित कार्यक्रमों का डेटा प्रबंधन

संसाधन प्रकोष्ठ ने एक मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणाली लागू की। एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ के सहयोग से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर फीडबैक और एनआरपी के प्रदर्शन फीडबैक को गूगल फीडबैक फॉर्म के माध्यम से एकत्र किया गया। प्राप्त सभी फीडबैक को एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) में अपलोड किया गया। इसके अतिरिक्त, इन-कैंपस प्रशिक्षणों के लिए फीडबैक सीधे प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से एकत्र किया गया।

4.3.4. आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार

संसाधन प्रकोष्ठ ने दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें एसटीएमएस और प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम डेटा दर्ज करना शामिल था। प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार समिति (टीक्यूआईएमसी) ने उच्च-गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण अदायगी को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम अनुसूचियों, सत्र योजनाओं और संसाधन सामग्रियों की समीक्षा की।

4.3.5. डीएवाई-एनआरएलएम, एमओआरडी को समर्थन

- संसाधन प्रकोष्ठ ने मॉडल क्लस्टर स्तरीय संघों (एमसीएलएफ) से संबंधित विजन निर्माण और व्यवसाय विकास योजनाओं के लिए दिशा-निर्देशों और प्रारूपों को शुरू करने में सहायता की।
- मूल्य श्रृंखला (वीसी) और एकीकृत कृषि क्लस्टर (आईएफसी) प्रस्तावों के मूल्यांकन में सहायता की गई।
- प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में 19 एनआरएलएम सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों (एनसीआरपी) को शामिल करने के साथ एलओकेओएस एप्लीकेशन को देश भर में शुरू किया गया।

4.3.6. एसआरएलएम को समर्थन

- संसाधन प्रकोष्ठ ने राज्य में "सक्रिय महिलाओं" की क्षमता निर्माण के लिए लद्दाख में एसआरएलएम को सहायता प्रदान की।
- आठ राज्यों में 493 एसआरपी (राज्य संसाधन व्यक्ति) के एक पूल के विकास का समर्थन किया गया, जिसमें कृषि-उद्यमिता संवर्धन (एईपी), टिकाऊ कृषि और पशुधन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- आईएफसी और वीसी प्रस्तावों की तैयारी के लिए 18 एसआरएलएम को सहायता प्रदान की गई।
- जेंडर जस्टिस सेंटर के माध्यम से जेंडर फ्रेमवर्क संस्थागतकरण का समर्थन किया गया।
- राज्य स्तर पर जेंडर और वित्तीय समावेशन और आजीविका (एफएनएचडब्ल्यू) के लिए रणनीति विकसित की गई।
- मूल्य श्रृंखला और व्यवसाय विकास प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एमसीएलएफ निर्माण के लिए व्यापक समर्थन प्रदान किया गया।
- 12 एसआरएलएम में संतृप्ति दृष्टिकोण बैंकरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- दोहरी प्रमाणीकरण प्रक्रिया (डीएए) के सक्रियण के लिए एसआरएलएम को फील्ड समर्थन प्रदान किया गया।

4.3.7. अन्य प्रमुख उपलब्धियाँ

- सामाजिक समावेशन में ऑडियो-विजुअल, मामला अध्ययन और आई-गॉट मॉड्यूल का विकास।
- हिंदी और अंग्रेजी में मोरिंगा रेसिपी बुक का निर्माण
- उद्यम वित्त योजनाओं के संग्रह का विकास ।
- कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार, जिसमें मोती आभूषण बनाने के प्रशिक्षण के लिए सहयोग शामिल है।
- मत्स्यपालन, शहद उत्पादन, कृषि-पोषक उद्यान, पारंपरिक खाद्य प्रणाली, तथा जैव-उर्वरकों और कीटनाशकों के सूक्ष्मजीवी उत्पादन जैसे नए उप-क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत ।
- एनआईआरडीपीआर के अन्य शैक्षणिक केंद्रों के साथ सहयोग।
- कृषि और गैर-कृषि आजीविका क्षेत्रों के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि।
- पीएसयू/आरआरबी बैंकों के साथ साझेदारी में एसएचजी लेखों में दोहरी प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का विकास।
- छत्तीसगढ़ और बिहार में सक्षम वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना और क्षेत्रीय समर्थन।
- एफएओ परियोजना में सहायता प्रदान की गई।
- नए पैनल में शामिल और मौजूदा स्त्रोत व्यक्तियों के लिए एनआरपी अभिविन्यास कार्यशालाओं का आयोजन।
- आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न राज्यों से प्रशिक्षण आवश्यकताओं को एकत्रित करने के लिए एक ऑनलाइन परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। प्राप्त इनपुट के आधार पर, डीएवाई-एनआरएलएम-आरसी ने वार्षिक कार्य योजना तैयार की।

अध्याय - 5
नवोन्मेषी कौशल और आजीविका

5.1. एसजीएसवाई (एसपी) परियोजनाओं की स्थिति

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की कौशल और प्लेसमेंट पहल है। इसका विकास ग्रामीण गरीबों की आय में विविधता लाने तथा युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता से हुआ। प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास विशेष परियोजनाओं का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की परिवारों के ग्रामीण युवाओं को संगठित क्षेत्र में मजदूरी रोजगार पाने के लिए कौशल हासिल करना है। 2007 से, मंत्रालय ने समन्वय और निगरानी एजेंसी के रूप में एनआईआरडीपीआर को 87 एसजीएसवाई (एसपी) परियोजनाएं सौंपी हैं। 87 परियोजनाओं में से 23 परियोजनाएं औपचारिक रूप से बंद हो गई हैं। मंत्रालय और एनआईआरडीपीआर अब लंबित 64 परियोजनाओं को व्यवस्थित तरीके से बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। एसजीएसवाई की विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त महत्वपूर्ण सीखों में से एक, अन्य बातों के साथ-साथ, स्पष्ट परिचालन प्रोटोकॉल की अपर्याप्तता या कमी थी। इस तरह के स्पष्ट अंतराल को भरने के लिए, 2014 में एक नया कार्यक्रम, अर्थात दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एक सुपरिभाषित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ शुरू किया गया था।

5.2. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

डीडीयू-जीकेवाई देश के वंचित ग्रामीण युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है और राज्य सरकारों एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के साथ साझेदारी की जा रही है। डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण युवाओं को करियर में प्रगति की संभावनाओं के साथ देश या विदेश में अच्छी नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में विश्वास रखता है। एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई प्रकोष्ठ, ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ी मुख्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। सीटीएसए के रूप में, एनआईआरडीपीआर देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में रोशनी (वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में), हिमायत (जम्मू और कश्मीर में) और देश के बाकी हिस्सों में डीडीयू-जीकेवाई के नाम से परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। सीटीएसए के रूप में एनआईआरडीपीआर द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, जिनमें निगरानी और मूल्यांकन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मजबूत एमआईएस विकसित करना और बनाए रखना शामिल है। इसके अलावा, एनआईआरडीपीआर डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के लिए एक मूल्यांकन एजेंसी भी है।

सीटीएसए की भूमिका में, एनआईआरडीपीआर मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है:

- दिशानिर्देशों और एसओपी में परिकल्पित अनुसार प्रत्येक सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र का वर्ष में कम से कम तीन निरीक्षण करना
- दिशानिर्देशों और एसओपी में परिकल्पित अनुसार वित्तीय और भौतिक प्लेसमेंट सत्यापन करना
- राज्यों/ एमओआरडी के साथ परियोजना प्रदर्शन समीक्षा
- विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से एसआरएलएम/एसडीएम से आवश्यक डेटा/सूचना एकत्र करना
- संबंधित राज्यों में पीआईए द्वारा अच्छे प्रदर्शन/गैर-प्रदर्शन के क्षेत्रों को उजागर करना और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना
- समीक्षा और अन्य बैठकों जैसे सीएक्सओ, जॉब फेयर आदि में भाग लेना
- ईआरपी मॉड्यूल (कौशल भारत) विकसित करने में एमआईएस टीम की सहायता करना
- देश भर के सभी हितधारकों के लिए ईआरपी (कौशल भारत) का कार्यान्वयन और संचालन

इसके अलावा, एनआईआरडी ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्यों को निम्नलिखित में सहायता प्रदान करता है:

- एसओपी और दिशा-निर्देशों में संशोधन
- कौशल भारत में मुद्दों का समाधान
- शिकायतों/परेशानियों का निवारण

- डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता और मार्गदर्शन
- प्रभाव अनुसंधान परियोजनाओं में भाग लेना और उन्हें क्रियान्वित करना
- राज्यों को मासिक प्रदर्शन पत्र जिसमें राज्य में समग्र कार्यक्रम की प्रगति का संकेत दिया गया हो।

वर्ष 2022-23 में इनमें से कुछ क्षेत्रों में टीम की उपलब्धियों का एक स्नैपशॉट निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है:

1. राज्यों/पीआईए की प्रदर्शन समीक्षा में भाग लिया/आयोजित किया गया – 137
2. प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया गया – 1693
3. भौतिक प्लेसमेंट सत्यापन -1629
4. अंडमान और निकोबार द्वीप में डीडीयूजीकेवाई का नैदानिक अध्ययन
5. दादरा और नगर हवेली में डीडीयू-जीकेवाई का व्यवहार्यता अध्ययन
6. मासिक परियोजना प्रदर्शन रिपोर्ट- 51 डैशबोर्ड पत्र
7. एमएससी (प्रवास सहायता केंद्र) स्थापित करने में राज्यों की सहायता करना – 2 राज्यों में 2 एमएससी
8. अन्य गतिविधियाँ

एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई प्रकोष्ठ की गतिविधियों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित वर्गों में वर्णित है।

5.2.1 पीआईए की निष्पादन समीक्षा में भागीदारी

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा की गई पीआईए की 137 निष्पादन समीक्षाओं में एनआईआरडीपीआर के डीडीयूजीकेवाई सेल ने भाग लिया, जिनका विवरण नीचे दिया गया है (**तालिका 5.1)**:

तालिका 5.1: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित/उपस्थित पीआईए की प्रदर्शन समीक्षा बैठकों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	आयोजित/उपस्थित पीआईए निष्पादन समीक्षा बैठकों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	19
3	असम	1
4	बिहार	16
5	गुजरात	8
6	हरियाणा	6
7	झारखंड	6
8	जम्मू – कश्मीर	6
9	कर्नाटक	14
10	केरल	4
11	मेघालय	3
12	मणिपुर	2
13	पुदुचेरी	1
14	पंजाब	6
15	राजस्थान	6
16	सिक्किम	3
17	तमिलनाडु	24
18	तेलंगाना	0
19	त्रिपुरा	7
20	पश्चिम बंगाल	4
	कुल	**137**

स्रोत: परियोजना अभिलेख

5.2.2 प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण

एनआईआरडीपीआर के डीडीयूजीकेवाई प्रकोष्ठ ने प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तृत और औचक निरीक्षण किया। प्रति प्रशिक्षण केंद्र प्रति वर्ष तीन दौरों की दर से, कुल 1693 प्रशिक्षण केंद्र दौरे किए गए, जिनमें से कुल 1748 प्रशिक्षण केंद्र दौरे (97%) वित्त वर्ष 2022-2023 में होने हैं । **(तालिका 5.2)**

तालिका 5.2: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीटीएसए द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों में किए गए विस्तृत और औचक निरीक्षण की राज्यवार संख्या

राज्य का नाम	बाकी	किए गए	%
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	4	67
आंध्र प्रदेश	296	285	96
असम	147	141	96
बिहार	125	123	98
गुजरात	27	24	89
हरियाणा	54	51	94
जम्मू – कश्मीर	105	105	100
झारखंड	114	114	100
कर्नाटक	57	53	93
केरल	144	144	100
मेघालय	33	27	82
मणिपुर	16	15	94
पंजाब	93	90	97
पुदुचेरी	14	11	79
राजस्थान	91	89	98
सिक्किम	21	21	100
तमिलनाडु	223	215	96
तेलंगाना	75	75	100
त्रिपुरा	26	25	96
पश्चिम बंगाल	81	75	93
कुल	**1748**	**1693**	**97**

स्रोत: परियोजना अभिलेख

जबकि 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत प्रशिक्षण केंद्र निरीक्षण किए गए, डीडीयूजीकेवाई सेल ने 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 90 से 100 प्रतिशत प्रशिक्षण केंद्र निरीक्षण किए और 4 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 90 प्रतिशत से कम प्रशिक्षण केंद्र निरीक्षण किए गए। प्रशिक्षण केंद्र निरीक्षण जो निर्धारित थे, लेकिन उस महीने में नहीं किए जा सके, उन्हें अगले महीने में किया जाता है।

5.2.3 भौतिक प्लेसमेंट सत्यापन

एनआईआरडीपीआर का डीडीयूजीकेवाई सेल नमूना, आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति का भौतिक सत्यापन करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सत्यापन के लिए कुल 1629 नमूने डीडीयू-जीकेवाई प्रकोष्ठ में भेजे गए और सभी सत्यापित किए गए।

डीडीयूजीकेवाई प्रकोष्ठ द्वारा सत्यापित 1629 उम्मीदवारों में से 18.6% तमिलनाडु से, 18.5% पंजाब से, 12.5% बिहार से और 9% असम से थे और शेष सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 41.4% उम्मीदवार थे।

5.2.4 अनुसंधान और विकास

डीडीयूजीकेवाई प्रकोष्ठ ने अंडमान - निकोबार द्वीप पर एक नैदानिक अध्ययन और दादरा और नगर हवेली पर एक व्यवहार्यता अध्ययन किया है।

5.2.4.1 अंडमान -निकोबार द्वीपसमूह में डीडीयू-जीकेवाई कार्यान्वयन का नैदानिक अध्ययन

डीडीयूजीकेवाई प्रकोष्ठ ने अंडमान - निकोबार द्वीपसमूह में डीडीयूजीकेवाई परियोजना का नैदानिक अध्ययन किया है। अध्ययन में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

- कौशल अंतराल अध्ययन: यह पता चला कि अधिकांश छात्र मुख्य भूमि पर प्रवास करने में रुचि नहीं रखते हैं। द्वीप में नियोक्ताओं के साथ बातचीत के दौरान, यह पता चला कि आतिथ्य क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और मल्टी स्किल्ड टेक्नीशियन जैसी नौकरी की भूमिका के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। अंडमान - निकोबार के अधिकारियों को

तालिका 5.3: डीडीयूजीकेवाई परियोजना के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के प्लेसमेंट के लिए डीडीयूजीकेवाई सेल द्वारा भौतिक सत्यापन

राज्य	भौतिक सत्यापन हेतु तैयार किया गया नमूना	आयोजित प्लेसमेंट का वास्तविक भौतिक सत्यापन	सत्यापित भौतिक प्लेसमेंट का %
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	100%
आंध्र प्रदेश	0	0	100%
असम	147	147	100%
बिहार	204	204	100%
गुजरात	56	56	100%
हरियाणा	60	60	100%
जम्मू – कश्मीर	0	0	100%
झारखंड	127	127	100%
कर्नाटक	42	42	100%
केरल	107	107	100%
मणिपुर	25	25	100%
मेघालय	62	62	100%
पंजाब	302	302	100%
पुदुचेरी	18	18	100%
राजस्थान	110	110	100%
सिक्किम	07	07	100%
तमिलनाडु	303	303	100%
तेलंगाना	1	1	100%
त्रिपुरा	17	17	100%
पश्चिम बंगाल	10	10	100%
नैबकॉन्स नमूने	16	16	100%
एसआरएलएम नमूने	15	15	100%
कुल	**1629**	**1629**	**100%**

स्रोत: परियोजना अभिलेख

द्वीप पर प्लेसमेंट के अवसरों से संबंधित अंडमान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक सीएक्सओ बैठक करने की आवश्यकता है।

- **ई-एसओपी प्रमाणन:** एएनआईआरएलएम कर्मचारी सीटीएसए की मदद से डीडीयूजीकेवाई के सभी एसओपी अध्यायों पर अभिविन्यास ले सकते हैं और ईएसओपी प्रमाणन पूरा कर सकते हैं। एएनआईआरएलएम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीआईए स्टाफ सदस्य भी ई-एसओपी प्रमाणित हैं। इसे सक्षम करने के लिए, एएनआईआरएलएम द्वीप पर सभी पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने वाले एक या अधिक टीसी की पहचान कर सकता है ताकि इसे एसओपी केंद्र के रूप में सक्षम किया जा सके। वैकल्पिक रूप से, एएनआईआरएलएम पूरे द्वीप के लिए एकल एसओपी परीक्षा प्रशासन केंद्र के रूप में अपना स्वयं का कार्यालय बनाने का विकल्प चुन सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एएनआईआरएलएम की ओर से जनवरी के अंतिम सप्ताह/ फरवरी के पहले सप्ताह में किसी समय किए जाने वाले उचित परिश्रम और केंद्र निरीक्षण लंबित हैं, सभी कर्मचारियों का ई-एसओपी प्रमाणन सीटीएसए के माध्यम से शुरू किया जा सकता है।

- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं: यद्यपि अंडमान - निकोबार द्वीपसमूह के एसआरएलएम और पीआईए के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था, एसआरएलएम और पीआईए की भागीदारी एनआईआरडीपीआर द्वारा अप्रैल-दिसंबर 2022 से आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों (ऑनलाइन) में दर्ज की गई है, जिसमें एसआरएलएम इंडक्शन, वित्तीय प्रक्रियाएं, परियोजना समापन, कौशल भारत निरीक्षण मॉड्यूल, कौशल भारत रिफ्रेशर, डीडी और निरीक्षण, डिफ़ॉल्ट प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन, केंद्र प्रबंधन, पीआईए के लिए ईएसओपी पर विषयगत प्रशिक्षण, कौशल पंजी और कौशल योग्यता पर अभिविन्यास, एलएमएस पर अभिविन्यास, और मोबिलाइजेशन टूल और तकनीक शामिल

हैं। कर्मियों की कुल भागीदारी 67 दर्ज की गई है (जिसमें कई सत्रों में भाग लेने वाले कुछ कर्मचारी शामिल हैं)। हालांकि, यह अनुशंसा की जाती है कि पीआईए और एसआरएलएम के लिए विशेष आमने-सामने प्रशिक्षण द्वीप या एनआईआरडीपीआर में आयोजित किया जा सकता है ताकि संचालन में ई-एसओपी प्रमाणीकरण और दक्षता सुनिश्चित की जा सके।

- **प्रशिक्षण केन्द्र का समुचित परिश्रम और निरीक्षण:** एएनआईआरएलएम स्टाफ सीटीएसए की मदद से एसओपी के अनुसार किए जाने वाले निरीक्षणों की समयसीमा और प्रकारों पर उन्मुखीकरण ले सकता है। प्रशिक्षण केन्द्र का उचित परिश्रम एएनआईआरएलएम टीम द्वारा समयसीमा के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए।
- **निरीक्षणों और अलर्ट/नोटिस का अनुपालन:** क्यू टीम, एएनआईआरएलएम निरीक्षणों का समय पर सत्यापन और ऐसे निरीक्षणों के दौरान की गई सभी टिप्पणियों का अनुपालन किया जाना चाहिए। उपरोक्त किसी भी गैर-अनुपालन के लिए, पीआईए के खिलाफ समय पर अलर्ट और नोटिस जारी किए जाने चाहिए। एआईएनआरएलएम स्टाफ सदस्यों को डीडीयू-जीकेवाई की डिफ़ॉल्ट प्रक्रियाओं पर एक वर्चुअल कार्यशाला में भाग लेना चाहिए।
- **समवर्ती निगरानी:** मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय सत्यापन के साथ-साथ मासिक प्लेसमेंट सत्यापन किया जाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन:** डीडीयूजीकेवाई के सभी अध्यायों पर कम से कम एक कार्यशाला आंतरिक टीम और पीआईए दोनों के लिए आयोजित की जानी है। बेहतर समझ के लिए टीम को डीडीयू-जीकेवाई के विभिन्न मॉड्यूल पर एक सप्ताह की कार्यशाला के लिए एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद का दौरा करना चाहिए।
- **पीआईए के साथ समीक्षा बैठकें:** प्रदर्शन का आकलन करने और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए पीआईए के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें (ऑनलाइन/ऑफलाइन) आयोजित करनी चाहिए।
- **कर्मचारियों की नियुक्ति:** अधिसूचित न्यूनतम कर्मचारियों को राज्य द्वारा नियुक्त किया जाना है। इसके अलावा, राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकता है कि कर्मचारी डीडीयू-जीकेवाई के लिए समर्पित हों।
- **टीएसए की नियुक्ति/सीटीएसए की सहायता प्राप्त करना:** वर्तमान में विभिन्न पीआईए को 9 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जब तक राज्य पूर्ण ज्ञान हस्तांतरण प्राप्त नहीं कर लेता, एएनआईआरएलएम एक टीएसए नियुक्त कर सकता है या सीटीएसए की सहायता ले सकता है।
- **सीएक्सओ का संचालन:** एएनआईआरएलएम को प्रशिक्षण केन्द्र में मुद्दों को संबोधित करने और एक कौशल अंतर विश्लेषण रिपोर्ट आयोजित करने के बाद द्वीप पर सभी नियोक्ताओं के साथ सीएक्सओ बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया जाता है। यह बदले में निम्नलिखित में सहायता करेगा:
  - द्वीप पर नियोक्ताओं को योजना के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा युवाओं के लिए प्रशिक्षण और नियुक्ति के अवसरों को बढ़ाना।
  - संबंधित क्षेत्रों में डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षित युवाओं के लिए प्लेसमेंट अवसरों का लाभ प्रदान करना (पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के राज्य जिनमें मुख्य भूमि राज्यों के लिए प्लेसमेंट की संभावनाएं हैं)।
- **व्यापारों का पुनर्गठन :** कौशल अंतर अध्ययन के आधार पर, एएनआईआरएलएम वर्तमान पीआईए क्षमताओं पर विचार करते हुए भविष्य के बैचों के लिए ट्रेडों को संशोधित करने का निर्णय ले सकता है। पीआईए को मल्टी स्किल्ड तकनीशियन जैसे व्यापारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है क्योंकि द्वीप पर इसकी मांग बहुत अधिक है।
- **प्रवासन सहायता केंद्र की स्थापना:** चूंकि अधिकांश उम्मीदवार बैंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में काम करना चाहते हैं, इसलिए एएनआईआरएलएम इन शहरों में समर्पित एमएससी स्थापित करने पर विचार कर सकता है। इससे उम्मीदवारों की प्रशिक्षण में सुविधा होगी। सीटीएसए एएनआईआरएलएम को एमएससी स्थापित करने में सुविधा प्रदान करेगा।
- **डीडीयू-जीकेवाई की ब्रांडिंग:** द्वीप में नियोक्ताओं को डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के बारे में संवेदनशील बनाना होगा। आईईसी घटक के तहत द्वीप के प्रमुख क्षेत्रों में डीडीयू-जीकेवाई के होर्डिंग्स लगाए जाने चाहिए।
- **प्लेसमेंट सत्यापन:** एएनआईआरएलएम टीम को एसओपी के अनुसार नमूनों का प्लेसमेंट सत्यापन करना चाहिए।

5.2.4.2 दादरा और नगर हवेली तथा दमन - दीव में डीडीयू-जीकेवाई की व्यवहार्यता अध्ययन

एनआईआरडीपीआर के डीडीयू-जीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ द्वारा दादरा और नगर हवेली यूटी में डीडीयू-जीकेवाई को लागू करने की व्यवहार्यता पर एक त्वरित अध्ययन किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- यह देखा गया है कि यद्यपि आकांक्षाएं ऊंची हैं, फिर भी दादरा और नगर हवेली से बाहर उम्मीदवारों का प्रवासन एक चुनौती होगी। उम्मीदवार केवल तभी प्रवासन में रुचि लेंगे जब उन्हें प्रति माह 20,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता हो। स्थानीय प्लेसमेंट के मामले में, दादरा और नगर हवेली में कपड़ा और प्लास्टिक उद्योग हैं, जिनमें संभावित अवसर हैं। हालांकि, उम्मीदवारों को उद्योग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।
- दादरा और नगर हवेली की अधिकांश ग्रामीण आबादी आदिवासियों की है। पीआईए और टेक्सटाइल, प्लंबिंग, वेल्डिंग, ऑटोमोटिव रिपेयर और बेसिक इलेक्ट्रिकल रिपेयर जैसे ट्रेडों का चयन करते समय इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए।
- 90% से अधिक उम्मीदवार दादरा और नगर हवेली से प्रवासन करने के लिए तैयार नहीं थे। इसका श्रेय काफी हद तक संस्कृति, अपेक्षाकृत कम जीवन-यापन लागत और रोजगार तक आसान पहुंच को दिया जा सकता है जो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से मजदूरी प्रदान कर सकता है।

5.2.5 मासिक परियोजना निष्पादन रिपोर्ट

एनआईआरडीपीआर सीटीएसए के रूप में इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक राज्य में परियोजनाओं के निष्पादन पर मासिक डैशबोर्ड प्रकाशित करता रहा है। यह डैशबोर्ड राज्यों में कार्यक्रम कार्यान्वयन की ताकत को प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों जैसे प्रशिक्षण उपलब्धियाँ, प्राप्त प्लेसमेंट, जारी की गई किश्तें, डीडीयू-जीकेवाई मानकों का अनुपालन आदि के संदर्भ में दर्शाता है। इससे राज्य सरकारों को जहाँ भी प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, वहाँ आवश्यक और समय पर कार्रवाई और उपाय शुरू करने में मदद मिली है।

5.2.6 प्रवासन सहायता केंद्र स्थापित करने में राज्यों की सहायता करना

कई मामलों में डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण और प्लेसमेंट में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें उनके मूल जिलों या यहां तक कि राज्यों से दूर नौकरियों में रखना शामिल है। इसलिए एसआरएलएम को उन शहरों में एमएससी खोलने पर विचार करना चाहिए जहां उनके राज्य में प्रशिक्षित लोग बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। एससी/एसटी समुदायों की महिलाओं की सहायता के लिए राज्य के भीतर भी एमएससी खोले जाने चाहिए जो काम के लिए पलायन करती हैं। यह फिनिशिंग और वर्क रेडिनेस सेंटर से अलग है जिसे पीआईए को संचालित करने की आवश्यकता होती है। यहां पूर्व छात्रों का समर्थन, आवास सहायता, परामर्श सेवाएं, नियोक्ताओं के साथ आवधिक मिलना-जुलना और नेटवर्किंग कार्यक्रम, स्थानीय समाचार पत्र, स्थानीय नागरिक और पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय आदि जैसी गतिविधियां की जानी हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से जहां एनआईआरडीपीआर सीटीएसए है, असम, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में 1-1 सहित 4 प्रवासन सहायता केंद्र स्थापित किए गए।

5.2.7 अन्य गतिविधियाँ:

5.2.7 .1 मानव संसाधन का सुदृढ़ीकरण

किसी भी कार्यक्रम के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन में मानव संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग सभी राज्यों ने राज्य नोडल एजेंसी अर्थात राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के साथ अपनी जनशक्ति में वृद्धि की है, जो राज्य में डीडीयूजीकेवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। एनआईआरडीपीआर ने डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों की मदद के लिए अपने संसाधनों को नियुक्त करके कुछ राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश जैसे आंध्र प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, जम्मू –कश्मीर, कर्नाटक आदि का भी समर्थन किया। एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई की एम एवं ई टीम राज्यों को उचित परिश्रम, निरीक्षण, किस्त प्रसंस्करण आदि जैसे कार्यों में मदद कर रही है।

5.2.7.2 कार्यान्वयन प्रक्रियाओं का अनुकूलन

डीडीयू-जीकेवाई के पास देश भर में कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और दिशानिर्देश हैं। अपने विशाल अनुभव के आधार पर, एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई की एम एवं ई टीम राज्यों को कार्यक्रम कार्यान्वयन के कई क्षेत्रों में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने में मदद कर रही है।

5.2.7.3 तकनीकी सहायता एजेंसियों (टीएसए) की नियुक्ति

डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम में राज्यों के लिए तकनीकी सहायता एजेंसी की सेवाएं लेने का प्रावधान है, ताकि वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे कि उचित परिश्रम, निरीक्षण, प्लेसमेंट सत्यापन, पीआईए प्रदर्शन समीक्षा आदि को पूरा करने में उनकी मदद कर सकें। रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि के दौरान अधिकांश राज्यों में टीएसए लागू हो चुके हैं। एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई की एमएंडई टीम कई राज्यों को टीएसए की चयन प्रक्रियाओं में मदद कर रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनआईआरडीपीआर ने टीएसए को सहायता प्रदान करके गुजरात, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के एसआरएलएम का समर्थन किया।

5.2.7.4 परियोजना निष्पादन निगरानी

कई राज्यों ने परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ विकसित की हैं और उन्हें लागू किया है, ताकि समय पर सुधार शुरू किया जा सके। इस तरह की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप परियोजना निष्पादन में सुधार हुआ है। एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई की एमएंडई टीमें कार्यक्रम की निरंतर निगरानी में राज्यों का समर्थन कर रही हैं।

5.2.8 प्रशिक्षण और विकास

वित्त वर्ष के दौरान, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए सीटीएसए और एनआरओ के रूप में 139 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशिक्षण में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 6231 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डीडीयू-जीकेवाई की मानक संचालन प्रक्रियाओं के विभिन्न अध्यायों और विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया ताकि एसआरएलएम, तकनीकी सहायता एजेंसियों, केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्यात्मक ज्ञान का निर्माण किया जा सके। केंद्र प्रबंधकों, गुणवत्ता कार्मिकों, एमआईएस कार्मिकों, परामर्शदाताओं, मोबिलाइजर्स, प्रशिक्षकों आदि को डीडीयू-जीकेवाई की भावना के अनुरूप अपनी भूमिका निभाने के लिए भूमिका-आधारित कौशल विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्यवार भागीदारी **चित्र 5.3** में दर्शाई गई है।

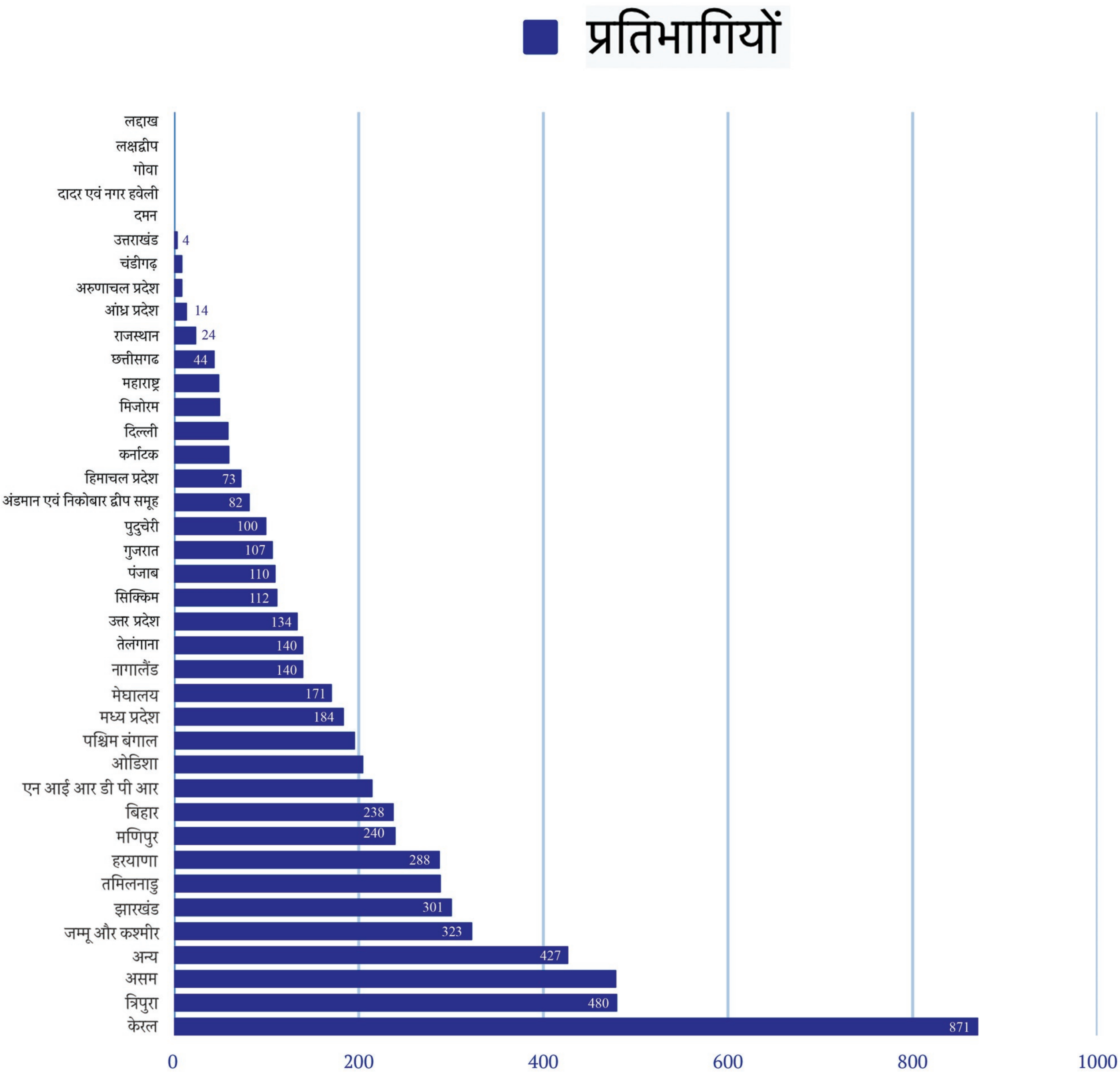

चित्र 5.3: प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्यवार प्रतिभागी

5.2.9. कौशल समाचारः 12 अंक प्रकाशित

कौशल समाचार की शुरुआत डीडीयू-जीकेवाई पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और राज्यों की सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के एक विनम्र प्रयास के रूप में हुई थी। हालाँकि, जैसे-जैसे वर्ष बीतते गए, हम राज्यों में सीटीएसए अधिकारियों, एसआरएलएम और प्रशिक्षण भागीदारों के सक्रिय समर्थन से, प्रशिक्षण केंद्रों से दृश्यों और ध्वनियों की रिपोर्ट करने में सक्षम हुए, जो डीडीयू-जीकेवाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। हमने डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों की प्रेरक कहानियों को भी रिपोर्ट करना शुरू किया जो एक नियमित विशेषता बन गई है। वर्ष के दौरान इसने विभिन्न राज्यों से डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों की 237 सफलता की कहानियाँ प्रकाशित कीं।

सभी अंक यहां से प्राप्त किए जा सकते हैं: http://kaushalsamachar.ddugky.info/?s

5.3. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की आरसेटी परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी की समस्या, कृषि मजदूरों की अल्परोजगार और ग्रामीण आबादी का शहरी केंद्रों की ओर पलायन जैसी कई सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को कम करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का विजन और मिशन प्रत्येक जिले में एक आरसेटी भवन का निर्माण करना है, जो ग्रामीण बेरोजगार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा, ताकि वे स्थानीय बैंकों से ऋण लिंकेज की सहायता से स्वरोजगार उद्यम शुरू करके उद्यमी बन सकें।

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के तहत आरएसईटीआई आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। एनआईआरडीपीआर को आरएसईटीआई को प्रायोजित करने वाले विभिन्न बैंकों से अनुदान सहायता अनुरोध प्रस्ताव प्राप्त करने और संसाधित करने, मंजूरी के लिए एमओआरडी को प्रस्तावों की सिफारिश करने, बैंकों को मंत्रालय की मंजूरी बताने और आरसेटी भवनों के निर्माण के लिए प्रायोजक बैंकों को निधियां जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। एनआईआरडीपीआर भवन निर्माण के लिए भूमि का निर्विवाद कब्जा पाने के लिए आरसेटी का मार्गदर्शन करता है, जिला या राज्य प्राधिकरणों द्वारा भूमि आबंटन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने में आरसेटी प्रायोजक बैंकों की मदद करता है और भवन निर्माण के लिए विभिन्न मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करने में भी मदद करता है। आरसेटी परियोजना प्रभाग एमओआरडी के दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुसार आरसेटी भवनों के निर्माण को पूरा करने में प्रायोजक बैंकों का मार्गदर्शन करता है।

5.3.1 31.03.2023 तक उपलब्धि की प्रगति

31.03.2023 तक देश में विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित 590 आरसेटी सक्रिय हैं। एनआईआरडीपीआर ने देश भर में स्थित 498 आरसेटी को संचयी रूप से 388.30 करोड़ रुपये का आधारभूत संरचना अनुदान जारी किया है। 335 जिलों में आरएसईटीआई भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष जिलों में कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तीस आरसेटी पूरे किए गए, छह जिलों में आरसेटी का निर्माण शुरू हो गया है, जिनमें तमिलनाडु के इरोड और तिरुपुर, तेलंगाना के महबूबनगर और सिद्दीपेट, जम्मू और कश्मीर के पुंछ और त्रिपुरा के बिश्रामगंज शामिल हैं। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर और रानीगंज में दो नए आरसेटी खोले गए हैं।

तालिका 5.4: 31.03.2023 तक राज्यवार आरसेटी भवन निर्माण की स्थिति				
क्र. सं.	राज्य का नाम	निर्माण पूरा हो चुका है	निर्माण प्रगति पर है	निर्माण अभी शुरू होना बाकी है
1	अंडमान - निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	0	0	0
2	आन्ध्र प्रदेश	7	0	3
3	अरूणाचल प्रदेश	1	1	0
4	असम	7	3	9
5	बिहार	27	5	6
6	छत्तीसगढ	18	0	0
7	दादर नगर हवेली (यूटी)	1	0	0
8	दमन एवं दीव (यूटी)	0	0	0
9	गोआ	0	0	0
10	गुजरात	21	1	4
11	हरियाणा	13	0	8
12	हिमाचल प्रदेश	5	2	2
13	जम्मू - कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	0	3	1
14	झारखंड	21	2	1
15	कर्नाटक	24	0	3
16	केरल	4	2	5
17	लक्षद्वीप (यूटी)	0	0	1
18	मध्य प्रदेश	50	0	0
19	महाराष्ट्र	15	4	12
20	मणिपुर	1	0	0
21	मेघालय	2	0	2
22	मिजोरम	0	0	1
23	नागालैंड	1	0	0
24	ओडिशा	20	2	4
25	पुदुचेरी (यूटी)	0	0	1
26	पंजाब	13	1	4
27	राजस्थान	21	0	7
28	सिक्किम	1	0	0
29	तमिलनाडु	4	2	15
30	तेलंगाना	7	2	1
31	त्रिपुरा	1	0	3
32	उत्तर प्रदेश	45	4	19
33	उत्तराखंड	4	2	7
34	पश्चिम बंगाल	1	1	6
35	लद्दाख (यूटी)	0	0	1
कुल		**335**	**37**	**126**

तालिका 5.4 में प्रस्तुत आंकड़े दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश में पूर्ण हो चुके आरसेटी की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान है।

विभिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित आरसेटी की संख्या में व्यापक अंतर है। अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मेघालय ग्रामीण बैंक और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जैसे कुछ बैंकों ने 5 या उससे कम आरसेटी प्रायोजित किए हैं, जबकि भारतीय स्टेट बैंक जैसे अन्य बैंकों ने पूरे देश में 150 से अधिक आरसेटी प्रायोजित किए हैं।

आरसेटी भवन निर्माण में बैंकवार स्थिति और प्रगति इस प्रकार है:

तालिका 5.5: 31.03.2023 तक बैंक-वार आरएसईटीआई भवन निर्माण की स्थिति

क्र. सं.	बैंक का नाम	निर्माण पूरा हो चुका है	निर्माण पूरा हो चुका है	निर्माण अभी शुरू होना बाकी है
1	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एपीआरबी)	1	0	0
2	असम ग्रामीण विकास बैंक (एजीवीबी)	1	1	2
3	बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी)-(डीएनबी)-	45	5	10
4	बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई)	33	1	7
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम)	1	0	5
6	केनरा बैंक (सीएनबी)#-(एसवाईबी)	18	2	14
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई)	35	5	6
8	डीसीसी बैंक बीदर (बीडीसी)	1	0	0
9	आईसीआईसीआई बैंक	2	0	0
10	आईडीबीआई बैंक	0	0	1
11	इंडियन बैंक(आईबी)-(एएलबी)	15	0	11
12	इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी)	0	1	5
13	आईएनजी वैश्य बैंक (आईवीबी) अब कोटक महिंद्रा बैंक	1	0	0
14	जे एंड के बैंक लिमिटेड (जेकेबी)	0	3	1
15	मेघालय सहकारी शीर्ष बैंक	0	0	0
16	मेघालय ग्रामीण बैंक (एमआरबी)	0	0	1
17	पंजाब और सिंध बैंक (पीएसबी)	3	0	0
18	पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)*- (ओबीसी)-(यूनाइटेड बीआई)	32	1	28
19	रुडसेटी (कॉलम सी का 7 सीधे वित्त पोषित)	15	0	3
20	भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)	101	12	21
21	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (टीजीबी)	0	0	0
22	यूको बैंक (यूसीओ)	15	2	6
23	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई)- (एएनबी)- (सीओआर)	16	4	5
	कुल	**335**	**37**	**126**

तालिका 5.5 में प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय स्टेट बैंक में सबसे अधिक संख्या में आरसेटी पूर्ण हो चुके हैं, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थान है।

आज हमारे देश में 760 से अधिक जिले हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईआरडीपीआर की इच्छा और प्रयास है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण संस्थान हो, जिससे हम अपनी सरकार की आत्मनिर्भर भारत की इच्छा को पूरा कर सकेंगे।

अध्याय – 6
शैक्षणिक कार्यक्रम

देश में युवा ग्रामीण विकास प्रबंधन पेशेवरों का एक कैडर विकसित करने के अपने दृष्टिकोण में संस्थान ने शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए। ग्रामीण विकास प्रबंधन में एक वर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीआरडीएम) 2008 में 50 छात्र प्रति बैच की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। 2018 में, संस्थान ने एआईसीटीई, नई दिल्ली के अनुमोदन से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा-ग्रामीण प्रबंधन (पीजीडीएम-आरएम) कार्यक्रम नामक दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया।

संस्थान ने 2010 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से सतत ग्रामीण विकास में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडी-एसआरडी) के साथ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया था। इसके बाद, संस्थान ने 2012 में आदिवासी विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-टीडीएम) और अगस्त, 2014 में ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-जीएआरडी) शुरू किया। उपरोक्त तीनों कार्यक्रम वर्तमान में एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित हैं। 2018 में, संस्थान ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से एक और डिप्लोमा कार्यक्रम, 'पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास' शुरू किया।

6.1 नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

6.1.1. ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) कार्यक्रम

अगस्त 2022 से एक वर्षीय पीजीडीआरडीएम का 20वां बैच शुरू हुआ, जिसमें कुल 31 छात्रों ने नामांकन कराया। छात्रों का चयन समूह चर्चा और उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया गया। ये छात्र भारत के विभिन्न भागों से हैं, जैसे मध्य भारत से 9, दक्षिणी भारत से 10, पूर्वी भारत से 8। फिजी, मलावी, नामीबिया, सूडान और जाम्बिया से सिर्डाप और आर्डो द्वारा प्रायोजित 5 अंतर्राष्ट्रीय सेवारत छात्र इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 31 मार्च, 2023 तक, पहले दो ट्राइमेस्टर पूरे हो चुके हैं और तीसरा/अंतिम ट्राइमेस्टर जुलाई 2023 तक पूरा हो जाएगा।

6.1.2. प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा – ग्रामीण प्रबंधन (पीजीडीएम-आरएम) कार्यक्रम

एक वर्षीय पीजीडीआरडीएम का 20वां बैच अगस्त 2022 में शुरू हुआ, जिसमें कुल 31 छात्रों ने नामांकन लिया। छात्रों का चयन समूह चर्चा और उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया गया। ये छात्र भारत के विभिन्न भागों से हैं, अर्थात् मध्य भारत से 9, दक्षिणी भारत से 10 और पूर्वी भारत से 8। फिजी, मलावी, नामीबिया, सूडान और जाम्बिया से सिरडैप और एएआरडीओ द्वारा प्रायोजित 5 अंतर्राष्ट्रीय सेवाकालीन छात्र इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 31 मार्च 2023 तक, पहली दो तिमाही पूरी हो चुकी हैं और तीसरी/अंतिम तिमाही जुलाई 2023 तक पूरी हो जाएगी।

अगस्त 2021 में 17 छात्रों के साथ शुरू हुआ पीजीडीएम-आरएम का चौथा बैच अभी चल रहा है। वर्तमान में, छात्र अंतिम तिमाही यानी परियोजना कार्य कर रहे हैं, जो अप्रैल 2023 तक समाप्त हो जाएगा।

क. आवासीय कार्यक्रम हेतु ग्रामीण संगठनात्मक इंटर्नशिप

फरवरी 2023 में पीजीडीआरडीएम बैच-20 और पीजीडीएम-आरएम बैच-5 के छात्रों के लिए आठ सप्ताह की ग्रामीण संगठनात्मक इंटर्नशिप आयोजित की गई, ताकि छात्रों को ग्रामीण समाज की गंभीर समस्याओं और इसकी गतिशीलता के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। क्षेत्र संलग्नक घटक संस्थाओं, संगठनात्मक संरचना, संगठनात्मक संस्कृति, प्रबंधन प्रणालियों, मानव संसाधन विकास, वित्त, उत्पादन प्रक्रियाओं, विपणन, मूल्य संवर्धन आदि पर केंद्रित है। क्षेत्र कार्य आईसीआईसीआई

फाउंडेशन, यूपीएसआरएलएम, छत्तीसगढ़ एसआरएलएम, एनआईआरडीपीआर-डीडीयूजीकेवाई, तेलंगाना सोशल ऑडिट, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, कुडुंबश्री, एसईआरपी तेलंगाना, एनडीडीपी, ग्रांट थॉर्टन, हरियाणा एसआरएलएम, मुराडा, राजस्थान एसआरएलएम, एनआईआरडीपीआर-आरटीपी, आरवाईएसएस, डब्ल्यूएचएच, एनसीवीईटी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत संगठनात्मक संलग्नता के साथ केन्द्रित किया गया था।

ख. बैच-19 पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम का कैंपस प्लेसमेंट

संस्थान को पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम के बैच 19 के छात्रों के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने अगस्त 2022 में संस्थान से स्नातक किया था। सभी 28 छात्रों को निम्नलिखित आठ संगठनों में प्लेसमेंट प्रदान किया गया: राजीविका, कर्नाटक एसआरएलएम, हरियाणा एसआरएलएम, आईसीआईसीआई फाउंडेशन, पुदुचेरी डीआरडीए।

ग. पीजीडीएम-आरएम – बैच-3 और पीजीडीएम-आरएम – बैच-4 कार्यक्रम का कैंपस प्लेसमेंट

संस्थान ने पीजीडीएम-आरएम बैच 3 कार्यक्रम के छात्रों के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट का श्रेय लिया है, जिन्होंने जून 2022 में संस्थान से स्नातक किया है। ओआरएमएएस, आईसीआईसीआई फाउंडेशन, डीडीयूजीकेवाई, एआईसीटीई, उत्तराखंड एसआरएलएम और ओएलएम के सभी छात्रों को प्लेसमेंट प्रदान किया गया।

पीजीडीएम-आरएम बैच-4 कार्यक्रम के छात्रों ने मार्च 2023 में संस्थान से स्नातक किया है। सभी छात्रों को भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बीएआईएफ), आईसीआईसीआई फाउंडेशन, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमपीएसआरएलएम) और ओडिशा आजीविका मिशन सहित अन्य संगठनों में नियुक्त किया गया।

6.2 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

6.2.1 सतत ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी)

18 महीने का एआईसीटीई-अनुमोदित पीजीडीएसआरडी बैच -14 कार्यक्रम (दूरस्थ मोड) 155 के साथ प्रगति पर है। इस कार्यक्रम की अवधि जनवरी 2022 से है। संपर्क कक्षाएं और प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाएं 6-9 जून 2022 से आयोजित की गईं और दूसरा सेमेस्टर दिसंबर 2022 से आयोजित किया गया। वर्तमान में, सभी छात्र तीसरे सेमेस्टर के प्रोजेक्ट कार्य को पूरा कर रहे हैं।

6.2.2 जनजातीय विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीटीडीएम)

18 महीने का एआईसीटीई -स्वीकृत पीजीडीटीडीएम बैच-11 जनवरी 2022 से शुरू हुआ। इस बैच में 35 छात्र हैं। संपर्क कक्षाएं और पहले सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाएँ 6-9 जून 2022 से आयोजित की गईं और दूसरे सेमेस्टर की संपर्क कक्षाएं और परीक्षाएँ दिसंबर 2022 से आयोजित की गईं। वर्तमान में, छात्र तीसरे सेमेस्टर के परियोजना कार्य पर काम कर रहे हैं।

6.2.3 ग्रामीण विकास में भूस्थानिक और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजीएआरडी)

जनवरी, 2022 से प्रारंभ 18 महीने का एआईसीटीई - स्वीकृत पीजीडीजीएआरडी बैच-7 अभी चल रहा है। इस बैच में 72 छात्र हैं। संपर्क कक्षाएं और पहले सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाएं 13-18 जून 2022 तक आयोजित की गईं और दूसरे सेमेस्टर की संपर्क कक्षाएं और परीक्षाएं दिसंबर, 2022 से आयोजित की गईं। वर्तमान में, छात्र तीसरे सेमेस्टर का प्रोजेक्ट वर्क जारी रखे हैं।

6.2.4 हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से पंचायती राज प्रशासन और ग्रामीण विकास पर डिप्लोमा कार्यक्रम (डीपी-पीआरजीआरडी)

एक वर्षीय डीपी-पीआरजीआरडी कार्यक्रम का बैच-4 जनवरी 2022 में शुरू हुआ। इस बैच में 47 छात्र थे। संपर्क कक्षाएं और प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाएं 13-18 जून 2022 तक आयोजित की गईं और परियोजना कार्य प्रस्तुतियाँ 7 मार्च, 2023 को निर्धारित की गई हैं।

अध्याय – 7
प्रशासन

7.1. प्रशासन

एनआईआरडीपीआर का प्रशासन विंग संस्थान के प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों तथा इसके दैनिक कामकाज से संबंधित सभी मामलों में संकाय सदस्यों को सहायता और सुविधा प्रदान करता है। संस्थान में क्रमशः नीति, क्रियान्वयन और शैक्षणिक मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपनी सामान्य परिषद, कार्यकारी परिषद और शैक्षणिक परिषद है। संस्थान की नीतियों और रणनीतियों को मोटे तौर पर सामान्य परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सामान्य परिषद के अध्यक्ष हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन कार्यकारी परिषद में निहित है, जिसके अध्यक्ष ग्रामीण विकास सचिव और सदस्य सचिव महानिदेशक हैं।

संस्थान का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं, जो भारत सरकार के सचिव स्तर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। महानिदेशक संस्थान के प्रशासनिक मामलों के लिए जिम्मेदार हैं और कार्यकारी परिषद के निर्देश और मार्गदर्शन के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। महानिदेशक, उप महानिदेशक, निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) और वित्तीय सलाहकार, और रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन) को सहायक रजिस्ट्रार (स्थापना और प्रशिक्षण), सहायक वित्तीय सलाहकार और वेतन और लेखा अधिकारी, सहायक निदेशक आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संगठनात्मक ढांचे को निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है-

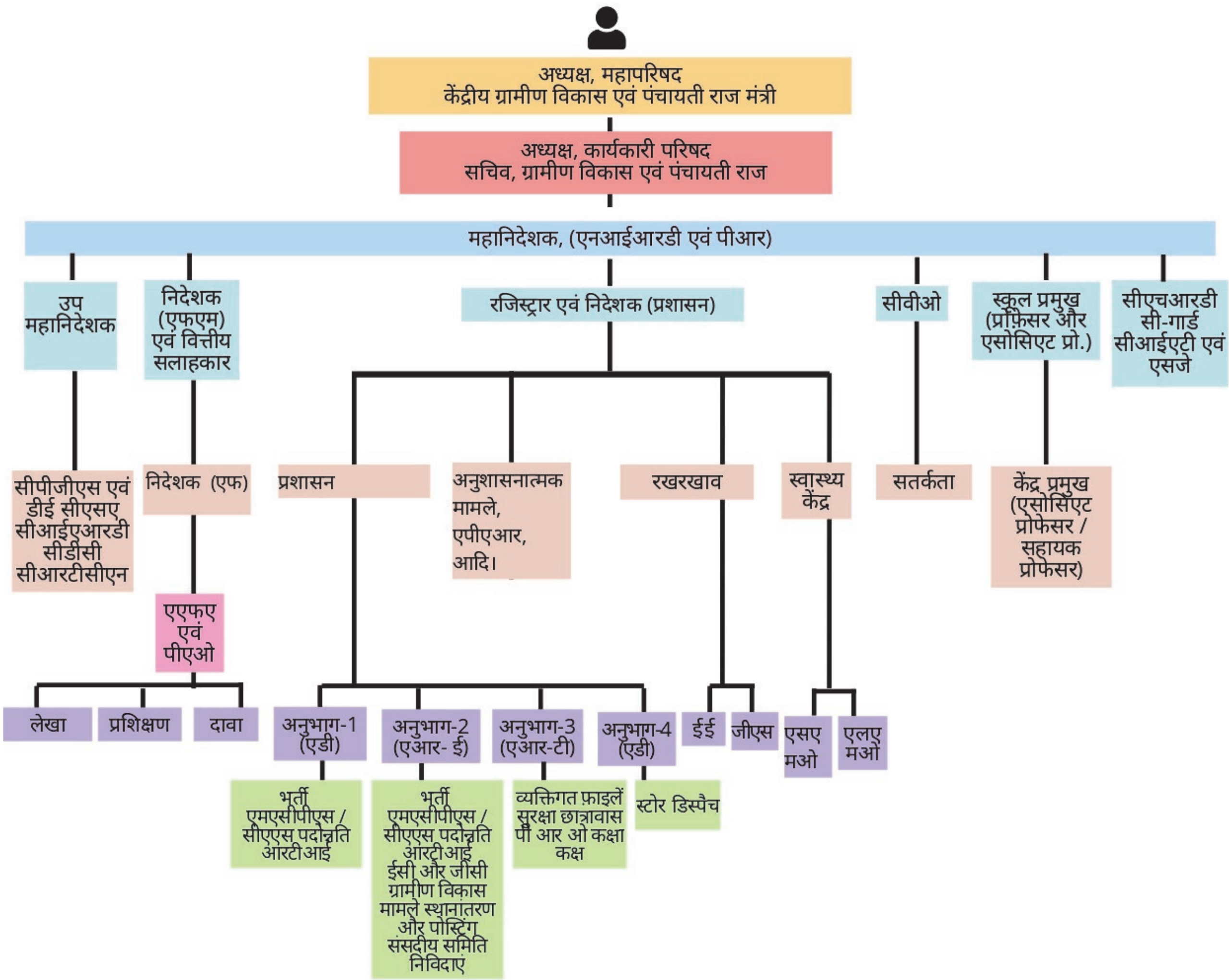

महापरिषद

महापरिषद की अध्यक्षता भारत सरकार के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री करते हैं। यह विभाग में संघ ज्ञापन, भारत सरकार के नियमों और निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने, संस्थान के मामलों के कुशल प्रबंधन और प्रशासन के लिए सामान्य नियंत्रण रखने और निर्देश जारी करने, कार्यकारी परिषद के सदस्यों को नामित करने आदि के लिए जिम्मेदार है। 31 मार्च, 2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए महापरिषद का गठन **परिशिष्ट-XI** में है।

कार्यकारी परिषद

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन कार्यकारी परिषद की जिम्मेदारी है, जो सामान्य नियंत्रण और सामान्य परिषद द्वारा जारी निर्देशों के अधीन है। 31 मार्च, 2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए कार्यकारी परिषद का गठन **परिशिष्ट-XII** में है।

अकादमिक परिषद

अकादमिक परिषद अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित मामलों को देखती है, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रम के लिए वार्षिक कैलेंडर को अंतिम रूप देना भी शामिल है। अकादमिक परिषद की संरचना **परिशिष्ट-XIII** में दी गई है।

एनआईआरडीपीआर के कार्यात्मक केंद्र

ग्रामीण विकास के लिए क्षमता निर्माण की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए, संस्थान में सात (7) स्कूल हैं, जिनमें 18 केंद्र हैं जो समग्र ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इसके अलावा, संस्थान में तीन व्यावसायिक सहायता केंद्र भी हैं, अर्थात् प्रलेखन और प्रकाशन मामलों के संचालन के लिए विकास प्रलेखन और संचार केंद्र; आईटी समाधान प्रदान करने और आईटी बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी केंद्र; अनुसंधान और प्रशिक्षण समन्वय और नेटवर्किंग केंद्र जो अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों के समन्वय, विभिन्न राज्य-स्तरीय संस्थानों के साथ साझेदारी और नेटवर्किंग के लिए जिम्मेदार है।

तालिका 7.1: एनआईआरडीपीआर के स्कूल और केंद्र

क्र.सं.	स्कूल	स्कूल के अन्दर केंद्र
1.	विकास अध्ययन एवं सामाजिक न्याय	मानव संसाधन विकास केंद्र (सीएचआरडी) जेंडर अध्ययन एवं विकास केंद्र (सीजीएसडी) समानता एवं सामाजिक विकास केंद्र (सीईएसडी) भूमि संबंधी अध्ययन केंद्र (सीएएस) पीजी अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र (सीपीजीएस एवं डीई)
2.	ग्रामीण आजीविका और बुनियादी ढांचा	मजदूरी रोजगार एवं आजीविका केंद्र (सीडब्ल्यूई एवं एल) ग्रामीण अवसंरचना केंद्र (सीआरआई) उद्यमिता विकास एवं वित्तीय समावेशन केंद्र (सीईडीएंडएफआई)
3.	सतत विकास	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण केंद्र (सीएनआरएम, सीसी एवं डीएम)
4.	सार्वजनिक नीति और सुशासन	योजना, निगरानी और मूल्यांकन केंद्र (सीपीएमई) सीएसआर, सार्वजनिक निजी भागीदारी और जन कार्रवाई केंद्र (सीसी, पीपीपी और पीए) सुशासन और नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजी एवं पीए) ग्रामीण विपणन और ग्रामीण उत्पाद, उद्यम और विकास संवर्धन केंद्र (सीआरएमपीआरपीईडी)
5.	स्थानीय शासन	पंचायती राज, विकेन्द्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण केंद्र (सीपीआरडीपी और एसएसडी)
6.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान प्रणाली	ग्रामीण विकास में भू-सूचना विज्ञान अनुप्रयोग केंद्र (सीगार्ड) कौशल और कार्य के लिए नवाचार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईएटी एवं एसजे)
7.	जवाबदेही और पारदर्शिता (ए एवं टी)	सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र (सीएसए) ग्रामीण विकास में आंतरिक लेखापरीक्षा केंद्र (सीआईएआरडी)
व्यावसायिक सहायता केंद्र		विकास प्रलेखन एवं संचार केंद्र (सीडीसी) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीटी) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समन्वय एवं नेटवर्किंग केंद्र (सीआरटीसीएन)

सामान्य प्रशासन

संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महानिदेशक संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं और कार्यकारी परिषद के निर्देश और मार्गदर्शन के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संस्थान का प्रशासन समन्वय, वैधानिक बैठकों का संचालन, स्थापना और कार्मिक प्रबंधन, अतिथि गृह, परिसर, सहायता सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और कर्मचारियों के कल्याण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

वैधानिक बैठकें

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित वैधानिक बैठकें निम्नलिखित हैं:

बैठक	तारीख	स्थल
134वीं कार्यकारी परिषद	22.04.2022	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
135वीं कार्यकारी परिषद	23.08.2022	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
136वीं कार्यकारी परिषद	09.01.2023	हाइब्रिड के माध्यम से
65वीं महापरिषद	22.11.2022	हाइब्रिड के माध्यम से

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुसार संस्थान में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला संकाय सदस्य करती हैं। इस अवधि के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

संस्थान ने सूचना प्रदान करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। एनआईआरडीपीआर वेबसाइट आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण का विवरण प्रदान करती है। संस्थान में आरटीआई आवेदकों द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रमाणित करने के लिए एक नामित अपीलीय प्राधिकारी, एक लोक सूचना अधिकारी, एक सहायक लोक सूचना अधिकारी और एक पारदर्शिता अधिकारी है। उनके नाम एनआईआरडीपीआर वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए गए हैं। संस्थान के पास गुवाहाटी में अपने उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनईआरसी) और एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा के लिए एक अलग अपीलीय प्राधिकारी और लोक सूचना अधिकारी भी है। 2022-23 के दौरान, विभिन्न मुद्दों पर 604 आरटीआई आवेदन और 14 अपीलें प्राप्त हुईं और प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटारा किया गया। आरटीआई आवेदन मुख्य रूप से परियोजनाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों, सेवा मामलों, अदालती मामलों, भर्ती, प्रकाशनों और अपीलों आदि से संबंधित हैं।

स्टाफ विवरण

शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की कुल संख्या **तालिका 7.2** में दी गई है।

तालिका 7.2: शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का मानव संसाधन

I. शैक्षणिक पद

श्रेणी	अनु जा	अनु ज जा	अपिव	अन्य	कुल	पूर्व सैनिक	कुल संख्या में महिलाएं
ग्रुप–ए	6	2	14	25	47	-	14
ग्रुप–बी	1	-	-	1	2	-	-
कुल	**7**	**2**	**14**	**26**	**49**	**-**	**14**

II. गैर-शैक्षणिक पद

श्रेणी	अनु जा	अनु ज जा	अपिव	अन्य	कुल	पूर्व सैनिक	कॉलम 6 में महिलाएं
ग्रुप–ए	4	1	-	8	13	-	3
ग्रुप–बी	11	4	10	19	44	-	15
ग्रुप–सी	9	4	27	43	83	3	18
ग्रुप-सी (पुनर्वर्गीकृत)	28	5	13	23	69	1	12
कुल	**52**	**14**	**50**	**93**	**209**	**4**	**48**
कुल योग					**258**		

संस्थान की हितकारी निधि से बड़ी संख्या में समूह सी और पुनर्वर्गीकृत समूह-सी कर्मचारियों को उनके बच्चों की उच्च शिक्षा/विवाह के लिए बहुत कम ब्याज दरों पर ऋण स्वीकृत करने जैसे लाभ दिए गए।

गरीब महिलाओं की सहायता के प्रयास के रूप में संस्थान के कैंटीन प्रबंधन का कार्य एक स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया है।

अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान निदेशक (वित्त) और अनुभाग अधिकारी की प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की गई। संस्थान समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती भी करता है।

संस्थान द्वारा 2022-23 में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

संस्थान हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाता है। मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल जैसी कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं। अन्य देशों के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के रूप में, संस्थान अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को भी सुविधा प्रदान करता है जो संस्थान के विभिन्न केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा हैं।

महात्मा गांधी, डॉ. बी.आर. अंबेडकर आदि की जयंती जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी एनआईआरडीपीआर कर्मचारियों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनाए जाते हैं। 2 अक्टूबर, 2023 को संस्थान में गांधी जयंती मनाई गई।

7.2 प्रलेखन और संचार

संस्थान में एक व्यावसायिक सहायता केंद्र है, विकास प्रलेखन और संचार केंद्र (सीडीसी), जिसके पांच उप-विभाग हैं - प्रलेखन, पुस्तकालय, प्रकाशन, राजभाषा और दृश्य-श्रव्य। संस्थान की शोध और प्रशिक्षण गतिविधियों तथा विकास समुदाय के अन्य सदस्यों को सूचना सहायता प्रदान करने के लिए, विकास प्रलेखन और संचार केंद्र ग्रामीण विकास साहित्य की पहचान, संग्रह और प्रलेखन तथा प्रभावी और व्यापक प्रसार के लिए उसका प्रलेखन करने में लगा हुआ है। ग्रामीण विकास और संबद्ध पहलुओं पर पुस्तकों, पत्रिकाओं, गैर-पुस्तक संग्रह सीडी/डीवीडी, ई-पुस्तकों और ई-डेटाबेस जैसे प्रिंट और गैर-प्रिंट के रूप में सूचना संसाधनों का एक समृद्ध संग्रह एनआईआरडीपीआर को मजबूत करने और सूचना प्रसारित करने के लिए मजबूत सूचना भंडार का गठन करने के लिए वर्षों से एकत्र किया गया है। संस्थान हितधारकों को ग्रामीण विकास की जानकारी प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के अपने प्रयास में विभिन्न प्रकाशन निकालता है और सूचना सेवाएं प्रदान करता है।

7.2.1 पुस्तकालय

पुस्तकें: वर्ष 2022-23 के दौरान संस्थान ने अपने संग्रह में हिंदी पुस्तकों सहित कुल 588 पुस्तकें जोड़ी हैं। केंद्र में 1,24,598 पुस्तकों का संग्रह है। संस्थान प्रतिभागियों और कर्मचारियों के लाभ के लिए हिंदी पुस्तकों का एक अलग संग्रह भी रखता है। आवश्यकता और मांग के आधार पर इस अनुभाग में नियमित रूप से पुस्तकें जोड़ी जाती हैं।

ई-संसाधन: सभी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन एनआईआरडीपीआर पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं (छात्र, संकाय और कर्मचारी, एनईआरसी, एसआईआरडी) द्वारा **एनआईआरडीपीआर के-निंबस डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल** और **एम-मोबाइल** ऐप के माध्यम से दूरस्थ रूप से सुलभ हैं। ईमेल आईडी के साथ उपयोगकर्ता एनआईआरडीपीआर पोर्टल में सूचीबद्ध ई-पुस्तकें, ई-जर्नल ई-डेटाबेस आदि जैसे विभिन्न ई-संसाधनों तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा, साहित्य अनुरोध के आधार पर, कुल 508 लेख छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को उपलब्ध किए गए।

2022-23 की अवधि के दौरान ई-संसाधनों का उपयोग

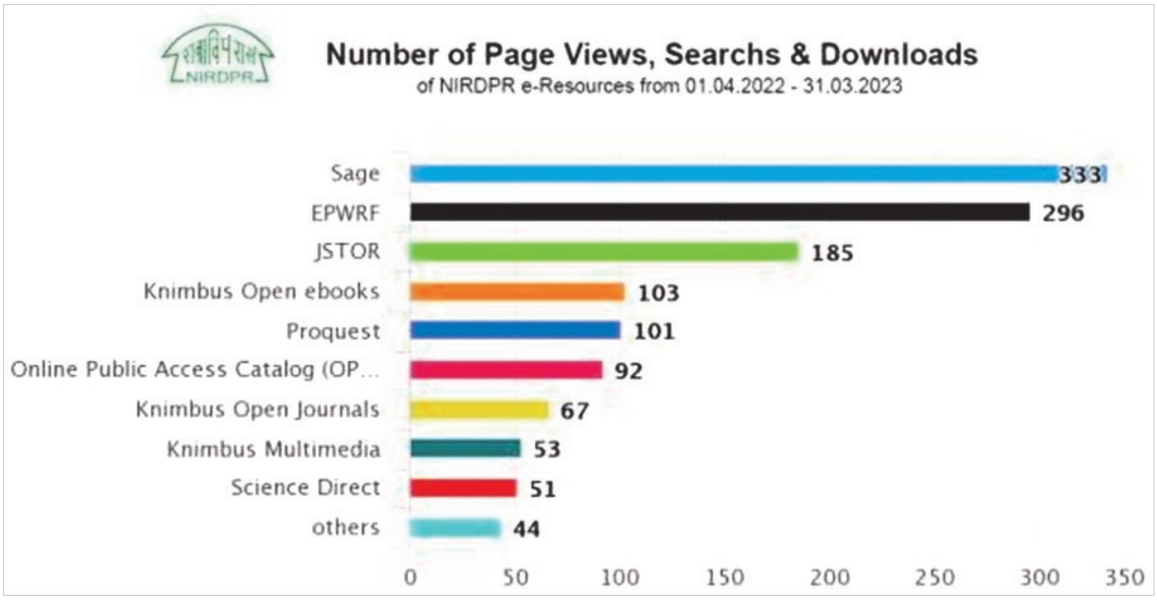

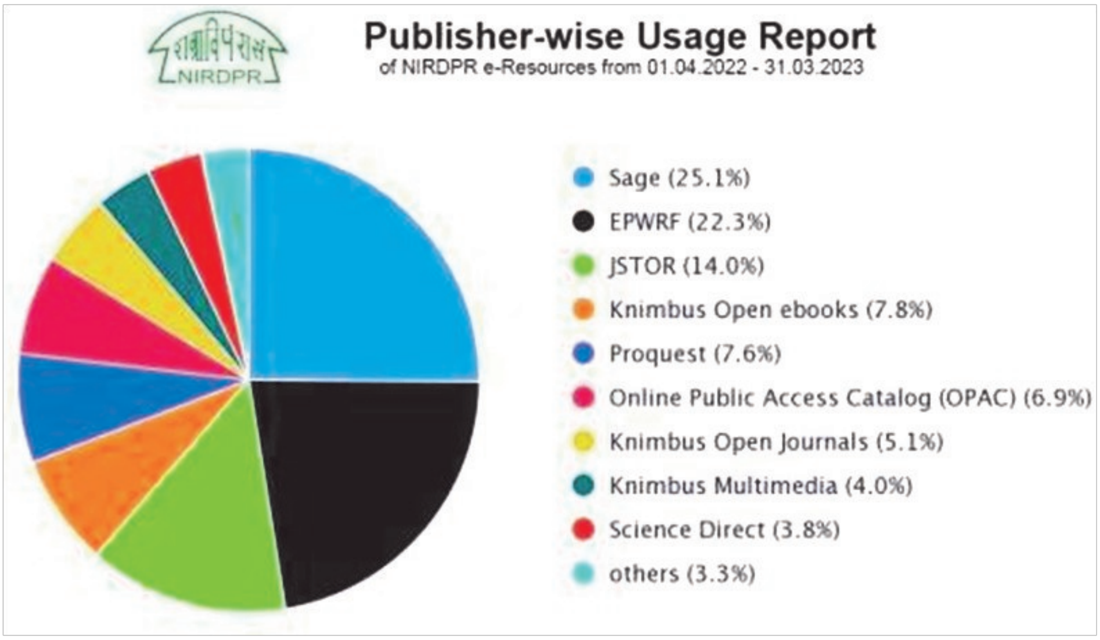

7.2.2 प्रलेखन

सूचना की गुणवत्ता किसी भी संस्थान की रीढ़ और एक आवश्यक पहलू है। प्रलेखन केंद्र विभिन्न स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे हमारे संकाय और शोध कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है। ग्रामीण विकास और संबद्ध पहलुओं पर पुस्तकों, पत्रिकाओं, सीडी/डीवीडी, ई-पुस्तकों, ई-डेटाबेस जैसे प्रिंट और गैर-प्रिंट के रूप में सूचना संसाधनों का एक समृद्ध संग्रह वर्षों से एकत्र किया गया है। ये संसाधन एनआईआरडीपीआर को मजबूत करते हैं, जो संकाय और कर्मचारियों के लिए एक मजबूत सूचना भंडार का गठन करते हैं। प्रलेखन केंद्र विभिन्न विषयों पर 1400 से अधिक सीडी/डीवीडी रखता है। प्रलेखन केंद्र डीएमएस (दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली) भी बनाए रखता है और हमारे संकाय सदस्यों को उनकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मांग पर ग्रंथ सूची प्रदान करता है।

2022-23 में दस्तावेज़ीकरण अनुभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में शामिल हैं:

- निम्नलिखित विषयों पर 4 पुस्तकालय वार्ता
    - अकादमिक क्षेत्र में नकली/प्रीडेटरी/क्लोन पत्रिकाओं को कैसे पकड़ें
    - डॉ. बी.आर.अंबेडकर की जयंती
    - ग्रामीण रोजगार की गाथा: निरंतरता और परिवर्तन
    - पुस्तकालय संसाधन
- दैनिक आधार पर पीआईबी से प्राप्त ग्रामीण विकास पर समाचार रिपोर्टों का संकलन।
- संकाय सदस्यों के लिए उनके विषयों और मांग के अनुसार कॉन्फ्रेंस अलर्ट।
- सभी संकाय और कर्मचारियों को दैनिक समाचार अलर्ट

इसके अतिरिक्त, प्रलेखन अनुभाग ने संस्थान में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों की जानकारी अपलोड करके संस्थान के सोशल मीडिया खातों को संभाला।

7.2.3. सूचना का प्रचार-प्रसार

संस्थान को ग्रामीण विकास पर सूचना प्रसारित करने का अधिदेश प्राप्त है। अधिदेश को पूरा करने के लिए, संस्थान नियमित रूप से एक त्रैमासिक पत्रिका और एक मासिक समाचार पत्र के साथ-साथ अनुसंधान विशिष्टताएं, अनुसंधान रिपोर्ट, ग्रामीण विकास सांख्यिकी आदि सहित अन्य प्रकाशन भी प्रकाशित करता है।

भारत में ग्रामीण विकास साहित्य के एक अग्रणी प्रकाशक के रूप में, एनआईआरडीपीआर अपने नियमित प्रकाशनों, सामयिक पत्रों आदि के माध्यम से नीति नियोजकों, शिक्षाविदों और अन्य लोगों के साथ अपने शोध निष्कर्षों, देखी गई क्षेत्रीय वास्तविकताओं और वर्तमान सामयिक महत्व के मुद्दों पर विचारों को साझा करने का प्रयास करता है।

एनआईआरडीपीआर के प्रकाशन नीति निर्माताओं को जमीनी स्तर की वास्तविकताओं पर प्रतिक्रिया प्रदान करने और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना और प्रबंधन के लिए सुझाव और दिशानिर्देश प्रदान करने के मामले में सेवा प्रदान करते हैं।

7.2.4. प्रकाशन

ग्रामीण विकास पत्रिका

त्रैमासिक ग्रामीण विकास पत्रिका एनआईआरडीपीआर का प्रमुख प्रकाशन है और ग्रामीण विकास तथा विकेंद्रीकृत प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी शैक्षणिक पत्रिकाओं में से एक है। देश के भीतर और

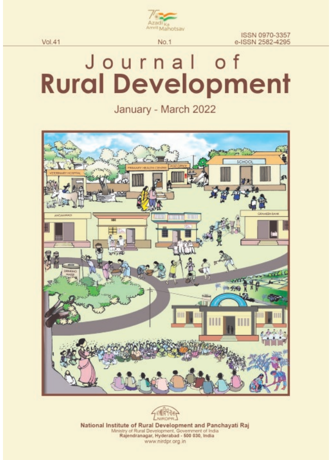

बाहर दोनों जगह प्रभावशाली प्रसार के साथ, यह शैक्षणिक समुदाय, ग्रामीण विकास प्रशासकों और योजनाकारों द्वारा सबसे अधिक मांग वाली पत्रिकाओं में से एक है।

वर्ष के दौरान जेआरडी के तीन अंक (खंड 40.4, 40.5 और 41.1) प्रकाशित किए गए। इन अंकों में 26 लेख और तीन पुस्तक समीक्षाएँ प्रकाशित हुईं।

एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र

एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र 'प्रगति', एक मासिक प्रकाशन है, जो विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं और महत्वपूर्ण आयोजनों की सिफारिशों पर प्रकाश डालता है, जो एनआईआरडीपीआर द्वारा नियमित आधार पर किए जाते हैं। समाचार पत्र में संकाय विकास, मामला अध्ययन, ग्रामीण विकास व्यवसायियों के साक्षात्कार, सफलता की कहानियाँ, संस्थान में भारतीय और विदेशी दोनों तरह के दौरे और प्रतिनिधिमंडल, ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर कवर स्टोरी आदि की खबरें भी शामिल हैं। इस माध्यम से, एनआईआरडीपीआर अपने हितधारकों, जिनमें एसआईआरडी, ईटीसी, डीआरडीए आदि शामिल हैं, के साथ नियमित संपर्क बनाए रखता है। इसके अलावा, प्रगति समाचार पत्र में एसआईआरडीएस और ईटीसी की गतिविधियों का अधिक व्यापक कवरेज देने की पहल भी शुरू की गई है। वर्ष के दौरान अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक प्रगति समाचार पत्र संख्या 323 से 334 के बारह अंक निकाले गए।

शोध रिपोर्ट:

1. भारतीय कृषि में समावेशी विकास: व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से टिकाऊ एफपीओ की आवश्यकता
2. कृषि पर टिकाऊ और अनुकरणीय मॉडल विकसित करना - बेहतर पोषण परिणामों के लिए पोषण संबंध
3. विमुद्रीकरण और भारतीय कृषि पर इसका प्रभाव: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण
4. महिलाओं के पोषण/स्वच्छता व्यवहारों में सुधार करने में एसईआरपी तेलंगाना के स्वास्थ्य/पोषण हस्तक्षेप की प्रभावशीलता

5. लोअर कावेरी डेल्टा में कृषि परिवर्तन की एक सदी: पलाकुरिची गांव का 1918-2018 का अध्ययन
6. विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए एनआईआरडीपीआर अंगीकृत गांव बुरगुला का मानचित्रण
7. नागालैंड राज्य में आईडब्ल्यूएमपी बैच-II परियोजनाओं के कार्य चरण की गतिविधियों के मूल्यांकन पर समेकित रिपोर्ट
8. नागालैंड में बैच-II, आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के समेकित चरण का मूल्यांकन
9. आईपीपीई के लिए प्रशिक्षण के प्रक्रिया दस्तावेजीकरण और मूल्यांकन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय/यूएनडीपी अनुसंधान अध्ययन
10. खुली सरकार प्रणाली की प्रक्रिया और अभ्यास तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर इसका प्रभाव- एक प्रायोगिक अध्ययन

अन्य रिपोर्ट

1. महिला सभाएँ और बाल सभाएँ: सर्वोत्तम पद्धतियाँ
2. ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं के लिए लेखांकन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. आईएपी कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर परियोजना अध्ययन रिपोर्ट (ओडिशा सरकार के पी एवं सी विभाग द्वारा प्रायोजित)
4. अनुसंधान विशेषताएं 2019-20
5. अनुसंधान विशेषताएं 2020-21
6. कार्यवाही: सरस-आजीविका क्षमता निर्माण कार्यक्रम 2021 - कारीगरों से उद्यमियों तक: एसएचजी के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण और व्यवसाय नेटवर्किंग
7. राज्य वित्त आयोगों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही (सीपीआरडीपीएसएसडी, एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रस्तुत)
8. एसआईआरडीपीआर के राष्ट्रीय संगोष्ठी की कार्यवाही -2022
9. भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति, 2021 (सीएसए, एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रस्तुत)
10. वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22
11. वार्षिक लेखा 2021-22

7.3 राजभाषा

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार की राजभाषा (हिंदी) नीति के व्यापक कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

7.3.1. हिंदी ई-प्रकाशन और संस्थान के प्रकाशन

i) एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र प्रगति - 12 अंक

ii) प्रशिक्षण कैलेंडर - 2022-23

iii) ग्रामीण विकास समीक्षा - 2023

iv) अनुसंधान विशेषताएं - 2020-21

7.3.2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन

संस्थान राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण अनुपालन करने का प्रयास कर रहा है। संस्थान का नाम मुख्य द्वार पर तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में प्रदर्शित किया गया है। संस्थान के सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट, साइनबोर्ड द्विभाषी रूप में हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप में जारी किए गए। संस्थान में उपयोग किए जाने वाले 20 प्रपत्रों को भी द्विभाषी बनाया गया और ये सभी प्रपत्र वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

7.3.3. संस्थान में हिंदी अनुवाद कार्य

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रशिक्षण और शोध में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। राजभाषा अनुभाग ने अनेक दस्तावेजों का अनुवाद किया है, जिनमें संकाय अनुसूचियां, संकाय पाठ्यक्रम सामग्री, आरटीआई पत्र, पावरपॉइंट प्रस्तुतियां, आदेश, परिपत्र, प्रगति समाचार पत्र, प्रशिक्षण विवरणिका, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, प्रशिक्षण कैलेंडर आदि शामिल हैं।

अनुवादित महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं:

1. वार्षिक प्रतिवेदन - 2021-22
2. वार्षिक लेखा - 2021-22
3. प्रशिक्षण कैलेंडर - 2022-23
4. पीएमएवाई - ग्रामीण
5. पोषण संवेदनशील कृषि - मैनुअल - III
6. एससी - एसटी, ओबीसी और अन्य वंचित समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक न्याय

7. भारत में ग्रामीण विकास: कुछ मुद्दे
8. कृषि विकास और सामाजिक न्याय
9. 75 गांवों को पुरस्कार
10. एसएफसी का उपयोग और ग्राम पंचायत की भूमिका
11. 14 एसएफसी ग्राम पंचायत और जीपीडीपी का कार्य - श्रृंखला - I
12. जलवायु परिवर्तन - पर्यावरण उन्नति और ग्राम पंचायत की भूमिका
13. एसडीजी और ग्राम पंचायत की भूमिका - कार्यान्वयन और निगरानी
14. सीआईएआरडी - लेखा, आरटीपी - सीआईएटी समाचार पत्र
15. वीडब्ल्यूएसजी के लिए मॉडल उपनियम
16. भारत में एससी एसटी कल्याण - राज्य की राजनीति और कार्यक्रमों का परिचय
17. पंचायतों में ई-गवर्नेंस का संवर्धन
18. बाल अधिकार - प्रशिक्षण मैनुअल
19. अनुसंधान विशेषताएं - 2019-20
20. अनुसंधान विशेषताएं - 2020-21
21. एनआईआरडीपीआर गतिविधियों की समीक्षा
22. सामाजिक लेखा परीक्षा 2021 की स्थिति
23. एआईआईएमएस वार्षिक प्रतिवेदन - 2021-22
24. एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र प्रगति - 12 अंक

7.3.4 संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति का निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति ने 11.11.2022 को राजभाषा की प्रगति प्रयोग का निरीक्षण किया। समिति की अध्यक्षता सांसद श्री रामचन्द्र जांगड़ा ने की तथा इसमें छह सांसद और पांच पदाधिकारी शामिल थे। एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक ने संस्थान के अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास विभाग के तीन अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें हिंदी में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। समिति ने संस्थान के राजभाषा कार्य पर संतोष व्यक्त किया और कुछ सुझाव दिए।

7.3.5. राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें

प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें आयोजित की गईं और प्रत्येक बैठक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यों पर चर्चा की गई।

7.3.6. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने उप महानिदेशक एवं प्रमुख, सीडीसी की उपस्थिति में संस्थान में हिंदी की प्रगति का निरीक्षण किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने दस्तावेजों में हिंदी की प्रविष्टि, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के रबर स्टाम्प रजिस्टर, हिंदी वेबसाइट, तिमाही प्रगति रिपोर्ट, हिंदी ई-प्रकाशन, हिंदी कार्यशालाओं, जांच बिंदु की स्थापना, राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं संस्थान की बैठकों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रचलित हिन्दी कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।

7.3.7. संस्थान में हिंदी पखवाड़ा/हिंदी दिवस का आयोजन

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राजेंद्रनगर, हैदराबाद में 29-14 सितंबर, 2022 तक हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया। इसके तहत 19 अक्तूबर, 2022 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया।

हिन्दी दिवस समारोह की अध्यक्षता संस्थान के महानिदेशक ने की। उन्होंने सभी को हिन्दी दिवस की बधाई देते हुए बताया कि अनुवाद कार्य सराहनीय रहा है। अधिकांश पाठ्य सामग्री का हिंदी भाषा में अनुवाद कर दिया गया है तथा प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत प्रशिक्षण हेतु अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हमें इसका पूरे दिल से प्रचार-प्रसार करना चाहिए, क्योंकि अन्य देशों की भी अपनी राजभाषा है और वे अपना काम गर्व के साथ करते हैं। उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों से अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने का आह्वान किया।

हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर उप महानिदेशक एवं निदेशक वित्त सलाहकार एवं निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) श्री शशि भूषण ने भी सभी को हिन्दी दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि संस्थान में हिन्दी का कार्य सराहनीय है तथा भारत सरकार की

राजभाषा नीति को सहयोग प्रदान करने तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

7.3.8. रिपोर्ट

वर्ष 2021-22 के दौरान वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट विधिवत रूप से भरकर 20 जून, 2022 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेज दी गई।

7.3.9. अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा निरीक्षण

24-23 फरवरी, 2023 को श्री ई. रमेश, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और श्रीमती वी. अन्नपूर्णा, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने एनईआरसी, गुवाहाटी में राजभाषा संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया तथा 15 मार्च, 2023 को श्रीमती अनीता पांडे, सहायक निदेशक (राजभाषा) और श्री रामकृष्ण रेड्डी, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने एनआईआरडीपीआर, नई दिल्ली शाखा के राजभाषा कार्यों का निरीक्षण किया।

7.3.10. भारत के राजपत्र में अधिसूचना

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद कार्यालय को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 4(10) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जिसके अंतर्गत 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान किया गया है।

7.3.11. प्रतिदिन एक हिंदी शब्द सीखें योजना

संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को कामकाजी हिंदी में सक्षम बनाने के लिए "प्रतिदिन एक हिंदी शब्द सीखें" के साथ-साथ हिंदी उद्धरण भी प्रदर्शित किए गए हैं।

7.3.12. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति - 2

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 10वीं बैठक मर्री चेन्ना रेड्डी, मानव संसाधन विकास, जुबली हिल्स, हैदराबाद में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता संस्थान के उप महानिदेशक श्री शशि भूषण ने की।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा एनआईआरडीपीआर के तत्वावधान में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-2 की बैठक 21 अक्तूबर, 2022 को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस ने की। इस अवसर पर एनएफडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सी. सुवर्णा, बेंगलुरु के उप निदेशक श्री नरेंद्र सिंह मेहरा, हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद की उप निदेशक (आर.एल.) श्रीमती बेला तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

7.3.13. तकनीकी हिंदी कार्यशालाएँ

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-2, हैदराबाद संयोजक कार्यालय है। 13 जून, 2022 को भारतीय सहकारी प्रबंध संस्थान, हैदराबाद ने राजभाषा तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. एच एस के तंगिरला, निदेशक आईसीएम, डॉ. कमालुद्दीन, डॉ. जयशंकर प्रसाद तिवारी, उप निदेशक (ओएल), हिंदी शिक्षण योजना और सदस्य सचिव श्रीमती अनीता पांडे उपस्थित थे। इस कार्यशाला में विभिन्न कार्यालयों से 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

7.3.14. यूनिकोड इंस्टॉलेशन

संस्थान के 210 कम्प्यूटरों और 160 लैपटॉपों में यूनिकोड इंस्टॉलेशन किया गया है।

7.3.15. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए व्यक्तिगत आदेश जारी करना

संस्थान में कार्यरत सभी स्थायी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए 10 जून, 2022 को व्यक्तिगत आदेश जारी किए गए हैं।

7.3.16. संस्थान की वेबसाइट हिंदी में उपलब्ध

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान की वेबसाइट हिंदी में उपलब्ध है तथा समय-समय पर उसे अद्यतन किया जा रहा है।

अध्याय – 8
वित्त एवं लेखा

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है। हर साल, स्वीकृत बजट के अनुसार, मंत्रालय वेतन और सामान्य शीर्षों के तहत अनुदान जारी करता है। संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग को बजट बनाने, भुगतान और निधियों के लेखांकन, वार्षिक लेखा आदि तैयार करने के कार्य सौंपे गए हैं। संस्थान दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का पालन कर रहा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और हर साल 31 मार्च को समाप्त होता है। संस्थान के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। संस्थान के खाते केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए सीएजी द्वारा अनुमोदित निर्धारित मानदंडों का विधिवत पालन करते हुए तैयार किए जाते हैं। संस्थान के लेखा पर सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को हर साल वार्षिक लेखा में शामिल किया जाता है और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है।

वेतन और सामान्य शीर्षों के अंतर्गत जारी अनुदान का उपयोग संस्थान की मुख्य गतिविधियों जैसे क्षमता निर्माण, अनुसंधान, विकास, सेमिनार और सम्मेलन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, प्रकाशन, पत्रिकाओं की सदस्यता, पुस्तकालय, रखरखाव और अन्य आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय पर व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, एनआईआरडीपीआर को ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई), सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई), रूर्बन मिशन, एमजीएनआरईजीए, सामाजिक लेखापरीक्षा के तहत क्षमता निर्माण, एनआरएलएम, आरएसईटीआई आदि को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों से भी निधियां प्राप्त होती है। अनुसंधान, प्रभाव आकलन, क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय निकायों आदि से भी निधियां प्राप्त होती है, जो वित्त पोषण एजेंसियों की आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट होती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संस्थान का व्यय 79.43 करोड़ रुपये है, जिसके सापेक्ष केवल 75.80 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया तथा प्रारंभिक शेष 5.36 करोड़ रुपये है। पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी अनुदानों तथा व्यय का ग्राफ़िकल प्रस्तुतिकरण नीचे दिया गया है।

2018-19 से 2022-23 तक अनुदान एवं व्यय का विवरण

वर्ष	कुल अनुदान	व्यय
2018-19	72.17	79.26
2019-20	80.42	80.00
2020-21	80.43	80.43
2021-22	105.48	100.11
2022-23	81.16	79.43

2018-19 से 2022-23 तक अनुदान एवं व्यय का चार्ट

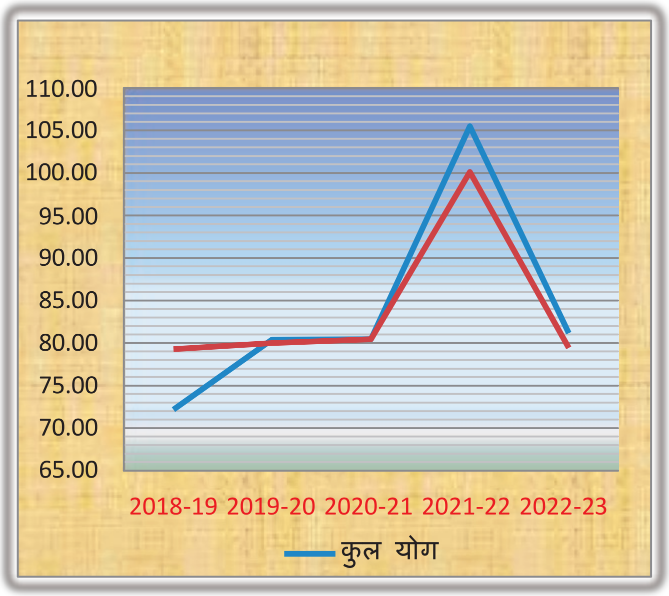

एनआईआरडीपीआर कॉर्पस निधि

एनआईआरडीपीआर की कॉर्पस निधि 2008-09 में 21 अगस्त 2008 को आयोजित अपनी 105वीं बैठक में कार्यकारी परिषद (ईसी) के अनुमोदन से स्थापित की गई थी। 01-07-2021 को आयोजित 132वीं कार्यकारी परिषद की बैठक में कॉर्पस निधि संशोधन नियम, 2021 और कॉर्पस निधि निवेश नीति को मंजूरी दी गई। कॉर्पस निधि नियम, निधि के उद्देश्यों, स्रोतों, अनुप्रयोगों, प्रबंधन आदि को निर्दिष्ट करते हुए निधि के संचालन और प्रबंधन के तरीके को निर्धारित करते हैं। निधि का प्राथमिक उद्देश्य संस्थान की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। 31 मार्च 2023 तक, कॉर्पस निधि 458.21 करोड़ रुपये था, जबकि 31 मार्च 2022 तक यह 377.11 करोड़ रुपये था। यह संस्थान की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और आत्मनिर्भरता के अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है, यह देखते हुए कि संस्थान ने 2022 -23 के दौरान लगभग 79.43 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह उम्मीद की जाती है कि अधिक भर्तियों और संस्थान की गतिविधियों में परिणामी वृद्धि के कारण संस्थान का खर्च और बढ़ेगा।

कॉर्पस निधि प्रबंधन समिति का गठन: कार्यकारी परिषद ने कोष के संचालन और प्रबंधन की देखरेख के लिए कॉर्पस निधि प्रबंधन समिति (सीएफएमसी) का गठन किया, जिसकी परिकल्पना कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित कॉर्पस निधि नियमों में की गई है।

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

i. महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (समिति के अध्यक्ष)

ii. उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर

iii. निदेशक (एफएम) और एफए, एनआईआरडीपीआर

iv. रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन), एनआईआरडीपीआर

v. ग्रामीण विकास मंत्रालय के आईएफडी से नामित एक सदस्य

vi. ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशिक्षण प्रभाग से नामित एक सदस्य

vii. निवेश प्रबंधन/बैंकिंग/निधि प्रबंधन में विशेषज्ञता वाले दो बाहरी विशेषज्ञ

viii. महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा नामित एक संकाय सदस्य (वैकल्पिक)

नोट: (v) और (vi) के सदस्यों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा और इसकी सूचना ग्रामीण विकास मंत्रालय को दी जाएगी।

कार्यकारी परिषद

कॉर्पस निधि नियमों के अनुसार, समिति को निधि से संबंधित व्यवसाय के लेन-देन के लिए जितनी बार आवश्यक समझा जाए उतनी बार बैठक करनी होती है। सीएफएमसी निधि के परिचालन प्रबंधन का कार्य अपनी उपसमिति को सौंपती है।

एनआईआरडीपीआर सीएफएमसी में सदस्य नामित करने के संस्थान के अनुरोध के जवाब में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक (वित्त) श्री माम चंद और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशिक्षण प्रभाग के उप सचिव श्री प्रदीप कुमार को नामित किया। निवेश बैंकिंग विशेषज्ञों की पहचान के लिए अनुभव, योग्यता और आयु के आधार पर कई उम्मीदवारों पर विचार किया गया। श्री बिस्वजीत मोहंती और श्री ए एन अप्पैया, दोनों सेवानिवृत्त बैंकर हैं, जिनके पास ट्रेजरी, क्रेडिट और सामान्य बैंकिंग सहित वित्तीय बाजारों में 30 से अधिक वर्षों का प्रासंगिक अनुभव है, उन्हें सीएफएमसी में नामित करने के लिए ईसी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

एनआईआरडीपीआर द्वारा अनुरक्षित अन्य निधियाँ - संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं:

संस्थान ने हितकारी निधि, भविष्य निधि और चिकित्सा कार्पस निधि की भी स्थापना की है जो विशिष्ट उद्देश्य के साथ वस्तु उन्मुख हैं। निधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

i. वर्ष 2008 में **हितकारी निधि** को भी अनुमोदित किया गया था, ताकि ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए बच्चों की शिक्षा ऋण और विवाह ऋण, मृतक कर्मचारियों के परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता आदि जैसे कर्मचारी कल्याण उपाय प्रदान किए जा सकें। निधि का मुख्य स्रोत परामर्श परियोजनाओं से संस्थान की शुद्ध बचत/आय का निश्चित हिस्सा और निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज है। 31 मार्च 2023 तक निधि का शेष 2.14 करोड़ रुपये था।

ii. संस्थान के कर्मचारियों के सभी पीएफ संबंधी लेन-देन के लिए **भविष्य निधि** की स्थापना की गई। 31 मार्च 2023 तक निधि का शेष 31.21 करोड़ रुपये था।

iii. सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए 2009 में **चिकित्सा कॉर्पस निधि** की स्थापना की गई थी। इस फंड के स्रोत कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान और फंड पर अर्जित ब्याज हैं। 31 मार्च 2023 तक फंड का शेष 7.29 करोड़ रुपये था।

परिशिष्ट-I

वर्ष 2022-23 के दौरान एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणी-वार विभाजन

महीना	सरकारी अधिकारी	बैंकर्स एवं समुदाय संगठन	जेडपी एवं पीआरआई	स्वैच्छिक संगठन/ एनजीओ	राष्ट्रीय / राज्य संस्थान	विश्वविद्यालय / कॉलेज	अंतरराष्ट्रीय	अन्य/युवा/ पीएसयू/व्यक्ति	कुल	महिला	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
क) हैदराबाद											
अप्रैल	529	0	116	37	6	19	0	0	707	193	16
मई	653	0	9	32	31	5	0	0	730	194	18
जून	196	0	35	66	6	11	0	4	318	92	11
जुलाई	327	0	44	32	136	39	0	67	645	168	22
अगस्त	200	21	0	10	137	23	0	0	391	107	13
सितंबर	828	0	181	44	2	5	0	7	1067	239	31
अक्तूबर	368	0	21	4	138	22	0	0	553	157	21
नवंबर	590	0	100	8	75	0	22	0	795	182	24
दिसंबर	865	0	513	56	2	126	20	238	1820	537	55
जनवरी	1773	0	600	246	43	53	14	336	3065	959	65
फरवरी	2086	24	473	167	128	62	14	1996	4950	2674	109
मार्च	1287	0	45	43	170	40	39	1074	2698	1552	61
कुल	**9702**	**45**	**2137**	**745**	**874**	**405**	**109**	**3722**	**17739**	**7054**	**446**
ख) आरटीपी											
अप्रैल	184	0	0	0	0	220	0	61	465	143	11
मई	21	0	0	0	0	81	0	67	169	109	6
जून	153	0	0	0	0	88	0	142	383	203	11
जुलाई	370	0	0	110	0	150	0	13	643	235	21
अगस्त	45	0	66	0	0	230	0	36	377	227	11
सितंबर	226	0	0	0	0	427	0	73	726	335	20
अक्तूबर	210	0	0	0	0	1458	0	42	1710	780	14
नवंबर	147	0	102	14	0	886	0	155	1304	599	21
दिसंबर	77	0	0	0	0	783	0	35	895	337	15
जनवरी	84	0	0	0	0	317	0	99	500	208	14
फरवरी	183	140	0	41	21	905	0	117	1407	524	34
मार्च	57	0	0	0	0	1095	0	521	1673	860	29
कुल	**1757**	**140**	**168**	**165**	**21**	**6640**	**0**	**1361**	**10252**	**4560**	**207**
ग) डीडीयू-जीकेवाई											
अप्रैल	0	0	0	0	0	0	0	814	814	245	18
मई	0	0	0	0	0	0	0	683	683	211	16
जून	0	0	0	0	0	0	0	546	546	159	10
जुलाई	0	0	0	0	0	0	0	500	500	147	10
अगस्त	0	0	0	0	0	0	0	445	445	139	12
सितंबर	0	0	0	0	0	0	0	632	632	208	12
अक्तूबर	0	0	0	0	0	0	0	447	447	115	9
नवंबर	0	0	0	0	0	0	0	425	425	102	11
दिसंबर	0	0	0	0	0	0	0	453	453	173	12
जनवरी	0	0	0	0	0	0	0	242	242	56	7
फरवरी	0	0	0	0	0	0	0	647	647	226	13
मार्च	0	0	0	0	0	0	0	397	397	160	9
कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6231**	**6231**	**1941**	**139**

जारी...

वर्ष 2022-23 के दौरान एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणी-वार विभाजन

महीना	सरकारी अधिकारी	बैंकर्स एवं समुदाय संगठन	जेडपी एवं पीआरआई	स्वैच्छिक संगठन/ एनजीओ	राष्ट्रीय / राज्य संस्थान	विश्वविद्यालय / कॉलेज	अंतरराष्ट्रीय	अन्य/युवा/ पीएसयू/व्यक्ति	कुल	महिला	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
घ) एनआरएलएम-आरसी											
अप्रैल	109	46	0	0	0	0	0	159	314	268	8
मई	307	548	0	17	0	0	0	308	1180	841	30
जून	337	376	0	0	0	0	0	611	1324	961	33
जुलाई	216	8820	0	0	0	0	0	0	9036	1699	121
अगस्त	263	1002	0	0	259	0	0	569	2093	1126	44
सितंबर	163	236	0	168	16	0	0	221	804	540	24
अक्तूबर	208	1069	0	0	0	0	0	0	1277	439	34
नवंबर	68	2404	0	0	0	0	0	424	2896	1104	56
दिसंबर	54	198	0	0	0	0	0	276	528	398	15
जनवरी	53	3470	0	0	57	0	0	423	4003	1517	71
फरवरी	338	226	0	34	0	0	0	356	954	441	23
मार्च	292	376	0	0	0	0	0	67	735	444	16
कुल	**2408**	**18771**	**0**	**219**	**332**	**0**	**0**	**3414**	**25144**	**9778**	**475**
ड.) एनईआरसी											
अप्रैल	55	0	0	3	0	0	0	0	58	10	2
मई	95	0	0	1	1	7	0	0	104	19	3
जून	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जुलाई	170	0	15	2	0	0	0	0	187	47	6
अगस्त	69	0	10	20	2	0	0	0	101	40	3
सितंबर	103	0	8	0	0	0	0	0	111	20	4
अक्तूबर	29	0	0	37	2	0	0	0	68	16	3
नवंबर	102	0	0	0	0	0	0	0	102	23	4
दिसंबर	34	0	0	0	0	0	0	0	34	19	1
जनवरी	22	0	0	29	0	1	0	0	52	9	2
फरवरी	60	0	1	3	19	64	0	0	147	45	5
मार्च	247	0	0	26	0	67	4	4	348	78	8
कुल	**986**	**0**	**34**	**121**	**24**	**139**	**4**	**4**	**1312**	**326**	**41**
च) एनईआरसी-एनआरएलएम											
अप्रैल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मई	125	0	0	0	0	0	0	18	143	82	5
जून	223	21	0	0	0	0	0	0	244	75	7
जुलाई	122	262	0	0	0	0	0	0	384	152	9
अगस्त	90	39	0	0	0	0	0	0	129	87	5
सितंबर	30	17	0	0	0	0	0	0	47	6	2
अक्तूबर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नवंबर	202	0	0	0	0	0	0	20	222	105	6
दिसंबर	142	66	1	0	0	0	0	0	209	149	6
जनवरी	220	52	0	0	0	0	0	0	272	**135**	9
फरवरी	292	754	0	0	0	0	0	0	1046	857	26
मार्च	141	1162	0	0	0	0	0	0	1303	1118	38
कुल	**1587**	**2373**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38**	**3999**	**2766**	**113**
छ) दिल्ली शाखा											
अप्रैल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जून	143	10	0	20	0	0	0	38	211	67	2
जुलाई	2	0	0	14	0	2	0	0	18	4	1
अगस्त	73	0	0	14	17	10	1	32	147	39	3
सितंबर	59	0	0	14	0	1	0	21	95	22	1
अक्तूबर	0	165	0	0	0	0	0	0	165	165	1
नवंबर	34	119	0	12	0	16	0	16	197	145	3
दिसंबर	81	0	0	25	0	3	0	31	140	39	2
जनवरी	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0
फरवरी	47	185	0	0	0	0	0	21	253	209	2
मार्च	177	0	0	32	0	3	1	84	297	96	5
कुल	**616**	**479**	**0**	**131**	**17**	**35**	**2**	**243**	**1523**	**786**	**20**

परिशिष्ट -II

वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए शोध अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	समयावधि
क.	**एनआईआरडीपीआर अनुसंधान**		
1	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति पर अध्ययन	श्री शशि भूषण डॉ. यू. हेमंथा कुमार एमएस.एच. शशि रेखा	16 नवंबर 22
2	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना, निगरानी और प्रबंधन के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग - ग्राम पंचायत स्तर पर अध्ययन	डॉ.पी.केशव राव डॉ.एन.एस.आर.प्रसाद डॉ.एम.वी.रविबाबू	16 नवंबर 22
3	ग्राम पंचायतों के लिए कार्बन पृथक्करण क्षमता का आकलन: एक पद्धतिगत दृष्टिकोण	डॉ. रवींद्र एस गवली डॉ. के. कृष्णा रेड्डी	16 नवंबर 22
4	महिला सशक्तिकरण और बच्चों की पोषण स्थिति के बीच संबंध: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (एनएफएचएस-5) से साक्ष्य	डॉ.एन.वी.माधुरी डॉ.वाणीश्री जोसेफ	16 नवंबर 22
5	जीपीडीपी में मिशन अंत्योदय डेटा का एकीकरण: महिला एवं बाल विकास गतिविधियों के समावेश पर एक अध्ययन	डॉ.वाणीश्री जोसेफ डॉ.एन.वी.माधुरी	16 नवंबर 22
6	सशर्त नकद हस्तांतरण हस्तक्षेप और भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य परिणाम: एक व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण	डॉ. वाणीश्री जोसेफ डॉ.एन.वी.माधुरी	16 नवंबर 22
7	ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में पीएमईजीपी योजना की भूमिका: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में एक अध्ययन	डॉ.रत्ना भुइयां डॉ.आर.मुरुगेसन	16 नवंबर 22
8	सांसद आदर्श ग्राम योजना का मूल्यांकन अध्ययन: एक मेटा-विश्लेषण	डॉ.लाखन सिंह	16 नवंबर 22
9	भारत में ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों का प्रदर्शन: एक मूल्यांकन अध्ययन	डॉ. टी. विजय कुमार	23 नवंबर 22
10	तेलंगाना राज्य में पल्ले प्रगति और वैकुंठ धाम कार्यक्रमों की प्रक्रिया मूल्यांकन और प्रदर्शन निगरानी पर एक अध्ययन	श्री.के.राजेश्वर डॉ.के.प्रभाकर	01 दिसम्बर 22
11	तेलंगानाकु हरिता हारम (टीएचएच) कार्यक्रम की प्रक्रिया मूल्यांकन और प्रदर्शन निगरानी	डॉ. के.प्रभाकर श्री के.राजेश्वर	01 दिसम्बर 22
12	ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्यों में आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति पर शोध अध्ययन	डॉ. यू. हेमंत कुमार श्री. शशि भूषण सुश्री एच. शशि रेखा श्री. वाई. अनिल कुमार	15 फ़रवरी 23
ख.	**मामले का अध्ययन**		
13	जैव विविधता का सतत उपयोग और सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों का नवीनीकरण: मीनागढ़ी ग्राम पंचायत से एक मामला अध्ययन	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन	16 नवंबर 22
14	ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के माध्यम से जीपीडीपी का क्रियान्वयन: पानीखैती ग्राम पंचायत का एक मामला अध्ययन, चंद्रपुर ब्लॉक, कामरूप (एम) जिला, असम	इंजी. संजीत कुमार घोष	16 नवंबर 22
15	सहभागी योजना और विकास-कुलिमथुर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) मॉडल का एक मामला अध्ययन, तमिलनाडु	डॉ. अरुणा जयमणि	16 नवंबर 22
16	स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके संसाधन मानचित्रण: चंद्रपुर ग्राम पंचायत का एक मामला अध्ययन, चंद्रपुर ब्लॉक, कामरूप (एम) जिला, असम	डॉ. ए. सिम्हाचलम	16 नवंबर 22

परिशिष्ट -III

वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्ण किए गए अनुसंधान अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	समयावधि
क.	**एनआईआरडीपीआर अनुसंधान**		
1	टिकाऊ आजीविका और वंचित समुदाय: कर्नाटक के चुनिंदा जिलों में डब्ल्यूएडीआई कार्यक्रम का एक अध्ययन	डॉ. राज कुमार पम्मी	2017-18
2	एनएसएपी ओर राज्य पेंशन योजनाए तथा डीबीटी का विस्तार - 8 राज्यों का अध्ययन	डॉ.एस.एन.राव	2017-18
3	सीमांत सामाजिक समूहों के विशेष संदर्भ में ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य स्थिति तक पहुंच	प्रोफेसर ज्योतिस सत्यपालन और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ममगाईं	2020-21
4	ग्रामीण एवं शहरी भारत में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुंच	प्रोफेसर ज्योतिस सत्यपालन और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ममगाईं	2020-21
5	ग्रामीण श्रम बाज़ारों में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ: रोज़गार, आय और समावेशन का एक अध्ययन	प्रोफेसर ज्योतिस सत्यपालन और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ममगाईं	2020-21
6	प्रवासन, कल्याण और कोविड-19 का प्रभाव: दिल्ली में उत्तराखंड प्रवासियों का एक अध्ययन	डॉ. राजेंद्र प्रसाद ममगाईं और डॉ. ज्योतिस सत्यपालन	2020-21
7	सामाजिक लेखा परीक्षा के सचालन में एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण का मूल्यांकन	डॉ.सी.धीरजा	2021-22
8	भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के पारिस्थितिकी तंत्र का विश्लेषण	डॉ.रत्ना भुयान, डॉ.सुरजीत विक्रमन, डॉ.आर.एओ, श्री पी.पी.भट्टाचार्जी	2021-22
ख.	**मामला अध्ययन**		
9	ग्रामीण सामुदायिक रेडियो (आरसीआर) की सफलता की कहानी का मानचित्रण – मामला अध्ययन	डॉ. आकांक्षा शुक्ला	2019-20
ग.	**सहयोगात्मक अध्ययन**		
10	पोषण के लिए खाद्य प्रणालियाँ (प्रशिक्षण मैनुअल)	डॉ. एन वी माधुरी डॉ रुचिरा भट्टाचार्य	2019-20

परिशिष्ट -IV

वर्ष 2022-23 के दौरान चल रहे अनुसंधान अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	समयावधि
क.	**एनआईआरडीपीआर अनुसंधान**		
1	एससीएसपी/टीएसपी का मूल्यांकन – आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक अध्ययन	डॉ. एस.एन.राव	2016-17
2	एमजीएनआरईजीएस के तहत आजीविका संवर्धन और स्थिरता (प्रभाव)	डॉ. यू. हेमंत कुमार डॉ. जी.वी.के. लोहिदास	2017-18
3	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में क्लस्टर शासन	डॉ. एस.के.सत्यप्रभा	2019-20
4	आईडब्ल्यूएमपी का एमजीएनआरईजीएस के साथ अभिसरण और इसके निहितार्थ	डॉ. यू.हेमंत कुमार डॉ.जी.वी.कृष्ण लोहीदास	2019-20
5	एमजीएनआरईजीएस न्यूनतम मजदूरी और ग्रामीण मजदूरी में रुझान	प्रो. ज्योतिस सत्यपालन डॉ. दिगंबर ए डॉ. पी.अनुराधा	2019-20
6	ग्रामीण उत्तर प्रदेश के बच्चों की पोषण स्थिति पर एकीकृत बाल विकास योजनाओं की प्रभावशीलता: एक जिलावार विश्लेषण	डॉ. लाखन सिंह डॉ. लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आईआईपीएस, मुंबई	2021-22
7	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका की खोज: केरल और ओडिशा में एक तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. सुब्रत कुमार मिश्र, डॉ. किरण जालेम	2021-22
8	सतत विकास लक्ष्य 5 को स्थानीयकृत करके जेंडर-अनुकूल ग्राम पंचायत विकास योजना को साकार करना	डॉ. अंजन कुमार भांजा डॉ. वाणीश्री जोसेफ डॉ. सुचरिता पुजारी	2021-22
9	ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की पद्धतियाँ (तीन राज्यों के कई मामलों का अध्ययन)	डॉ. आर.रमेश	2021-22
10	उत्तर प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा संगठन का मूल्यांकन	डॉ. श्रीनिवास सज्जा डॉ. राजेश कुमार सिन्हा डॉ. सी.धीरजा	2021-22
11	प्रवासी मजदूरों की घर वापसी: बिहार राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव का आकलन	डॉ. मुकेश कुमार श्रीवास्तव	2021-22
ख.	**मामला अध्ययन**		
12	मेघालय सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई पर मामला अध्ययन	डॉ.श्रीनिवास सज्जा डॉ.आर.मुरुगेसन	2021-22
ग.	**सहयोगात्मक अध्ययन**		
13	"झारखंड में आदिवासी महिला पीआरआई सदस्यों को सशक्त बनाना लेकिन क्या यह पेसा के संदर्भ में है? - झारखंड के दस (10) पेसा जिलों में एक अध्ययन"	डॉ. राजीव रंजन	2016-17

परिशिष्ट -V

वर्ष 2022-23 के कार्य अनुसंधान अध्ययन			
क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	समयावधि
क.	**चल रहे अध्ययन**		
1	कौशल विकास के लिए गोबर और मूत्र के मूल्य संवर्धन के माध्यम से मॉडल डेयरी फार्म का मूल्यांकन	डॉ. सी. कथिरेसन एवं टीम	2019-20
2	100+ क्लस्टर विकास परियोजना	डॉ.अंजन कुमार भांजा श्री दिलीप कुमार पाल	2019-20

परिशिष्ट -VI

2022-23 के दौरान किए जाने वाले परामर्श अध्ययन			
क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	समयावधि
1.	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के तहत चल रही परियोजनाओं का स्वतंत्र सत्यापन/मूल्यांकन	डॉ निथ्या वीजी डॉ. सुरजीत विक्रमन, डॉ. चौधरी राधिका रानी	01 अप्रैल 22
2.	झारखंड राज्य में महात्मा गांधी नरेगा की परिसंपत्तियों का लाभार्थियों की आजीविका पर प्रभाव	डॉ. सोनल मोबार रॉय डॉ. सी.धीरजा श्री ई.बी. उदय भास्कर रेड्डी	23 जून 22
3.	छत्तीसगढ़ राज्य के लिए डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 वेब एप्लीकेशन हेतु ई-डीपीआर	डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एन.एस.आर.प्रसाद डॉ. एम.वी.रविबाबू	05 अगस्त 22
4.	वनपर्थी, तेलंगाना और अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान-केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन	डॉ के कृष्णा रेड्डी डॉ एन एस आर प्रसाद डॉ. रवीन्द्र एस गवली डॉ. सुब्रत कुमार मिश्र डॉ. केशव राव	01 सितम्बर 22
5.	आरटीआई की धारा 4 के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट की तृतीय पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा	के राजेश्वर	01 सितम्बर 22
6.	आंध्र प्रदेश राज्य में सामाजिक सहायता के लिए राष्ट्रीय नीति (एनएसएपी) की एक सामाजिक सुरक्षा योजना - वाईएसआर पेंशन कानुका का मूल्यांकन	डॉ. के. प्रभाकर डॉ. एस.एन.राव श्री के.राजेश्वर	08 सितम्बर 22
7.	राज्य कैम्पा के अंतर्गत वन विभाग द्वारा की गई गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन- अरुणाचल प्रदेश	डॉ. वी. सुरेश बाबू डॉ. ए. सिम्हाचलम	26 सितम्बर 22
8.	तेलंगाना में सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए जागरूकता सृजन और सैनिटरी नैपकिन की निःशुल्क आपूर्ति	डॉ. वानिश्री जोसेफ डॉ. एन वी माधुरी	27 अक्तूबर 22

परिशिष्ट -VII

वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्ण किए जाने वाले परामर्श अध्ययन			
क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	केसमयावधि
1	एसएचजी व्यवहार परिवर्तन पथ	डॉ. एस.के.सत्यप्रभा	2019-20
2	"निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षमीकरण" द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करके भारत में बदलाव - टीआईएसपीआरआई चरण II	डॉ. सी.कथिरेसन, डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक, डॉ. वाणीश्री	2020-21
3	ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी की स्थिति, प्रक्रियाएं, समस्याएं और पंचायत सेवा वितरण पर इसका प्रभाव तथा जीपीडीपी को और मजबूत बनाने की दिशा में प्रशस्त मार्ग	डॉ. आर.चिन्नदुरै	2020-21
4	सीआईएल की सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन	प्रो. मुरुगेसन आर, डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य, डॉ. पी.के. घोष	2021-22
5	आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना मूल्यांकन अध्ययन	डॉ. नित्या वीजी; डॉ. सुरजीत विक्रमण; डॉ. सीएच राधिका रानी	2021-22
6	भारतीय कृषि में समावेशी विकास: व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से टिकाऊ एफपीओ की आवश्यकता	डॉ. एम. श्रीकांत	2021-22
7	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के तहत चल रही परियोजनाओं का स्वतंत्र सत्यापन/मूल्यांकन	डॉ नित्या वीजी; डॉ. सुरजीत विक्रमन; डॉ सीएच राधिका रानी	2022-23
8	आरटीआई की धारा 4 के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट की तृतीय पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा	के राजेश्वर	2022-23
9	वनपर्थी, तेलंगाना और अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान-केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन	डॉ. के. कृष्णा रेड्डी, डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद, डॉ. रवीन्द्र एस. गवली, डॉ. सुब्रत कुमार मिश्रा और डॉ. केशव राव	2022-23
10	आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता नीति (एनएसएपी) की एक सामाजिक सुरक्षा योजना - वाईएसआर पेंशन कानुका का मूल्यांकन	डॉ. के. प्रभाकर, डॉ. एस.एन.राव, के.राजेश्वर	2022-23

परिशिष्ट -VIII

वर्ष 2022-23 के दौरान जारी परामर्श अनुसंधान अध्ययन			
क्र. सं.	**अध्ययन का शीर्षक**	**दल**	**समयावधि**
1	समय और गति अध्ययन – एमजीएनआरईजीएस	प्रो. ज्योतिस सत्यपालन डॉ. दिगंबर ए चिमनकर डॉ. यू. हेमंथा कुमार डॉ. जी.वी. कृष्णा लोही दास डॉ. पी. अनुराधा डॉ. राजकुमार पम्मी	2017-18
2	पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-सूचना विज्ञान का अनुप्रयोग	डॉ. पी केशव राव डॉ. एम वी रविबाबू डॉ. एनएसआर प्रसाद डॉ. एच के सोलंकी डॉ. ए सिम्हाचलम	2018-19
3	उत्तराखंड के टिहरी-घरवाल जिले में कृषि-जलवायु योजना और सूचना बैंक (एपीआईबी)।	डॉ. पी केशव राव डॉ. एन एस आर प्रसाद डॉ. एम वी रविबाबू एर. एच के सोलंकी	2018-19
4	2015-16 और 2016-17 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई आरकेवीवाई परियोजनाओं का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन	डॉ.जी.वी.कृष्ण लोहीदास डॉ.यू.हेमंत कुमार डॉ.के.कृष्णा रेड्डी	2019-20
5	पूरे भारत में 250 आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाने की परियोजना	डॉ.अंजन कुमार भांजा श्री दिलीप कुमार पाल	2020-21
6	एमजीएनआरईजीएस के तहत (पीएमएवाई को छोड़कर) लाभार्थियों को व्यक्तिगत परिसंपत्तियां उपलब्ध कराने के बाद उनके द्वारा काम की मांग में परिवर्तन	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन डॉ. दिगंबर ए चिमनकर डॉ. यू. हेमंथा कुमार डॉ. जी.वी. कृष्णा लोही दास डॉ. पी. अनुराधा डॉ. राजकुमार पम्मी	2020-21
7	आपातकालीन प्रतिक्रिया को ग्राम परिप्रेक्ष्य योजनाओं में एकीकृत करना: जीपीडीपी तैयारी में महिला सभाओं और बाल सभाओं की भूमिकाओं को मुख्यधारा में लाना	डॉ. एन वी माधुरी डॉ. वानिश्री जोसेफ	2021-22
8	एसबीसीसी के लिए यूनिसेफ संचार संसाधन इकाई	डॉ.एन.वी.माधुरी डॉ. वाणीश्री जोसेफ	2021-22

परिशिष्ट -IX

वर्ष 2022-23 के लिए एनआरएलएम-आरसी हैदराबाद और गुवाहाटी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की राज्यवार और विषयवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईबीसीबी	एसआईएसडी-एफएनएचडब्लू	वित्तीय समावेशन	कृषि आजीविका	गैर-कृषि आजीविका	एमआईएस	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1	9	1	2	3	3	**19**
2	अरुणाचल प्रदेश	5	3	5	3	0	4	**20**
3	असम	3	6	3	2	1	1	**16**
4	बिहार	1	1	3	1	0	0	**6**
5	छत्तीसगढ	13	5	30	3	1	28	**80**
6	गोवा	9	1	3	1	1	0	**15**
7	गुजरात	1	1	37	5	1	0	**45**
8	हरयाणा	4	3	2	5	1	2	**17**
9	हिमाचल प्रदेश	12	14	4	6	3	18	**57**
10	झारखंड	4	4	2	5	1	6	**22**
11	कर्नाटक	2	10	3	5	3	2	**25**
12	केरल	1	2	2	4	2	3	**14**
13	मध्य प्रदेश	2	5	5	1	1	1	**15**
14	महाराष्ट्र	2	15	7	8	4	1	**37**
15	मणिपुर	2	2	4	0	0	1	**9**
16	मेघालय	1	5	11	2	0	1	**20**
17	मिजोरम	4	1	2	1	0	0	**8**
18	नगालैंड	0	5	2	0	0	1	**8**
19	ओडिशा	2	4	2	2	3	1	**14**
20	पंजाब	8	1	29	0	0	0	**38**
21	राजस्थान	2	33	35	5	2	1	**78**
22	सिक्किम	0	5	1	1	0	1	**8**
23	तमिलनाडु	0	3	6	4	4	1	**18**
24	तेलंगाना	12	5	9	5	3	6	**40**
25	त्रिपुरा	1	1	1	10	1	1	**15**
26	उत्तर प्रदेश	2	3	77	1	0	2	**85**
27	उत्तराखंड	7	5	30	2	0	3	**47**
28	पश्चिम बंगाल	3	2	2	1	2	3	**13**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप (यूटी)	0	0	0	2	0	0	**2**
30	चंडीगढ़ (यूटी)	0	0	0	0	0	0	**0**
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (यूटी)	1	0	0	0	0	0	**1**
32	दिल्ली (यूटी)	1	1	0	2	0	0	**4**
33	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	0	1	0	2	1	0	**4**
34	लक्षद्वीप (यूटी)	0	0	0	0	0	0	**0**
35	पुडुचेरी (यूटी)	4	5	0	1	1	4	**15**
36	लद्दाख (यूटी)	1	0	1	0	0	0	**2**

परिशिष्ट -X

वर्ष 2022-23 के लिए एनआरएलएम-आरसी हैदराबाद और गुवाहाटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्यवार भागीदारी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईबीसीबी	एसआईएसडी-एफएनएचडब्लू	वित्तीय समावेशन	कृषि आजीविका	गैर-कृषि आजीविका	एमआईएस	कुल
1	आंध्र प्रदेश	2	173	1	8	32	61	**277**
2	अरुणाचल प्रदेश	152	23	57	125	0	97	**454**
3	असम	92	97	8	26	4	147	**374**
4	बिहार	5	23	24	5	0	0	**57**
5	छत्तीसगढ	541	105	1879	34	2	1064	**3625**
6	गोवा	292	18	99	2	5	0	**416**
7	गुजरात	5	8	2257	114	3	0	**2387**
8	हरयाणा	73	49	5	50	1	16	**194**
9	हिमाचल प्रदेश	293	443	78	215	81	674	**1784**
10	झारखंड	47	112	5	16	5	391	**576**
11	कर्नाटक	7	435	11	10	9	13	**485**
12	केरल	3	7	47	10	4	133	**204**
13	मध्य प्रदेश	41	62	141	2	3	7	**256**
14	महाराष्ट्र	30	570	149	34	7	1	**791**
15	मणिपुर	7	18	28	0	0	13	**66**
16	मेघालय	4	63	465	39	0	10	**581**
17	मिजोरम	112	27	47	22	0	0	**208**
18	नगालैंड	0	136	11	0	0	11	**158**
19	ओडिशा	18	18	10	5	15	45	**111**
20	पंजाब	248	30	1509	0	0	0	**1787**
21	राजस्थान	22	1247	2087	107	7	6	**3476**
22	सिक्किम	0	116	2	5	0	5	**128**
23	तमिलनाडु	0	3	110	6	13	6	**138**
24	तेलंगाना	498	20	301	18	7	100	**944**
25	त्रिपुरा	12	2	2	166	2	5	**189**
26	उत्तर प्रदेश	10	40	6875	2	0	25	**6952**
27	उत्तराखंड	245	76	1098	3	0	110	**1532**
28	पश्चिम बंगाल	80	8	5	5	5	111	**214**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	0	0	0	29	0	0	**29**
30	चंडीगढ़ (यूटी)	0	0	0	0	0	0	**0**
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (यूटी)	5	0	0	0	0	0	**5**
32	दिल्ली (यूटी)	7	1	0	2	0	0	**10**
33	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	0	23	0	8	21	0	**52**
34	लक्षद्वीप (यूटी)	0	0	0	0	0	0	**0**
35	पुडुचेरी (यूटी)	245	93	0	1	2	288	**629**
36	लद्दाख (यूटी)	10	0	41	0	0	0	**51**

परिशिष्ट -XI

महापरिषद के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम और पता
1.	श्री गिरिराज सिंह माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
2.	साध्वी निरंजन ज्योति माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
3.	श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री कमरा नंबर 322, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
4.	श्री शैलेश कुमार सिंह, आईएएस सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001
5.	अध्यक्ष कजरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, अमूल डेयरी, आनंद-388001. गुजरात
6.	अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
7.	अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) 16 कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, राष्ट्रीय बाल भवन के सामने, आई.टी.ओ. के पास, नई दिल्ली – 110002
8.	सचिव (डीडब्ल्यूएस) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय सी विंग, चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

क्र.सं.	नाम और पता
9.	सचिव भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
10.	सचिव पंचायती राज मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली -110001
11.	सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कक्ष संख्या 115, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001
12.	सचिव उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय 127-सी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
13.	सचिव नीति आयोग, सी-8, टावर-1, नया मोती बाग, नई दिल्ली- 110 021
14.	सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001
15.	सचिव (एफएस) वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय,6ए, तीसरी मंजिल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
16.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001
17.	अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001.

Contd...

क्र.सं.	नाम और पता
18.	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001.
19.	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय 218, द्वितीय तल, डी विंग शास्त्री भवन नई दिल्ली – 110 001
20.	संयुक्त सचिव (एसडी एवं मीडिया) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन,
21.	कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली-110067
22.	कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर सीआर राव रोड, पी ओ, केंद्रीय विश्वविद्यालय, गाचीबोवली, हैदराबाद,-500046. तेलंगाना
23.	डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस महानिदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) राजेंद्रनगर, हैदराबाद -500030
24.	सचिव (डीएआरई) एवं महानिदेशक, आईसीएआर ए-1, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग नई दिल्ली-110 012
25.	निदेशक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, नं.1210, प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, 80 फीट रोड, 560 104, चंद्र लेआउट, बेंगलुरु- 560040, कर्नाटक

क्र.सं.	नाम और पता
26.	वरिष्ठ सलाहकार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कमरा नं. 322, बी-विंग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001.
27.	अपर सचिव, आरएल एवं मिशन निदेशक (एनआरएलएम) 7वीं मंजिल, एनडीसीसी-II, ग्रामीण विकास मंत्रालय जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
28.	कार्यकारी निदेशक (प्रभारी) वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग (एफआईडीडी) 10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंह मार्ग, पी.बी.10014, मुंबई - 400 001.
29.	मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड 1-1-61, आरटीसी 'एक्स' रोड पीबी नं.1863, मुशीराबाद हैदराबाद, तेलंगाना, पिन : 500020
30.	श्री शशि भूषण, निदेशक (एफएम) एवं एफए एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद
31.	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीडीसी), एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद – 500030.
32.	डॉ. सी. कथिरेसन एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, प्रभारी (सीआईएटी) एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद-500030
33.	डॉ.एन.वी.माधुरी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, प्रभारी (सीजीएसडी) एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद-500030

परिशिष्ट -XII

कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	सदस्यों के नाम
1.	श्री शैलेश कुमार सिंह, आईएएस सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001
2.	डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, राजेंद्रनगर, हैदराबाद
3.	सचिव, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली – 110001
4.	सचिव (डीडब्ल्यूएस) सचिव कार्यालय (डीडब्ल्यूएस) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय सी विंग, चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
5.	सचिव भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
6.	अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001
7.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
8.	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001
9.	डॉ. आर. रमेश एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, प्रभारी, सीआरआई एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद
10.	महानिदेशक यशदा, पुणे
11.	निदेशक ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (आईआरएमए), गुजरात
12.	निदेशक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), मुंबई
13.	सचिव (एफएस) वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय, 6ए, तीसरी मंजिल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

परिशिष्ट -XIII

अकादमिक परिषद के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	सदस्य
1	ग्रामीण विकास क्षेत्र का गहन ज्ञान रखने वाला तथा उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति अकादमिक परिषद का अध्यक्ष (अंशकालिक) होगा। संस्थान के महानिदेशक सह-अध्यक्ष होंगे।
2	कार्मिक, मानव संसाधन विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, आर्थिक एवं वित्तीय, पंचायती राज आदि विभागों में प्रशिक्षण के प्रभारी संयुक्त सचिव।
3	एनआईआरडीपीआर के उप महानिदेशक (कार्यक्रम समर्थन) - सदस्य सचिव
4	एनआईआरडीपीआर के स्कूलों के डीन
5	आईआरएमए, एलबीएसएनएए, एएससीआई, आईआईपीए आदि जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से एक-एक नामित व्यक्ति।
6	कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा नामित विशेष ज्ञान वाले चार व्यक्ति, परंतु यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7	पांच राज्यों के एसआईआरडी के प्रमुख जो महापरिषद के सदस्य हैं (प्रत्येक दो वर्ष के चक्रानुक्रम से)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030
www.nirdpr.org.in